उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

B.Ed.SE-03

इन्द्रिय विकलांगता का परिचय

खण्ड : एक

श्रवण विकलांगता : प्रकृति एवं वर्गीकरण

इकाई - 1 5
श्रवण की महत्त्व एवं विभिन्न इन्द्रियाँ

इकाई - 2 12
श्रवण की प्रक्रिया एवं विभिन्न प्रकार के श्रवण दोष

इकाई - 3 21
श्रवण विकलांगता एवं उसके प्रभाव

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

प्रो0 एम0 पी0 दुबे	कुलपति, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

विशेषज्ञ समिति

प्रो0 एस0पी0 गुप्ता	पूर्व निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
प्रो0 के0एस0मिश्रा	आचार्य, शिक्षा शास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
प्रो0 अखिलेश चौबे	पूर्व आचार्य, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
प्रो0 विद्या अग्रवाल	आचार्य, शिक्षा शास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
प्रो0 प्रतिभा उपाध्याय	आचार्य, शिक्षा शास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

लेखक

डा0 विनोद केन	असि. प्रोफेसर, एन.आई.वी.एच., देहरादून

सम्पादक

प्रो0 पी0सी0शुक्ला	आचार्य, शिक्षा संकाय, बी0एच0यू0, वाराणसी

परिमापक

प्रो0सीमा सिंह	आचार्य, शिक्षा संकाय, बी0एच0यू0, वाराणसी

समन्वयक

डॉ0 रंजना श्रीवास्तव	प्रवक्ता, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

प्रकाशक

डॉ0 राजेश कुमार पाण्डेय	कुलसचिव, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

© उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

ISBN-UP-978-93-83328-05-5

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्यसामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।
नोट :पाठ्य सामग्री में मुद्रित सामग्री के विचारों एवं आकड़ों आदि के प्रति विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं है।

प्रकाशन -उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

प्रकाशकः कुलसचिव, विनय कुमार, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज द्वारा पुनः मुद्रित एवं प्रकाशित, 2024

मुद्रकः सिग्नस ईन्फार्मेशन सल्यूसन प्रा0लि0, लोढ़ा सुप्रिमस साकी विहार रोड, अन्धेरी ईस्ट, मुम्बई

ETH-010

B.Ed.SE-03 : इन्द्रिय विकलांगता का परिचय

खण्ड–एक श्रवण विकलांगता : प्रकृति एवं वर्गीकरण

इकाई–1 श्रवण की महत्त्व एवं विभिन्न इन्द्रियॉ

इकाई–2 श्रवण की प्रक्रिया एवं विभिन्न प्रकार के श्रवण दोष

इकाई–3 श्रवण विकलांगता एवं उसके प्रभाव

खण्ड–दो श्रवण विकलांगता या क्षति का प्रभाव

इकाई–4 श्रवण विकलांगता की विशेषताएॅ एवं संप्रेषण पर प्रभाव

इकाई–5 श्रवण विकलांगों के सम्प्रेषण विकल्प

इकाई–6 श्रवण विकलांग बालकों की साक्षरता विकास एवं शैक्षिक उपलब्धि तथा तकनीकी सहायता

खण्ड–तीन दृष्टिबाधिता – प्रकृति एवं मूल्यांकन

इकाई–7 दृष्टिबाधिता एवं देखने की प्रक्रिया

इकाई–8 जनसंख्या संबंधी ऑकड़े

इकाई–9 प्रारम्भिक पहचान एवं हस्तक्षेप

खण्ड–चार दृष्टिबाधितों के शैक्षिक निहितार्थ

इकाई–10 दृष्टिहीनता के प्रभाव

इकाई–11 शिक्षा के सिद्धान्त

इकाई–12 विस्तृत सामान्य पाठ्यक्रम

खण्ड–पॉच बधिरांधता

इकाई–13 बधिरांधता कारण, विशेषताएॅ एवं शिक्षा तथा दैनिक क्रियाओं पर बधिरांधता का प्रभाव

इकाई–14 बधिरांधता की पहचान, मूल्यांकन एवं हस्तक्षेप

इकाई–15 बधिरांध बालकों की शैक्षिक आवश्यकता

खंड परिचय–1– श्रवण विकलांगता : प्रकृति एवं वर्गीकरण

श्रवण विकलांगता एक गंभीर विकलांगता है जो श्रवण विकलांग बालकों की शारीरिक, बौद्धिक, समाजिक, आर्थिक एवं व्यवसयिक क्षमता पर प्रभाव डालती है।

इकाई–1– यह इकाई श्रवण विकलांगता की विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। प्रस्तुत इकाई में इंद्रिय विकलांगता के बारें में चर्चा की गई है। इंद्रिय विकलांगताओं को दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम भाग के अंदर एकल इंद्रिय विकलांगता को शामिल किया गया है जिसमे दृष्टिबाधिता एवं श्रवण विकचलांगता है तथा दूसरे भाग में द्वि इंद्रिय विकलांगता को सम्मिलित किया जाता है। बधिरता द्वि इंद्रिय विकलांगता का उदाहरण है।

इकाई–2– इस इकाई के अंर्तगत् श्रवण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है एवं कान के विभिन्न अंगों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। श्रवण विकलांगता के विभिन्न प्रकारों को भी प्रस्तुत इकाई में सम्मिलित किया गया है।

इकाई–3– प्रस्तुत इकाई में श्रवण विकलांगता की विभिन्न परिभाषाओं के बारें में बताया गया है तथा श्रवण विकलांगता के कारण बालकों पर उसके प्रभाव को प्रदर्शित किया गया है। इन प्रभावों को बालक की श्रवण विकलांगता की आयु के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है।

इकाई–1– श्रवण का महत्व एवं विभिन्न इंद्रियॉ

संरचनाः

1.1 प्रस्तावना

1.2 उद्देश्य

1.3 श्रवण का महत्व

1.4 इंद्रियों के प्रकार

1.5 इंन्द्रिय विकलांगता के प्रकार

1.6 एकल इंद्रिय विकलांगता

1.6.1 श्रवण विकलांगता

1.6.2 दृष्टि विकलांगता

1.6.2.1 अंधता/दृष्टिहीनता

1.6.2.2 अल्पदृष्टिवान

1.7 द्वि इंद्रिय विकलांगता

1.8 सारांश

1.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.10 अभ्यास के प्रश्न

1.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1.1 प्रस्तावना

व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। समाज में व्यक्ति द्वारा एक दूसरे से संप्रेषण स्थापित किया जाता है। संप्रेषण स्थापित करने के लिए व्यक्तियों द्वारा अपनी विभिन्न इंद्रियो का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः व्यक्ति में पांच इद्रियॉ होती हैः दृष्टि, श्रवण, घात, स्पर्श एवं स्वाद। इन इंद्रियो के द्वारा व्यक्ति वातावरण से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करता है एवं इन प्राप्त सूचनाओं का उपयोग वह अपनी दैनिक क्रियाकलापों एवं महत्वपूर्ण कार्यो के संपादन हेतु करता है। जो कि व्यक्ति के सामान्य जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए इन इंद्रियों का बहुत महत्व होता है। किसी एक भी इंद्रीय की अनुपस्थिति से व्यक्ति को अपने सामान्य जीवन यापन करने में बहुत सारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है। जिससे व्यक्ति के जीवन में कुण्ठा एवं निराशा की भावना आ जाती है एवं व्यक्ति के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

यदि किसी व्यक्ति को ध्वनि रहित कमरे के अंदर रखा जाये तो व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं सुनाई पडेगी। परंतु यदि व्यक्ति किसी शान्त वातावरण में कुछ क्षणों के लिए अपनी ऑखें बंद कर लेता है तो व्यक्ति द्वारा वातावरण में उपस्थिति कुछ आसानी से समझने वाली ध्वनियों को सुना जा सकता है जैसे पक्षियों की आवाज, पानी की कल–कल, हवा के चलने की ध्वनि इत्यादि। हमारा वातावरण विभिन्न प्रकार की ध्वनियों से भरा हुआ है।

प्रस्तुत इकाई के अंर्तगत हम व्यक्ति के जीवन में श्रवण इंद्रिय के महत्व के साथ–साथ व्यक्ति के जीवन में विभिन्न इंद्रियों की विकलांगताओं पर चर्चा करेंगे एवं व्यक्ति के जीवन में उसके प्रभावों के बारे में अवगत करायेंगे।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि आप –

- व्यक्ति के जीवन में श्रवणता के महत्व को समझ सकेंगे।
- एकल विकलांगता का आशय जान सकेंगे।
- दृष्टि विकलांगता का अर्थ समझ सकेंगे।
- श्रवण विकलांगता का अर्थ समझ सकेंगे।
- द्वि–विकलांगता का अर्थ समझ सकेंगे।

1.3 श्रवणता का महत्व

सर्वप्रथम हम आपको श्रवण एवं ध्वनि के बारे में बताना चहाते है। सामान्यता सभी व्यक्ति श्रवण एवं ध्वनि को एक ही मानते है परंतु इन दोनो में बहुत अंतर है। श्रवण या सुनने का अर्थ बालकों में ऐसी क्षमता से है जिसके द्वारा बालक वातावरण में उत्पन्न विभिन्न आवाजों के बीच भेद कर सकते हैं एवं उन आवजों में से अपनी आवश्यकता के अनुसार आवाज का चयन कर सकते हैं तथा चयन के उपरांत उस विषेष ध्वनि का अर्थ निकालकर अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका अनुकूल जबाव दे सकते हैं अथवा प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यदि कोई बालक किसी ध्वनि को सुनता है परंतु उसका अर्थ निकालने में असमर्थ होता है तो उसे केवल ध्वनि या आवाज की श्रेणी में ही रखा जा सकता है न कि श्रवण की श्रेणी में। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते है कि श्रवण का अभिप्राय बालक द्वारा वातावरण में उपस्थिति आवाजों को ध्यान पूर्वक सुनकर उस पर पूर्ण रूप से चिंतन एवं मनन कर, आवाज का अर्थ निकाल सकने एवं उस पर उचित निर्णय लेकर प्रतिकूल क्रिया कर सकने की योग्यता से है। श्रवण क्षमता का सजीव चीजों में सबसे महत्वपूर्ण क्षमता के रूप में वर्णन किया जाता है। आवाज या ध्वनि किसी भी चीज के बारें में जानकारी प्राप्त करने का एक प्राथमिक साधन है। ध्वनि या आवाज के

द्वारा प्राप्त सूचनाओं के लिए बालक या व्यक्ति को उस वस्तु विशेष के पास जाने की आवश्यकता नही होती है। इस प्रकार यह कहा जाता है कि ध्वनि का अर्थ निकालने के लिए बालक की श्रवण क्षमता का अच्द्दा होना अति आवश्यक है।

हम ध्वनि का किस प्रकार श्रवण के रूप में उपयोग कर सकते है इसके लिए चित्र 1.1 का संदर्भ ग्रहण करें। जिसमें ध्वनि के श्रवण के रूप में उपयोग हेतु तीन मुख्य चीजों की आवश्यकता होती हैं: (1) प्रेषित करने वाला, (2) माध्यम एवं (3) प्राप्त करने वाला

चित्र 1.1

ध्वनि प्रणाली

प्रेषित करने वाला (प्रेषक) ⟹	माध्यम	प्राप्त करने वाला (अभिग्राहीत्र)
संगीतमय स्वर,	हवा,	कर्ण या कान,
शोर,	पानी,	इलेक्ट्रानिक
भाषा	धातु	अभिग्राहीत्र

जैसा कि उपरोक्त से विदित है कि श्रवण इंद्रिय का उपयोग तभी माना जा सकता है जब बालक किसी विशेष ध्वनि को सुन कर उसका प्रतिउत्तर देने में सक्षम हो। वातावरण में ऐसी अनेक ध्वनियॉ होती हैं जिसे बालक समझ नही पाता है ऐसी ध्वनियों को हम श्रवणता के अंर्तगत सम्मिलित नही कर सकते हैं।

श्रवण इंद्रिय के द्वारा ही हम इस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकते है कि वातावरण में क्या हो रहा है। श्रवण इंद्रिय के द्वारा ही हम अपने दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते है जैसे बादलों की गडगडाहट से कोई भी व्यक्ति यह जाने में सक्षम हो सकता है कि बारिश होने वाली है या मौसम खराब हो रहा है। जिसके उपरांत व्यक्ति उचित निर्णय ले सकता है। उसी प्रकार सड़क पर चलने वाले व्यक्ति को गाड़ियों के होर्न से गाड़ियों की स्थिति का ज्ञान होता है जिसके उपरांत वह अपने आप को वातावरण के साथ अपने आप समायोजित करता है एवं अपनी सुरक्षा एवं स्थिति को नियंत्रित करता है।

पुरातन काल में किसी भी व्यक्ति का जीवन उसकी श्रवण क्षमता पर निर्भर करता था क्योंकि पुरातन काल में मानव जंगलों में रहा करते थे एवं उन्हें जंगली जानवरों से अपनी जान का खतरा होता था इसलिए वह अपनी श्रवण क्षमता से अपने आस पास की ध्वनि के आधार पर खतरनाक जानवरों से उत्पन्न ध्वनि को सुनकर अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम करते थे।

हालांकि अधिकांश विशेषज्ञों का यह मत है कि दृष्टि मानव की सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय होती है जिसके अनुपस्थिति में जीवन की कल्पना करना भी संभव नही है। परंतु आधुनिक युग में संप्रेषण हेतु श्रवण इंद्रिय के महत्व को नजर अंदाज करना मुश्किल ही नही नमुमकिन है। संप्रेषण कौशल के लिये आवश्यक है कि व्यक्ति की श्रवण इंद्रिय भी अच्छी हो। ऐसा माना जाता है कि दृष्टि, लेखन या टाईप के द्वारा भी संप्रेषण किया जा सकता है। परंतु आपको यह बताना अति आवश्यक है कि किसी भी बालक के लेखन या भाषा के ज्ञान के लिए आवश्यक है कि बालकों को पूर्व में उन सभी अक्षरों का ज्ञान कराया जाय। जिन्हें वह अपनी लेखन कला में उपयोग में लाते हैं। आपको इस बात से अवगत कराना अति आवश्यक है कि प्रारम्भिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास या ज्ञान के लिए श्रवण इंद्रिय का महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि किसी भी अक्षर को लिखने के लिए उसे सुनना अति आवश्यक है बिना सुने किसी भी भाषा या लिपि को लिखना तो संभव है परंतु उसका भाव समझना संभव नहीं है जो संप्रेषण कौशल के लिए आवश्यक होता है।

1.4 इंद्रियों के प्रकार

प्रत्येक मानव/व्यक्ति अपने वातावरण में व्यप्त सूचनाओं को अपनी ज्ञानाइंद्रियों के द्वारा प्राप्त करता है। एक व्यक्ति के पास सूचनाओं को प्राप्त करने की लिए पांच ज्ञानेइंद्रियों होती हैं जो कि निम्नलिखित हैं:

(1) दृष्टि ज्ञानेइंद्री

(2) श्रवण ज्ञानेइंद्री

(3) घात ज्ञानेइंद्री

(4) स्पर्श ज्ञानेइंद्री, एवं

(5) स्वाद ज्ञानेइंद्री

व्यक्ति अपनी इन ज्ञानेइंद्रियों के द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप सूचनाएं प्राप्त कर अपने दैनिक जीवन के आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। व्यक्ति में यदि किसी एक ज्ञानइंद्रि की अनुपस्थिति होती है तो व्यक्ति अपनी अन्य बची हुई ज्ञानइंद्रियों की सहायता से वातावरण में व्याप्त सूचनाएं प्राप्त कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

1.5 इंद्रिय विकलांगता के प्रकार

इंद्री विकलांगता को दो भागों में विभाजित किया जाता है।

1. एकल इंद्रिय विकार/विकलांगता
2. द्वि इंद्रिय विकार/विकलांगता

1.6 एकल इंद्रिय विकार/विकलांगता

एकल इंद्रिय विकार या विकलांगता से अभिप्राय है यदि किसी व्यक्ति में उपरोक्त पांच इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय की अनुपस्थिति होती है तो इसी स्थिति में हम व्यक्ति में एकल इंद्रिय विकलांग कहते हैं। व्यक्ति मुख्यतया निम्नलिखित एकल इंद्रिय विकलांगता से ग्रसित होते हैं यह विभाजन निःशक्तता जन अधिनियम (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम के अनुसार है।

1.6.1 श्रवण विकलांगता– श्रवण विकलांगता का अभिप्राय "ह्मस से अभिप्रेत है संवाद संबंधी रेंज की अवृति में बेहतर कर्ण में साठ डेंसीबल या अधिक की हानि"।

1.6.2 दृष्टि विकलांगता–

दृष्टि विकलांगता को दो भागों में विभाजित किया जाता हैः

1.6.2.1 अंधता/ दृष्टिहीनता–

अंधता या दृष्टिहीनता उस अवस्था को निर्दिष्ट करती है जहॉ कोई व्यक्ति निम्न अवस्थाओं में से किसी एक अवस्था से ग्रसित है, अर्थात् ;

(क) दृष्टि का पूर्ण आभाव; या

(ख) सुधारक लेंसों के साथ नेत्र में दृष्टि की तीक्ष्णता जो 6/60 या 20/200 (स्नेलन) से अधिक ना हो; या

(ग) दृष्टि क्षेत्र की सीमा जो 20 डिग्री कोण वाली या उससे बदतर है;

1.6.2.2

कम दृष्टिवाला व्यक्ति' से अभिप्राय उस व्यक्ति से अभिप्रेत है जिसकी उपचार या मानक अपवर्तनीय संशोधन के पश्चात भी दृष्टि क्षमता का ह्मस हो गया है किन्तु जो समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने में संभाव्य रूप से समर्थ है;।

1.7 द्वि इंद्रिय विकार/ विकलांगता–

व्यक्ति की पांच इंद्रियों में से किन्हीं दो इंद्रियों की अनुपस्थिति या विकलांगता को द्वि इंद्रिय विकलांगता कहते है। मुख्यता व्यक्ति में द्वि इंद्रिय विकलांगता के अंर्तगत श्रवण विकलांगता एवं दृष्टि विकलांगता के समूह से ग्रसित विकलांगता को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात यदि व्यक्ति या बालक श्रवण इंद्रिय के साथ–साथ दृष्टि इंद्रिय की अनुपस्थिति होती है तो उसे द्वि इंद्रिय विकलांगता की सूची में शामिल किया जाता है। इस द्वि इंद्रिय विकलांगता को 'बधिरांधता' भी कहा जाता है। परंतु इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि द्वि विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति अर्थात दृष्टि इंद्रिय विकलांग एवं श्रवण इंद्री विकलांग व्यक्ति पूर्ण रूप से दृष्टिहीन एवं पूर्ण रूप

से बधिर ही होगा। सम्भव है कि व्यक्ति या बालक आंशिक रूप से दृष्टिहीन एवं पूर्ण रूप से बधिर हो अथवा व्यक्ति पूर्ण रूप दृष्टिहीन एवं आशिक रूप से बधिर हो, अथवा पूर्ण रूप से दृष्टिहीन एवं पूर्ण रूप से बधिर हो। उपरोक्त सभी श्रेणियों में बालक या व्यक्ति को द्वि इंद्रिय विकलांगता से ग्रसित माना जाता है।

बोध प्रश्न –

टिप्पणी – क : नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिये–

ख : इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों में से अपने उत्तर का मिलान कीजिये–

1. ज्ञानेन्द्रियॉ कितने प्रकार की होती हैं और कौन सी ?

....

....

....

2. इन्द्रिय विकलांगता के प्रकार बताइये ?

....

....

....

3. 'कम दृष्टिवाला व्यक्ति' से क्या अभिप्राय है ?

....

....

....

1.8 सारांश

श्रवण या सुनने की क्षमता व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्रवण क्षमता के द्वारा व्यक्ति न केवल अपनी व्यक्तिगत आवश्यकतओं की पूर्ति करता है अपितु अपनी व्यवसायिक, अर्थिक एवं समाजिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। किसी भी व्यक्ति में पांच प्रकार की ज्ञानइंद्रियां होती हैः दृष्टि, श्रवण, घात, स्पर्ष एवं स्वाद ज्ञानइंद्री। व्यक्ति में यदि किसी एक प्रकार की ज्ञानेइंद्री की अनुपस्थिति व्यक्ति के जीवन में बाधक हो सकती है। यदि व्यक्ति में उक्त ज्ञान इंद्रियों में से किसी एक ज्ञानेइंद्री की अनुपस्थिति होती है तो उसे एकल ज्ञानेइंद्री विकलांगता कहते हैं। जिसके अंर्तगत् मुख्यता दृष्टिबाधिता/दृष्टिविकलांगता या श्रवण विकलांगता को शमिल किया जाता है। यदि व्यक्ति में एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों की अनुपस्थिति होती है तो उसे द्वि इंद्री विकलांगता कहते हैं। कभी कभी द्वि इंद्री विकलांगता को बहु–विकलांगता भी कहा जाता है।

1.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. ज्ञानेन्द्रियॉ निम्न पॉच प्रकार की होती हैं –

    1– दृष्टि ज्ञानेन्द्रिय

    2– श्रवण ज्ञानेन्द्रिय

    3– घात ज्ञानेन्द्रिय

    4– स्पर्ष ज्ञानेन्द्रिय

    5– स्वाद ज्ञानेन्द्रिय

2. दो, एकल इन्द्रिय विकार

    द्वि–इन्द्रिय विकार

3. कम दृष्टि वाले व्यक्ति से अभिप्राय जिसकी उपचार या मानक अपर्वतनीय संशोधन के पश्चात भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया है।

1.10 अभ्यास प्रश्न

1. श्रवण या सुनने एवं ध्वनि में अंतर स्पष्ट कीजिये।
2. एकल इंद्रिय विकलांगता से आप क्या समझते है? एकल इंद्रिय विकलांगता के अंर्तगत कौन–कौन सी विकलांगताओं को सम्मिलित किया जाता है?
3. द्वि इंद्रिय विकलांगता का अर्थ समझाईए।

1.11 संदर्भ पुस्तकें

1- Christoffel-Blinded Mission International. (1999). See with the Blind-Trend in Education of the Visually Impaired. Author: Banglore.

2. Punani, Bhushan & Rawal, Nandini (2000). Visual Impairment Handbook (2nd ed.). Blind People Association: Ahmedabad.

3. B

4. atshaw, Mark L. (1997) (Ed). Children with Disabilities. IV Edition. Paul Brookes: Baltimore.

5. शिक्षण प्रशिक्षण लेखमाला (2004), ए0आई0सी0बी0 प्रकाशन, नई दिल्ली।

6. दृष्टिबाधा शिक्षण ; 2010 द्वारा; ए0आई0सी0बी0 प्रकाशन, नई दिल्ली। भनोट सुमन– श्रवण क्षतियुक्त बालक, कारण, पहचान एवं उपचार. कनिष्क प्रकाशक :दिल्ली

इकाई–2–श्रवण की प्रक्रिया एवं विभिन्न प्रकार के श्रवण दोष

संरचनाः

2.1 प्रस्तावना
2.2 उद्देश्य
2.3 कर्ण की संरचना
2.3.1 बाह्य कर्ण
2.3.2 मध्य कर्ण
2.3.3 अन्तः कर्ण
2.4. श्रवण प्रक्रिया
2.5 कर्ण दोष
2.5.1 चालकीय श्रवण दोष
2.5.2 संवेदनिक श्रवण दोष
2.5.3 मिश्रित श्रवण दोष
2.5.4 मध्यकर्ण श्रवण दोष
2.6 श्रवण दोषों का वर्गीकरण
2.7 सारांश
2.8 बोध प्रश्नों के उत्तर
2.9 अभ्यास के प्रश्न
2.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

2.1 प्रस्तावना

कर्ण अथवा कान मानव शरीर का एक ऐसा भाग है जिसके द्वारा मानव अपने जीवन से संबंधित सम्पूर्ण सूचनाओं को सुनकर अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कान के द्वारा प्राप्त सूचनाएं व्यक्ति के कान से होते हुए मस्तिष्क में जाती है एवं मस्तिष्क द्वारा कान से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर क्रिया अथवा प्रतिक्रिया करते है। वातावरण में व्याप्त विभिन्न ध्वनियों में से व्यक्ति अपनी आवश्यकता एवं जरूरत के आधार पर ध्वनियों का चुनाव करता है एवं उससे अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। उदाहरणार्थ यदि कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर आती ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है तो वह स्टेशन के विभिन्न ध्वनियों में से केवल उद्घोषक के आवाज पर अपना ध्यान

केन्द्रित करता है। यदि व्यक्ति को किसी प्रकार का कर्ण दोष होता है तो व्यक्ति की सुनने की क्षमता सीमित हो जाती है जिससे व्यक्ति को जीवन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड सकता है। प्रस्तुत इकाई में हम व्यक्ति या मानव के कर्ण अथवा कान की संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगें एवं व्यक्ति के कर्ण से संबंधित विभिन्न प्रकार कर्ण दोषों के बारे में आपको अवगत करायेंगें।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

- कर्ण की संरचना को समझ सकेंगे।
- कर्ण के विभिन्न भागों के बारे में समझ सकेंगे।
- श्रवण की प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकेंगे।
- कर्ण के विभिन्न श्रवण दोषों के बारें में जान सकेंगे।

2.3 कर्ण की संरचना

श्रवण प्रक्रिया एवं कर्ण में होने वाले विभिन्न प्रकार के दोषों के जानने के लिए किसी भी छात्रों को कर्ण से संबंधित कर्ण के भिन्न–भिन्न भागों के बारें में जानना अति आवश्यक होता है।

सामान्यतः कर्ण की संरचना के आधार पर कर्ण को तीन मुख्य भागों में विभक्त किया जाता हैः

(1) बाह्य कर्ण (External Ear)

(2) मध्य कर्ण (Middle Ear)

(3) अन्तः कर्ण (Internal Ear)

अब हम आपकों कर्ण के उपरोक्त तीनों भागों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।

2.3.1 बाह्य कर्ण (External Ear)

यह कर्ण का सर्वप्रथम एवं सबसे बाहर का भाग है। कर्ण के इस भाग को बाहर से आसानी से देखा जा सकता है। बाह्य को भी पुनः निम्न दो भागों में विभक्त किया गया हैः

(क) कर्ण शष्कुली (Auricle Pinna)

(ख) कर्ण पथ (External Acoustic Meatus)

आईये अब इन पर विस्तार से चर्चा करें।

(क) कर्ण शष्कुली (Auricle Pinna)-

बाह्य कर्ण का यह एक भाग होता है जो कि किसी भी व्यक्ति को बाहर से आसानी से दिखाई दे सकता है। यह सिर के पार्श्व में रहने वाला भाग है यह भाग एक ही तरूणस्थि (Cartilage) का बना होता है। इसमें कुछ उभरा हुआ और कुछ गड्डे की तरह दिखाई देता है जिसका ऊपरी भाग त्वचा से ढका रहता है। कान के नीचे के भाग में कोई तरूणस्थि नही होता है। कर्ण के नीचे के इस भाग में स्त्रियां अपने सजने संवरने हेतु गहनें एवं कीमती पत्थरों को पहनती हैं। यदि कभी आवश्यकता पड़ती है तो चिकित्सकों द्वारा इस भाग से रक्त जांच हेतु रक्त लिया जाता है। कर्ण के इस बाह्य भाग द्वारा वातावरण में उत्पन्न एवं वातावरण में उपस्थित ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर उसे कर्ण पथ की ओर भेजता है।

(ख) कर्ण पथ (External Acoustic Meatus)-

कर्ण का यह भाग कर्ण शुष्कली (Auricle Pinna) के मध्य भाग के गहरे भाग से कर्ण पटल (Drum or Tympanic) तक चलने वाली एक नलिका है। जिसका बाहरी 1/3 भाग तरूणस्थि का और अंदर को ओर का 2/3 भाग अस्थि का बना होता है। पूरी नलिका 'S' के आकार की होती है लिस पर त्वचा चिपकी रहती है तथा ऊपर की तरफ कुछ बाल भी होते हैं। इस भाग में कर्णगूथ ग्रंथियां होती है। जिसमे से कर्ण गूथ (Ear Wax) निकलता है। साधारण भाषा में इसे कान का मैल कहा जाता है। कर्णगूथ इस नालिका की सफाई तो करता ही है साथ ही इसे शुष्क होने से भी बचाता है। कान के इस भाग में होने वाली छोटी सी फुन्सी भी बहुत पीड़ादायक होती है एवं यह दर्द व्यक्ति के दॉतों तक महसूस होता है।

•.•.2 मध्य कर्ण (Middle Ear)

कर्ण के बीच के भाग को मध्य कर्ण (Middle Ear) कहा जाता है। इसके अंतर एक हड्डी–शंखस्थि में स्थित अवकाश युक्त चपटा सा भाग है जो सामने की ओर एक नलिका के द्वारा कण्ठ के साथ संबंध बनाता है। इस नलिका की लम्बाई लगभग 36 मिलीमीटर लम्बी होती है। इसी प्रकार मध्यकर्ण गुहा (Cavity) पीछे की ओर भी एक छिद्र के माध्यम से कान के पीछे की हड्डी (Mastoid Process) के साथ संबंध बनाती है। मध्य कान के बाहर की ओर की भित्ति–कर्ण पटल (Tympanic membrane) से बनती है तथा अंदर की ओर अंतः कर्ण स्थित होता है। इस गुहा की ओर की अस्थि बहुत पतली होती है जिसके ऊपर मस्तिष्क स्थित होता है।

मध्य कर्ण के अंतर तीन छोटी हड्डियां/अस्थियां होती हैं। सबसे बाहर की हड्डी का आकार एक हथौडी या मुगदर के आकार की Malleus होती हैं। मध्य कर्ण के अंतर बीच की हड्डी का आकार एक दांत के आकार की Incus के तरह होती है। अंतिम तथा बाहर की तरफ अस्थि/हड्डी स्टेप्स (steps) कर्ण पटल (Ear Drum) के साथ और अंदर की अस्थि अंतः कर्ण के एक छिद्र (Oval Window) के ऊपर मांस पेशियो के द्वारा अच्छी प्रकार सी खिंची और बंधन से जकडी रहती हैं।

•.•.3 अंतः कर्ण (Internal Ear)

यह भाग शंखस्थित (Temporal Bone) में अनियमित रूप से बने रास्ते या कोटर (Irregular Cavities) हैं जिनके अंदर कला (Membrane) द्वारा निर्मित वैसी ही रचनाएं रहती हैं। अतः अंतः कर्ण के दो निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जाता हैः

(क) अस्थि निर्मित अंतः कर्ण (Bony Labyrinth)

(ख) कला निर्मित अंतः कर्ण (Membranous Labyrinth)

कला निर्मित अंतः कर्ण में सुनने और शरीर के संतुलन का बोध कराने वाली नाड़ी के सूत्र पहुंचे रहते हैं।

आईए अब अंतः कर्ण के दोंनो भागों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं।

(क) अस्थि निर्मित अंतः कर्ण (Bony Labyrinth)-

अस्थि निर्मित अंतः कर्ण को पुनः तीन भागों में विभक्त किया जाता हैः

(अ) प्रधाण (Vestibules) –

यह मध्य कर्ण के बीच की लगभग 5 मिलीमीटर के करीब की अंडाकार संरचना के समान होती है जिसके सामने की ओर कर्णावर्त (Cochlea) तथा पीछे की ओर अर्धवृत नलिकायें (Semi-circular Canals) होती हैं। इसकी पार्श्वभित्ती पर एक छिद्र गवाक्ष (Oval Window) होती है जिस पर Stapes अस्थि का आधार भाग लगता है और ऊपर और पीछे की ओर अर्धवृत नलिकाओं के खुलने के पांच छिद्र होते हैं। आगे की ओर यह कर्णावर्त के साथ जुड़ा रहता है।

(ब) अर्धनलिकायें (Semi Circular Canals)–

अंतः कर्ण के इस भाग के अंदर तीन अर्ध नलिकायें होती हैं जो प्रधाण के ऊपर एवं पीछे की ओर स्थित होती है। इसका व्यास लगभग 8 मिलीमीटर का होता है, तथा इसका एक भाग/सिरा कुछ फुला सा होता है। जिसे Ampulla कहते हैं।

(स) कर्णावर्त (Cochlea) –

अंतः कर्ण का तीसरा भाग कर्णावर्त कहलाता है। यह एक घोंघे के कोष (Snail's Shell) की तरह दिखाई देता है जिसकी लम्बाई लगभग 5 मिलीमीटर एवं चौडाई लगभग 9 मिलीमीटर होती है। इसके मध्य में शंख नाभि के समान रचना (Modulous) होती है इसके चारों तरफ एक नलिका पौने तीन चक्कर लगे होते है। Modulous से अंदर की ओर अस्थि का ही कुछ उभरा हुआ भाग अंदर की तरफ होता है। Spiral Camin जिसके अंदर की ओर आधार कला (Basilar Membrane) लगी होती है जो कर्णावर्त नलिका को दो भागों में बांट देता है।

(ख) कला निर्मित अंतः कर्ण (Membranous Labyrinth)-

यह अस्थिनिर्मित अंतः कर्ण के भीतर पायी जाने वाली उसी के आधार की रचना है जिसके बाहर एक तरल Perilymph और अंदर की ओर दूसरा तरल Endolymph होता है। कला निर्मित अंतः कर्ण के इस भाग की रचनायें होती हैं।

(अ) प्रधाण (Vestibule) के अंदर रहने वाले 1. Utricle 2. Saccule

(ब) अर्ध नलिकाओं (Semi Circular Canals) में रहने वाली Semi Circular Duct तथा

(स) कर्णावर्त (Cochlea) के अंदर स्थित

कला निर्मित अंतः कर्ण की यह तीनों प्रणालियॉ आपस में जुडी रहती हैं जैसे Semi Circular Ducts- Utricle में खुलती है; Utricle-saccule में तथा saccule, Duct of Cochlea के साथ संबंध बनाता है। इन सभी भागों में कर्ण नाडी (Vestibule-Cochiear nerve) के तंतु पहुंचे रहते हैं। जो अंतः कर्ण में होने वाले संज्ञा परिवर्तनों को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं जहां पर ध्वनि का वास्तविक ज्ञान होता है।

Duct of Cochlea के अंदर ही कुछ विशिष्ट प्रकार की रचनायें होती हैं जिन्हें Organ of Corti कहा जाता है जिसमें स्थित रोम कोषों (Hair Cells) तक कर्ण नाडी के सूत्र तक पहुंचे रहते हैं।

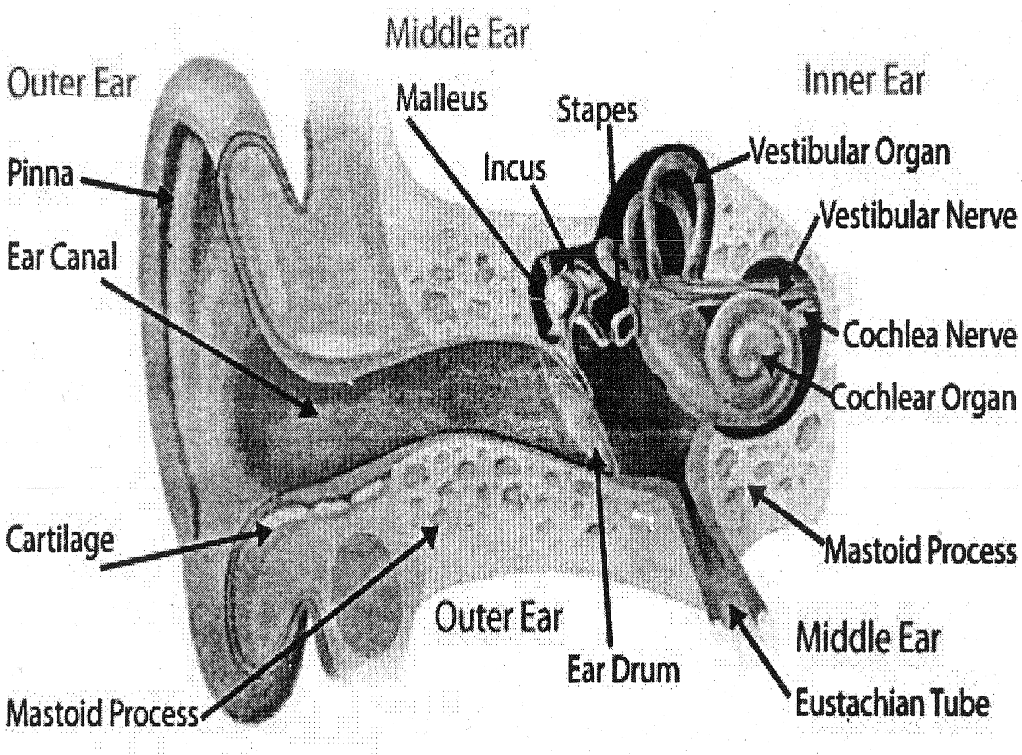

कर्ण की संरचना का विवरण–

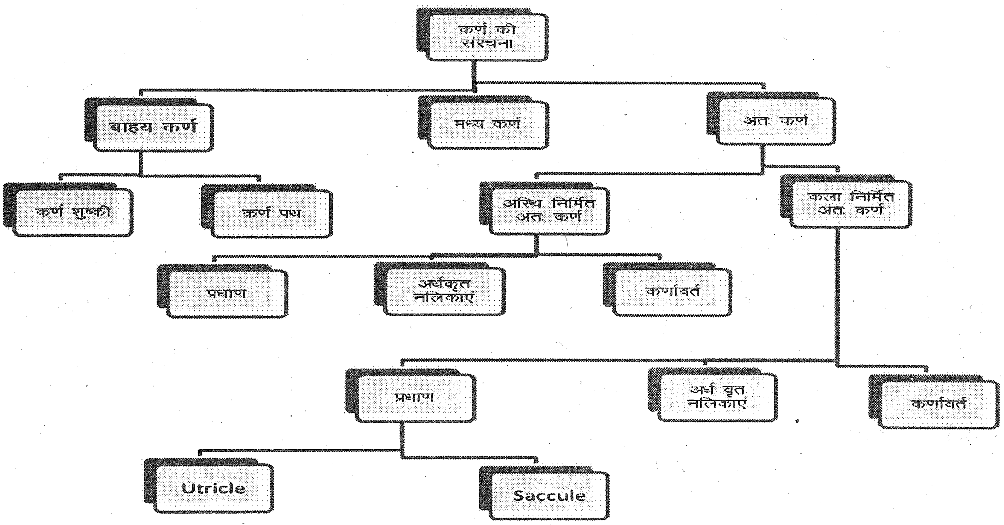

2.4 श्रवण की प्रक्रिया

कर्ण मुख्यतः वातावरण या वायुमण्डल में स्थित ध्वनियों से मस्तिष्क तक पहुंचाती है तथा मस्तिष्क उस ध्वनि का अर्थ निकालता है और मानव शरीर द्वारा उन ध्वनियों के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। हांलांकि कर्ण सम्पूर्ण शारीरिक संरचना का एक छोटा सा भाग प्रतीत होता है। परंतु कर्ण के द्वारा किये जाने वाली प्रक्रिया पूरे षरीर को प्रभावित करती हैं।

श्रवण प्रक्रिया के अंर्तगत वायुमंडल / वातावरण कें व्याप्त ध्वनियों या तरंगों को प्राप्त कर श्रुति पथ (External Acoustic Meatus) के द्वारा कर्ण पटल (Ear Drum or Tympanic Membrane) तक पहुँचाता है। जिस पर कंपन (Vibrations) पैदा होता है। इसके उपरांत यह कंपन मध्य कर्ण तक पहुंचता है मध्यकर्ण में स्थित अस्थियां जो एक ओर कर्ण पटल से तथा दूसरी ओर अंत: कर्ण से जुड़ी होती है, इन कम्पनों को अंत: कर्ण तक पहुंचाती हैं। कर्ण पटल के दोनों ओर वायु का समान दबाव होता है क्योंकि मध्य कर्ण भी के द्वारा कंठ और फलस्वरूप बाह्मय वातावरण के संपर्क में रहता है। मध्य कर्ण के तरल (Perilymph and Endolymph)में भी तरंगें पैदा करता है जिसे Cochlea में स्थित Organ of Corti में स्थित Hair Cells ग्रहण कर नाडी सूत्रों के माध्यम से मस्तिष्क(Cerebrum)तक पहुंचाते हैं यहीं पर ध्वनि का वास्तविक ज्ञान होता

है एवं उसका अर्थ निकालता है। कभी–कभी ऐसा भी होता है कि यदि मानव शरीर एक तरफ झुका होता है तो व्यक्ति को उस तरफ आने वाली ध्वनि को सुनने के बाद उसका वास्तविक अर्थ ठीक से निकाल नहीं पाता। यह शारीरिक असंतुलन के कारण होता है। शरीर में आये इस असंतुलन के कारण कान के संतुलन प्रणाली में स्थित Semi Circular Ducts में विद्यमान तरल पर प्रभाव पड़ता है। जिसे वहाँ पर स्थित नाडी सूत्र (Vestibular Nerve) ग्रहण कर लघु मस्तिष्क (Cerebellum) तक पहुंचाते हैं फलस्वरूप हम सिर की स्थिति शरीर के अनुरूप सही कर शरीर के अनुरूप सही कर शरीर को संतुलित कर लेते हैं।

2.5 कर्ण दोष

2.5.1 चालकीय कर्ण दोष –

चालकीय श्रवण दोष का मुख्य कारण व्यक्ति के मध्यकर्ण एवं बाहरी कर्ण के किसी भीं हिस्से में खराबी होने से होता है। चालकीय श्रवण दोष के अंर्तगत ध्वनि कर्ण के अंदर ठीक से नहीं पहुॅचती तथा जिस कारण सभी ध्वनियॉ कमजोर पड़ जाती है।

2.5.2 संवेदनिक कर्ण दोष–

संवेदनिक श्रवण दोष का कारण कर्ण के अंदर के हिस्सें में चोट लगने या बीमारी के कारण होती है।

2.5.3 मिश्रित कर्ण दोष–

जब व्यक्ति चालकीय दोष एवं संवेदनिक दोष दोनों से ग्रसित होता है तो मिश्रित श्रवण दोष कहते हैं। मिश्रित श्रवण दोष के अंदर व्यक्ति के कर्ण लम्बे समय तक संक्रमित रहते हैं। मिश्रित श्रवण दोष में व्यक्ति के कर्ण से मवाद, खून या पानी निकलता रहता है।

2.5.4 मध्यकर्ण दोष–

मध्यकर्ण दोष निम्नलिखित कारणों से हो सकता हैं:

- कर्ण में चोट लगने के कारण
- श्रवण तंत्र में संक्रमणता के कारण
- श्रवण तंत्रिका का विकसित न होना
- स्नायु तंत्र का विकास नही होता

श्रवण दोषों/विकलांगता का वर्गीकरण–

श्रवण विकलांगता को निम्नलिखित तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है। ध्वनि को 1 डि0बी0 से 130 डि0बी0 की सीमा तक सुना जा सकता है। यदि व्यक्ति 130 डि0बी0 से अधिक की ध्वनि व्यक्ति के कान में दर्द पैदा कर सकता है।

1. किंचित श्रवण क्षय बालक– 35डि0बी0 से 51 डि0बी0
2. मंद श्रवण क्षय बालक– 55 डि0बी0 में 69 डि0बी0
3. गम्भीर रूप से श्रवण क्षति युक्त बालक– 79 डि0बी0 से 89 डि0बी0
4. गहन श्रवण क्षतियुक्त बालक– 91 डि0बी0 से अधिक की क्षति

बोध प्रश्न –

टिप्पणी – क : नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिये–

ख : इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों में से अपने उत्तर का मिलान कीजिये–

1. कर्ण के मुख्य भाग बताइये ?

....

....

....

2. कर्णावर्त क्या होता है ?

....

....

....

3. संवेदनिक कर्ण दोष का क्या तात्पर्य है ?

....

....

....

2.7 सारांश

कर्ण अथवा कान मानव शरीर का एक ऐसा भाग है जिसके द्वारा मानव अपने जीवन से संबंधित सम्पूर्ण सूचनाओं को सुनकर अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

कर्ण के मुख्य तीन भाग बाह्य कर्ण (External Ear), मध्य कर्ण (Middle Ear) एवं अन्तः कर्ण (Internal Ear) होते है।

बाह्य कर्ण के दो मुख्य भाग कर्ण शष्कुली एवं कर्ण पथ होते हैं।

कर्ण के बीच के भाग को मध्य कर्ण (Middle Ear) कहा जाता है। मध्य कर्ण के अंतर तीन छोटी हड्डियां/ अस्थियां होती हैं। सबसे बाहर की हड्डी का आकार एक हथौडी या मुगदर के आकार की Malleus होती हैं। मध्य कर्ण के अंतर बीच की हड्डी का आकार एक दांत के आकार की प्दबने के तरह होती है। अंतिम तथा बाहर

की तरफ अस्थि/ स्टेप्स (Steps) हड्डी कर्ण पटल (Ear Drum) के साथ और अंदर की अस्थि अंतः कर्ण के एक छिद्र (Oval Window) के ऊपर मांस पेशियो के द्वारा अच्छी प्रकार सी खिंची और बंधन से जकडी रहती हैं।

अंतः कर्ण (Internal Ear) दो भागों में विभक्त किया जाता हैः अस्थि निर्मित अंतः कर्ण एवं कला निर्मित अंतः कर्ण।

कर्ण दोष में चालकीय कर्ण दोष, संवेदनिक कर्ण दोष, मिश्रित कर्ण दोष एवं मध्यकर्ण दोष होते है।

2.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. कर्ण को तीन मुख्य भागों में विभक्त किया जाता है।
   - बाह्य कर्ण
   - मध्य कर्ण
   - अन्तः कर्ण
2. अंतः कर्ण का तीसरा भाग कर्णावर्त कहलाता है।
3. संवेदनिक श्रवण दोष का कारण कर्ण के अन्दर के हिस्से में चोट या बीमारी होती है।

2.9 अभ्यास के प्रश्न

1. कर्ण के मुख्यतः कितने भाग होते है?
2. कर्ण के बाह्म भाग की संरचना को समझाईए।
3. कर्ण के मध्य भाग की संरचना को समझाईए।
4. कर्ण के अंतः भाग की सरचना के बारे में बताईए।

2.10 कुछ उपयोगी पुस्तके

1. शिक्षण प्रशिक्षण लेखमाला (2004), ए0आई0सी0बी0 प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. दृष्टिबाधा शिक्षण (2010), ए0आई0सी0बी0 प्रकाशन, नई दिल्ली।
3 Smith Tom. E.C. (2006). Fundamental of Special Education. PHI Learning Pvt. Ltd.: New Delhi
4. Hallahan, Danial P. Exceptional Children : Introduction to Special Education. Vikas Publishing House: New Delhi

इकाई–3–श्रवण विकलांगता एवं उसके प्रभाव

इकाई की रूपरेखा –

3.1 प्रस्तावना

3.2 उद्देश्य

3.3 श्रवण विकलांगता की परिभाषाएं

3.3.1 नि:शक्तता जन अधिनियम के अनुसार परिभाषा

3.3.2 विश्व स्वास्थ्य संगठन में अनुसार परिभाषा

3.4 श्रवण विकलांग व्यक्तियों का वर्गीकरण

3.5 श्रवण विकलांग होने का समय

3.6 जन्मजात श्रवण विकलांग व्यक्तियों की चुनौतियां

3.7 जन्म के उपरांत श्रवण विकलांग व्यक्तियों की चुनौतियां

3.8 सारांश

3.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

3.10 अभ्यास के प्रश्न

3.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

3.1 प्रस्तावना

समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों की अपनी–अपनी आवश्यताएं होती है। जिसकी पूर्ति हेतु वह समाज के अन्य व्यक्तियों से सहायता प्राप्त करते हैं एवं सहायता प्रदान करते है। यह आवश्यकताएं शैक्षिक, समाजिक, व्यवसायिक एवं आर्थिक हो सकती है। उपरोक्त सभी प्रकार की आवश्यताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक है कि व्यक्ति समाज के अन्य वर्गो के साथ संप्रेषण करने में सक्षम हो। संप्रेषण हेतु श्रवण क्षमता का होना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी–अपनी श्रवण क्षमता होती है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने आप को समाज में स्थापित करने की कोशिश करता है। प्रस्तुत इकाई के अंर्तगत हम श्रवण विकलांगता की परिभाषा के साथ साथ श्रवण विकलांग व्यक्तियों के सम्मुख आने वाली समस्याओं के बारें में अवगत करायेंगें।

3.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

- श्रवण विकलांगता का अर्थ समझ सकेंगे।
- विभिन्न संस्थाओं एवं अधिनियम द्वारा श्रवण विकलांगता की परिभाषा को जान पायेंगे।
- जन्मजात श्रवण विकलांग व्यक्तियों के सम्मुख आने वाली चुनौतियों को जान पायेंगे।
- जन्म के उपरांत श्रवण विकलांग व्यक्तियों के सम्मुख आने वाली चुनौतियों को जान पायेंगे।

3.3 श्रवण विकलांगता की परिभाषाएं

इकाई के इस उपखंड के अंर्तगत हम आपकों श्रवण विकलांगता की विभिन्न संस्थाओं एवं अधिनियमों द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारें में बतायेगे।

3.3.1 निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 के अनुसार 'श्रवण शक्ति का ह्रास' से अभिप्रेत है संवाद संबंधी रेंज की आवृति में बेहतर कर्ण में साठ डेंसीबल या अधिक की हानि" श्रवण विकलांगता कहलाती है।

3.3.2 विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार श्रवण में धीमी कमी की परिभाषा निम्नलिखित है:

"श्रवण की सीमा स्तर 26 डेंसीबल से 40 डेंसीबल या एक मीटर की दूरी पर सामान्य आवाज में शब्दों की पुनवर्तित की आवश्यकता होती हैं हांलकि व्यक्ति द्वारा सामान्यतः सुननें में कुछ समस्याएं होती हैं परंतु सामान्य बातचीत या वार्तालाप को सुन सकते हैं।

3.4 श्रवण विकलांगता व्यक्तियों का वर्गीकरण

श्रवण विकलांगता को निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. बहरापन या बहरे बालक
2. ऊँचा सुनने वाला

1. बहरापन या बहरे बालक– हौलाहेन एवं कॉफमैन के अनुसार "वह बालक जिनके जीवन के पहले दो या तीन वर्षो में श्रवण शक्ति की हानि हो गयी हो और जिसके परिणामस्वरूप स्वाभाविक रूप से भाषा का अर्जन न हो सामान्यतः उस स्थिति को बहरापन एवं इस प्रकार के बालकों को बहरे बालकों की श्रेणी में रखा जाता है।"

"The child who suffers a hearing loss in the first two or three years in the life and as a consequence does not acquire language naturally considered deaf".

अमेरिकन स्कूल फोर दि डेफ के अनुसार "जिनमें श्रवण संवेदना जीवन के सामान्य कार्यो के लिए निष्क्रिय रहती हैं वह बहरे बालक होते हैं।

According to American School for the Deaf "The deaf are those in whome the sense of hearing is non-functional for the ordinary of life"

ऊचॉ सुनने वाला – हौलाहेन एवं कॉफमैन के अनुसार वर्ष "वह बालक जिसने भाषा सीखने के पश्चात् ध्वनि में अंतर कर पाने की समस्त योग्यता खो दी हो, वह ऊचॉ सुनने वाला बालक कहलाता है, यदि उसकी भाषा समझने की योग्यता शेष हो।

Hard of Hearing- According to Hallahan and and Kauffman year "who loses all ability to detect sound after having learned language is called hard of hearing, if his speech remains understandable"

3.5 श्रवण विकलांग होने का समय

बधिर बालकों के सहायता के लिए एवं उनके सामर्थ्य के विकास के लिए सबसे पहले हमें बालक की वृद्धि एवं विकास से संबंधित प्रभावों को जानने की आवश्यकता है। श्रवण विकलांगता किस प्रकार बालक की वृद्धि एवं विकास एवं विकास को प्रभावित करता है यह बालक की विकलांगता के समय अर्थात् वह कब श्रवण विकलांग हुआ एवं उस विकलांगता के स्तर पर भी निर्भर करता है।

उपरोक्त के आधार पर हम बालकों को मुख्यता दो श्रेणियों में विभजित करते है:–

1. भाषीय विकास पूर्व बधिरता जिसे हम जन्मजात श्रवण विकलांगता भी कहते है
2. भाषीय विकास पश्चात् बधिरता जिसे हम जन्म के उपरांत अर्थात् जन्म के बाद होने वाले श्रवण विकलांगों को शामिल करते है।

3.6 जन्मजात श्रवण विकलांग व्यक्तियों की चुनौतियां

जन्म वाणी के माध्यम से संप्रेषण किसी भी सकलांग व्यक्ति के लिए प्राथामिक एवं सबसे आसान संप्रेषण का माध्यम है। श्रवण इंद्रिय की क्षति अथवा अनुपस्थिति में व्यक्ति वातावरण के द्वारा प्राप्त अधिगम के अवसरों में कमी आ जाती है एवं वातावरण एवं मानव ध्वनि को पहचानने में भी असमर्थ रहता है। श्रवण विकलांग व्यक्ति एवं ऊंचा सुनने वाले व्यक्ति संगीत एवं अन्य ध्वनियों को सुनने में भी असमर्थ रहते है। ऐसा देखा गया है कि जो बालक श्रवण विकलांग माता–पिता के घर जन्म लेते है वह आसानी से अपने घर में वातावरण में संप्रेषण करने में सक्षम होते हैं। हालॉ कि अधिकांश श्रवण विकलांग बालक सामान्य माता–पिता के घर में जन्म लेते है।

जन्म के समय से श्रवण विकलांग बालकों को वाणी भाषा को प्राप्त करने एवं बोलने में काफी समस्याओं को सामना करना पडता है। जिसके परिणामस्वरूप

समुदाय के व्यक्तियों एवं वातावरण के मध्य संप्रेषण करने में बाधाएं उत्पन्न होने लगती है।

इस प्रकार की संप्रेषण बाधाएं श्रवण विकलांग बालकों के समक्ष निम्न समस्याओं का पैदा करता है:–

1. बालक के समाजिक विकास एवं नैतिक विकास में श्रवण विकलांगता का व्यापक प्रभाव पडता है। श्रवण क्षमता के आभाव में बालक अपने परिवार के सदस्यों एवं संबंधित व्यात्कियों द्वारा समाजिक एवं नैतिक मूल्यों को प्राप्त करने में अक्षम हो जाता है।
2. प्रारम्भिक 0 से 5 वर्ष के आयु के अंदर बालक द्वारा अपने भाई–बहनों एवं साथियों के साथ खेलता है। श्रवण विकलांगता के कारण बालक बाल्यावस्था के ज्ञान एवं कौशलों को प्राप्त नहीं कर पाते। जो एक सामान्य बालक आसानी से प्राप्त कर लेते हैं ।
3. गुणवत्ता परक शिक्षा, शरीर का ध्यान रखने संबंधी शिक्षा एवं सामाजिक सुख–सुविधाएं जैसी सेवाओं को प्राप्त करने में श्रवण विकलांग बालक असमर्थता महसूस करते है।
4. समाजिक कार्यक्रम जैसे शादी, जन्म दिन के कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने में समस्या आती है।
5. समुदाय जहॉ पर श्रवण विकलांग बालक रहते है में प्रभाव पूर्ण तरीके से सहभागिता करने में असक्षम रहते है एवं समाज के विभिन्न क्रियाकलापों में शामिल होने में समस्या आती है।
6. अपने भाई–बहन एवं मित्रों के साथ खेलते समय प्राप्त प्रत्ययों, ज्ञान, कौशल एवं अभिवृति पर भी श्रवण विकलांगता का प्रभाव पडता है।
7. स्नेह एवं सुरक्षा की भावना पर भी श्रवण विकलांगता का व्यापक प्रभाव पडता है।
8. धर्म एवं धर्मिकता के बढावे पर भी श्रवण विकलांगता का कुप्रभाव पडता है।

3.7 जन्म के उपरांत श्रवण व्यक्तियों के समक्ष चुनौतियां

जैसा कि आप जानते है कि जन्म के उपरांत श्रवण विकलांगता के अंतर्गत् ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित किया ज़ाता है जिनकी श्रवण विलांगता से पूर्व ही भाषा का विकास हो चुका हो। ऐसे श्रवण विकलांग व्यक्तियों भाषीय विकास पश्चात् बधिरता कहते है।

भाषीय कौशल के विकास के उपरांत जब व्यक्ति द्वारा पूर्व में ही वाणी का उपयोग कर रहा हो। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की श्रवण जाने के उपरांत काफी बडा

सदमा लग सकता है। श्रवण विकलांग बालक पर श्रवण विकलांगता के प्रभाव की गंभीरता मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी श्रवण विकलांगता के प्रारम्भिक अवस्था के सदमें को कम करने के लिए श्रवण विकलांग बालक को किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई थी तथा बालक को किस प्रकार नये वातावरण एवं परिस्थितियों में समायोजन हेतु सहायता प्रदान की जाती थी।

जन्म के उपरान्त श्रवण विकलांग/अक्षम किसे कहेंगे और उसकी वजह से उसे कौन सी भाषायी या अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

श्रवण विकलांग बालकों को सबसे बडा सदमा इस बात से लगता है कि बालक की वाणी एवं भाषा बहुत अधिक प्रभावित हो जाती है। इस स्थिति में बालक यह तो बता सकता है कि उसे किस चीज की आवश्यकता है। परंतु वह अपने व दूसरों के द्वारा कही बातों को सुनने में असक्षम होता है। इसके परिणामस्वरूप श्रवण विकलांग बालक एवं अन्य व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण में बाधा उत्पन्न हो जाती है।

जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि भाषा सामाजिक अंतः क्रिया, शिक्षा, रोजगार एवं समाज में प्रतिभाग करने के लिए आवश्यक होती है। श्रवण विकलांगता के प्रभाव से बालक के समाजिक जीवन तत्काल रूप से प्रभावित होता है एवं वह अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण किया करने में असफल होता है।

श्रवण विकलांगता के कारण बालक संवेगात्मक रूप से भी काफी प्रभावित होता है। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैः–

1. अचानक वह दूसरों एवं स्वयं के द्वारा कही जाने वाले बातों को सुनने में असक्षम हो जाता है।
2. संप्रेषण कौशल में बाधा के परिणाम स्वरूप दूसरों से समाजिक अंतःक्रिया करने में असमर्थ होता है।

श्रवण विकलांगता के कारण बालक को ऐसा लगता है कि वह अन्य व्यक्तियों से भिन्न है एवं उनका समाजिक वातावरण में श्रवण विकलांगता बाधक बन गई है। श्रवण विकलांगता के करण सामान्य बालकों के साथ संप्रेषण स्थापित करने के लिए सहनशीलता की कमी दिखाई देती है या वह श्रवण विकलांग बालकों से संप्रेषण करने में इच्छुक नही होते। जिसके कारण श्रवण विकलांग एवं सामान्य बालकों में संप्रेषण प्रकिया नही हो पाती। श्रवण विकलांगता के कारण बालक की अपने परिवार एवं साथियों के साथ संबंध प्रभावित होते है।

जन्म के उपरांत हुए श्रवण विकलांग अपने Traumatic अनुभवों एवं कुंठा के कारण परिवार, दोस्तों एवं साथियों से अलगाव महसूस करने लगता है एवं ऐसा महसूस करता है कि उसके सभी व्यक्यिों से संबंध विच्छेद हो गया हो।

यदि बालक विद्यालय में अध्ययनरत् है तो उसका शैक्षिक प्रदर्शन बहुत प्रभावित होता है एवं धीरे–धीरे उसके शैक्षिक प्रर्दशन में भी कमी दिखायी पडत्रती है।

उपरोक्त चर्चा केवल उन श्रवण विकलांग बालकों हेतु की गई थी जो पूर्ण रूप से श्रवण विकलांग थे अर्थात् जिनमें सुनने की क्षमता पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है।

आईए अब हम श्रवण विकलांगता के प्रभाव उन व्यक्त्यिों या बालकों पर देखते है जिन बालकों को ऊॅचा सुनाई देता है। ऊॅचा सुनने वाले बालकों पर श्रवण विकलांगता के निम्न प्रभाव पडते है:–

1. श्रवण विकलांग बालकों को निदेशन के माध्मय से बालक को सामान्यता: बोलने एवं लिखने में कठिनाई का समाना करना पडता है। इसके परिणामस्वरूप श्रवण विकलांग बालकों को अधिगम प्रकिया पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

2. ऊॅचा सुनने वालों के लिए किसी प्रकार का उपयुक्त उपकरण उपलब्ध नही है। ऐसी कक्षा जहॉ पर काफी शोर होता हो ऐसी परिस्थिति में श्रवण विकलांग वह सभी बातों को सुनने में असमर्थ होता है जो उसके साथियों एवं अध्यापक द्वारा कक्षा में पढाई या बताई गयी। जिसके कारण श्रवण विकलांग बालक का प्रर्दशन विकृत या खराब हो सकता है क्योकि कक्षा में पढाई गये बातें बालक नही सुन सका।

3. सामान्य बालकों के द्वारा श्रवण विकलांग बालकों के साथ संप्रेषण करने में अपने आप को बोझिल महसूस करते है। जिसके कारण वह श्रवण विकलांग बालकों के साथ संप्रेषण करने से बचने की कोशिश करते है। जिसके कारण बालक समाजिक एवं संवेगात्मक रूप से प्रभावित होता है।

बोध प्रश्न –

टिप्पणी – क : नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिये–

ख : इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों में से अपने उत्तर का मिलान कीजिये–

1. श्रवण विकलांगता का वर्णन कीजिए ?

....

....

....

2. श्रवण का सीमा स्तर क्या होता है ?

....

....

....

3. भाषा क्यों आवश्यक होती है ?

....

....

....

3.8 सारांश

व्यक्ति के जीवन में श्रवण क्षमता का अपना एक विशेष स्थान है। श्रवण शक्ति के अनुपस्थिति में व्यक्ति की संपूर्ण जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। परंतु इसके उपरांत भी भारत जैसे विकासशील देख में श्रवण विकलांगों की काफी संख्या है। परंतु इन श्रवण विकलांगों की जनसंख्या में यह जानना अतिआवश्यक है कि कितने श्रवण विकलांग भारतीय अधिनियम के अंर्तगत् श्रवण विकलांगता की श्रेणी में आते है। निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 के अनुसार 'श्रवण शक्ति का ह्रास ' से अभिप्रेत है संवाद संबंधी रेंज की आवृति में बेहतर कर्ण में साठ डेंसीबल या अधिक की हानि" श्रवण विकलांगता कहलाती है। जबकि डब्लू0 एच0 ओ0 के अनुसार "श्रवण की सीमा स्तर 26 डेंसीबल से 40 डेंसीबल या एक मीटर की दूरी पर सामान्य आवाज में शब्दों की पुनवर्तित की आवश्यकता होती हैं हांलकि व्यक्ति द्वारा सामान्यतः सुननें में कुछ समस्याएं होती हैं परंतु सामान्य बातचीत या वार्तालाप को सुन सकते हैं। श्रवण विकलांगता को निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: बहरापन या बहरे बालक एवं ऊँचा सुनने वाला।

बधिर बालकों के सहायता के लिए एवं उनके सामर्थ्य के विकास के लिए सबसे पहले हमें बालक की वृद्धि एवं विकास से संबंधित प्रभावों को जानने की आवश्यकता है। श्रवण विकलांगता किस प्रकार बालक की वृद्धि एवं विकास एवं विकास को प्रभावित करता है यह बालक की विकलांगता के समय अर्थात् वह कब श्रवण विकलांग हुआ। जिसके आधार पर हम बालकों को मुख्यता दो श्रेणियों में विभजित करते है:— भाषीय विकास पूर्व बधिरता जिसे हम जन्मजात श्रवण विकलांगता भी कहते है एवं भाषीय विकास पश्चात् बधिरता जिसे हम जन्म के उपरांत अर्थात् जन्म के बाद होने वाले श्रवण विकलांगों को शामिल करते है।

श्रवण विकलांग होने की आयु बालकों के जीवन से संबंधित सभी क्रियाकलापों पर प्रभाव डालती है। यह क्रियाएं बालक की दैनिक दिनचर्या, समाजिक संबंध एवं शैक्षिक विकास से संबंधित हो सकती है।

3.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. श्रवण विकलांगता को निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

   ....

   ....

2. श्रवण का सीमा स्तर 26 डेंसीबल से 40 डेसीबल होता है।

   ....

3. भाषा सम्प्रेषण का माध्यम है।

3.10 अभ्यास के प्रश्न

1. श्रवण विकलांगता को परिभाषित कीजिये।
2. डब्लू0 एच0 ओ0 के अनुसार श्रवण विकलांगता को परिभाषित कीजिये।
3. भाषीय विकास पूर्व बधिरता एवं भाषीय विकास पश्चात् बधिरता से आप क्या समझते है?
4. भाषीय विकास पूर्व बधिरता का बालक पर क्या प्रभाव पडता है?
5. भाषीय विकास पश्चात् बधिरता का बालक पर क्या प्रभाव पडता है?

3.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. Krik, Samuel A. (2006). Educating Exceptional Children. Houghton Mifflin Company: Boston
2. Davis, E. Williams (1980). Resource Guide to Special Education. Allyn and Bacm: Massachusettes
3. Persons with Disability (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act. 1995- Government of India

खण्ड : दो

श्रवण विकलांगता या क्षति का प्रभाव

इकाई - 4 5
श्रवण विकलांगता की विशेषताएँ एवं संप्रेषण पर प्रभाव

इकाई - 5 12
श्रवण विकलांगों के सम्प्रेषण विकल्प

इकाई - 6 19
श्रवण विकलांग बालकों की साक्षरता विकास एवं शैक्षिक उपलब्धि तथा तकनीकी सहायता

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

प्रो0 एम0 पी0 दुबे	कुलपति, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

विशेषज्ञ समिति

प्रो0 एस0पी0 गुप्ता	पूर्व निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
प्रो0 के0एस0मिश्रा	आचार्य, शिक्षा शास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
प्रो0 अखिलेश चौबे	पूर्व आचार्य, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
प्रो0 विद्या अग्रवाल	आचार्य, शिक्षा शास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
प्रो0 प्रतिभा उपाध्याय	आचार्य, शिक्षा शास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

लेखक

डा0 विनोद केन	असि. प्रोफेसर, एन.आई.वी.एच., देहरादून

सम्पादक

प्रो0 पी0सी0शुक्ला	आचार्य, शिक्षा संकाय, बी0एच0यू0, वाराणसी

परिमापक

प्रो0सीमा सिंह	आचार्य, शिक्षा संकाय, बी0एच0यू0, वाराणसी

समन्वयक

डॉ0 रंजना श्रीवास्तव	प्रवक्ता, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

प्रकाशक

डॉ0 राजेश कुमार पाण्डेय	कुलसचिव, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

© उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

ISBN-UP-978-93-83328-05-5

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्यसामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

नोट : पाठ्य सामग्री में मुद्रित सामग्री के विचारों एवं आकड़ों आदि के प्रति विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं है।

B.Ed.SE-03 : इन्द्रिय विकलांगता का परिचय

खण्ड–एक श्रवण विकलांगता : प्रकृति एवं वर्गीकरण

इकाई–1 श्रवण की महत्त्व एवं विभिन्न इन्द्रियॉ

इकाई–2 श्रवण की प्रक्रिया एवं विभिन्न प्रकार के श्रवण दोष

इकाई–3 श्रवण विकलांगता एवं उसके प्रभाव

खण्ड–दो श्रवण विकलांगता या क्षति का प्रभाव

इकाई–4 श्रवण विकलांगता की विशेषताऍ एवं संप्रेषण पर प्रभाव

इकाई–5 श्रवण विकलांगों के सम्प्रेषण विकल्प

इकाई–6 श्रवण विकलांग बालकों की साक्षरता विकास एवं शैक्षिक उपलब्धि तथा तकनीकी सहायता

खण्ड–तीन दृष्टिबाधिता – प्रकृति एवं मूल्यांकन

इकाई–7 दृष्टिबाधिता एवं देखने की प्रक्रिया

इकाई–8 जनसंख्या संबंधी ऑकड़े

इकाई–9 प्रारम्भिक पहचान एवं हस्तक्षेप

खण्ड–चार दृष्टिबाधितों के शैक्षिक निहितार्थ

इकाई–10 दृष्टिहीनता के प्रभाव

इकाई–11 शिक्षा के सिद्धान्त

इकाई–12 विस्तृत सामान्य पाठ्यक्रम

खण्ड–पॉच बधिरांधता

इकाई–13 बधिरांधता कारण, विशेषताऍ एवं शिक्षा तथा दैनिक क्रियाओं पर बधिरांधता का प्रभाव

इकाई–14 बधिरांधता की पहचान, मूल्यांकन एवं हस्तक्षेप

इकाई–15 बधिरांध बालकों की शैक्षिक आवश्यकता

खंड–परिचय–2– श्रवण विकलांगता या क्षति का प्रभाव

इकाई–4– प्रस्तुत इकाई में श्रवण विकलांग बालकों की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्रवण विकलांगता का संप्रेषण पर विभिन्न प्रभावों को बताया गया है। श्रवण विकलांगता के कारण बालकों के शब्दकोष के प्रभाव को भी बताया गया है।

इकाई–5– इकाई के इस भाग में श्रवण विकलांग बालकों हेतु उपलब्ध संप्रेषण कौशलों के विकल्पों के बारे में चर्चा की गई है तथा यह भी बताया गया है कि किस प्रकार के श्रवण विकलांग बालकों को किस प्रकार के संप्रेषण विकल्प उपयोगी हो सकते है।

इकाई–6– प्रस्तुत इकाई में श्रवण विकलांग बालकों की साक्षरता के बारे में चर्चा की गई है जिसमें साक्षरता का अर्थ, उसमें सम्मिलित विभिन्न तत्वों के बारे में चर्चा की गई है। श्रवण विकलांग बालकों की शैक्षिक उपलब्धि एवं उस पर पडने वाले प्रभावों के बारे में बताया गया है तथा श्रवण विकलांगों की शिक्षा, पुनर्वास आदि के लिए उपलब्ध सहायक तकनीकों के बारें में बताया गया है।

इकाई–4–श्रवण विकलांगता की विशेषताएं एवं संप्रेषण पर प्रभाव

इकाई की संरचना –

4.1 प्रस्तावना

4.2 उद्देश्य

4.3 श्रवण विकलांगता की विशेषताएं

4.4 संप्रेषण पर श्रवण विकलांगता का प्रभाव

4.5 सारांश

4.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

4.7 अभ्यास के प्रश्न

4.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

4.1 प्रस्तावना

किसी भी बालक में श्रवण इंद्रिय का महत्व अन्य इंद्रिय के समान ही होता है। बालक को किसी भी अन्य बालक व्यक्ति, माता–पिता या समाज के अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि बालक की श्रवण क्षमता अच्छी हो। यदि प्रारंभिक अवस्था में ऐसा आभास होने लगे कि बालक की श्रवण क्षमता में किसी प्रकार को दोष है तो माता–पिता को चाहिए कि वह बालक की श्रवण क्षमता की जांच कराये और बालक की श्रवण क्षमता के बारे में पता लगाये।

श्रवण क्षमता के बारे में जानने का मुख्य कारण यह है कि यदि बालक को श्रवणता से संबंधित किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसका सीधा प्रभाव बालक की भाषा विकास पर पड़ता है क्योकि ध्वनि के प्रतिक्रिया की कमी का प्रभाव सीधे–सीधे बालक के संप्रेषण कौशल पर पड़ता है। बालकों में श्रवण दोषों के विभिन्न स्तर हो सकते है जिनका प्रभाव बालक के बोलचाल की भाषा पर भी पड़ता है।

4.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

- आप श्रवण बाधित बालकों की विशेषताओं को समझ सकेंगे।
- आप श्रवण बाधिता का बालक के संप्रेषण के प्रभाव को जान सकेंगे।
- संप्रेषण का भाषा विकास पर प्रभाव को जान सकेंगे।
- संप्रेषण का वाक्य निर्माण पर प्रभाव को जान सकेंगे।

4.3 श्रवण विकलांगता की विशेषताएं

श्रवण बाधित बालकों की कुछ विशेषताएं होती है जिनके आधार पर हम उन्हें श्रवण बाधिता की श्रेणी में सम्मिलित करते है। श्रवण बाधित बालकों की कुछ सामान्य

विशेषताएं निम्नलिखित हैं:–

1. **भाषा विकास में देरी–** श्रवण बाधित बालकों की सबसे पहली एवं प्रमुख विशेषता श्रवण बाधित बालक की भाषा कौशल के विकास में देरी होती है। भाषा विकास में देरी का मुख्य कारण श्रवण बाधित बालक द्वारा वातावरण में व्याप्त ध्वनि को सुनने में असमर्थता के कारण होता है। श्रवण बाधित बालक द्वारा श्रवण क्षमता में कमी या अनुपस्थिति के कारण बाहय ध्वनि को सुनने में असमर्थ होते है जिसके कारण वह उस ध्वनि या आवाज का प्रतिउत्तर देने में अक्षम होते है एवं उन ध्वनियों के अर्थ को समझने में नाकाम होते है। परिणामस्वरूप श्रवण बाधित बालकों के शब्द कोष में वृद्धि नही होती है जिसका प्रभाव बालक की भाषा विकास पर पडता है।

2. **संप्रेषण एवं भाषा कौशल में समस्या**– आपको इस बात से अवगत करवाना अति आवश्यक है कि बालक के श्रवण बाधिता का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संप्रेषण एवं भाषा विकास को भी प्रभावित करता है। इसका मुख्य कारण है कि यदि बालक किसी ध्वनि को सुनने में असक्षम होता है तो वह उसका प्रतिउत्तर देने में भी असक्षम होगा। श्रवण बाधिता से ग्रसित बालक यदि किसी ध्वनि को सुनने में असमर्थ है जिसके परिणामस्वरूप वह उसका उत्तर नहीं दे पर रहा है तो सामान्य बात है कि इस कारण श्रवण बाधित बालक का संप्रेषण कौशल भी प्रभावित होगा। जैसा कि आप जानते है कि संप्रेषण क्रिया के अंर्तगत किसी एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को कोई बात कही जाती है तथा दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले व्यक्ति की बात का जवाब दिया जाता है तो उस प्रक्रिया में संप्रेषण क्रिया पूर्ण होती है। परंतु श्रवण बाधिता की स्थिति में श्रवण बाधित व्यक्ति द्वारा पहले व्यक्ति की बातों को न सुनना तद्नुसार उस बात का कोई उत्तर नहीं देना ही यह दर्शाता है कि श्रवण बाधित बालक के द्वारा संप्रेषण क्रिया को पूर्ण नही किया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि श्रवण बाधिता बालक के संप्रेषण कौशल को भी प्रभावित करता है।

3. **बोलने की शक्ति के विकास में देरी**– श्रवण बाधिता की एक विशेषता श्रवण बाधित बालक में बोलने की शक्ति के विकास में देरी होना भी है। यहां हम दोनो प्रकार के श्रवण बाधितों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम वह जो पूर्ण रूप से श्रवण बाधित है और जो वातारण में किसी भी प्रकार की ध्वनि को सुनने में असमर्थ है। ऐसे बालकों में ध्वनि से संबंधित उद्दीपक का आभाव होता है जिस कारण यह बालक किसी प्रकार का प्रतिउत्तर नहीं दे पाते जिस कारण इनमें बोलने की शक्ति का विकास नहीं हो पाता। इन बालकों के द्वारा भविष्य में संप्रेषण के अन्य विकल्पों का प्रयोग किया जाता है जिसके बारे में हम अगली इकाई में बात करेंगे। दूसरे प्रकार में उन श्रवण बाधित बालकों को शामिल करते है जिनमें थोडी सी श्रवण क्षमता होती है। इन्हे हम ऊँचा सुनने की श्रेणी में सम्मिलित करते है। इन व्यक्तियों में बोलने की शक्ति में देरी देखी गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस प्रकार के श्रवण बाधित व्यक्ति वातावरण में केवल उन्हीं ध्वनियों को सुनते है जिनकी आवाज काफी ऊँची होती है। ऐसा देखा गया है कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा सामान्य बोलचाल के समय अपनी बातों का स्वर सामान्य

रखते है जिसकों को यह श्रवण विकलांग व्यक्ति आसानी से सुन नहीं पाते। परिणामस्वरूप न तो वह उनकी बातों को समझ पाते है तथा शंकावश वह उन शब्दों को दोबारा कहलवाने में शर्म महसूस करते है जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से बालक की बोलने की क्षमता पर पडता है।

4. **हीनता का अनुभव–** श्रवण विकलांग बालकों में हीनता का अनुभव श्रवण बाधिता की एक ओर विशेषता है। श्रवण बाधित बालकों द्वारा अपने समुदाय में रहने वाले व्यक्तियों के बीच रहने या बातचीत करने में हीनता का अनुभव आ जाता है। इसका मुख्य कारण श्रवण बाधित बालकों में श्रवण क्षमता की कमी। जिसके कारण वह समाज के अन्य व्यक्तियों से सामान्य आवाज में बात करने में असमर्थ होते है। पूर्ण रूप से श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए हीनता का अनुभव काफी विकट हो जाता है उसका मुख्य कारण है कि समुदाय में रहने वाले व्यक्यिों को संकेत भाषा नहीं आती तथा श्रवण बाधित बालक बोलने में असमर्थ होता है। जिस कारण श्रवण बाधित व्यक्ति को समुदाय के लोगों में समावेशित होने में कठिनाई आती है तथा परिणाम स्वरूप श्रवण बाधित बालक में हीनता की भावना घर कर लेती है।

5. **एकांतवास**– एकांतवास भी श्रवण बाधित बालकों की एक विशेषता होती है अक्सर श्रवण बाधित बालक एकांत को पसंद करते है। उसका मुख्य कारण श्रवण बाधित बालकों द्वारा समाज के अन्य वर्गो के साथ संप्रेषण न कर पाने की क्षमता होती है। जिस करण वह अपने आप को एकांत में रखने की कोशिश करते है। एकांत में रहने का एक मुख्य कारण समुदाय में रहने वाले लोगो द्वारा श्रवण बाधित बालकों की हीनता की भावना से देखना भी होता है। जिसके कारण श्रवण बाधित बालक अपने आप को समाज से अलग रखने की कोशिश करते है।

6. **संवेगात्मक विकास में कमी**– श्रवण बाधित बालकों की एक विशेषता उनमें संवेगात्मक विकास की कमी होना भी होता है। संवेगात्मक विकास में कमी का मुख्य कारण प्रारंभ में बालकों द्वारा संवेगों के बारे में ज्ञान प्रदान नही किया जाना है।

उपरोक्त विशेषताओं के साथ–साथ कुछ ऐसी विशेषताएं भी होती है जिन्हें सामान्य कक्षा कक्ष के अध्यापकों द्वारा निरीक्षण के द्वारा भी जान सकता है। ऐसी कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है:–

1. मौखिक निर्देशों के पालन करने में समस्या आना
2. मौखिक भावभिव्यक्ति को समझने में कठिनाई आना
3. अतःक्रिया या समाजिक/संवेगात्मक कौशलों में मुश्किल का आना कक्षा
4. में सामान्य बालक के मुकाबले भाषा विकास में देरी
5. अक्सर किन्हीं बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुनना
6. यदि किसी व्यवहारिक समस्या के कारण उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नही होती है तो वह कुंठा ग्रस्त हो जाते है।
7. कभी –कभी श्रवण वर्धन उपकरण के उपयोग के कारण निम्न स्तर का महसूस करना तथा इस बात का डर सताना कि सहायक उपकरणों के

उपयोग के कारण उनके सहपाठी उन्हें अस्वीकार कर देंगें।

4.4 श्रवण विकलांगता का संप्रेषण पर प्रभाव

व्यक्ति की इद्रियां उसके लिए एक खिडकी का कार्य करती है जो विश्व एवं उसके आस–पास के वातावरण में उपस्थित सूचनाओं से व्यक्ति को अवगत करवाती है एवं व्यक्ति के लिए आवश्यक सूचनाओं को प्राप्त करने में मदद करती है। व्यक्तियों के अन्य ज्ञानेन्द्रियों की तरह ही श्रवण इंद्रिय भी व्यक्ति को उपयुक्त सूचनाओं को प्राप्त करने में काफी सहायता प्रदान करती है। श्रवण ज्ञानइंद्रिय के द्वारा व्यक्ति में संप्रेषण की क्षमता का विकास होता है जिसके द्वारा वह दूसरे से बातचीत करता है आने वाले खतरों को पहचानता है एवं वातावरण के साथ अपनी भावनाओं को जोडता है।

उत्तम संप्रेषण कौशल को प्राप्त करना एवं उसको विकसित करना सभी बालकों एवं उनके परिवारों के लिए काफी कठिन होता है। एक बालक संप्रेषण कौशल की सभी क्रियाएं आने मित्रों, परिवार के सदस्यों एवं समुदाय के सदस्यों के द्वारा सीखता है। उत्तम संप्रेषण कौशल बालकों के मानसिक, संवेगात्मक, व्यक्तिगत एवं सामाजिक कौशलों को विकसित करने में सहायक होता है।

संप्रेषण कौशल मुख्यता द्वि पक्षीय प्रक्रिया होती है जिसके अंर्तगत एक व्यक्ति द्वारा बोले गये शब्द को दूसरे व्यक्ति द्वारा समझा जाता है एवं उसके आधार पर प्रतिउत्तर देता है। यदि पहले व्यक्ति द्वारा बोले गये शब्दों का अर्थ दूसरा व्यक्ति नहीं समझ पाता है जिसके कारण वह कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो इस प्रक्रिया को संप्रेषण प्रक्रिया नहीं कही जा सकती।

आईए अब हम निम्न रेखीय आरेख से संप्रेषण की प्रक्रिया को समझने की कौशिश करते हैः–

संकेतक
↓
संदेश का माध्यम
↓
विसंकेतक

उक्त रेखीय आरेख में संप्रेषण का माध्यम मौखिक, लिखित या संकेतिक भाषा में भी हो सकता है।

संप्रेषण प्रक्रिया के अंर्तगत उपरोक्त सभी तत्व काफी महत्वपूर्ण है इन में से किसी एक तत्त्व की अनुपस्थिति में संप्रेषण प्रक्रिया का पूर्ण होना संभव नही है।

संप्रेषण प्रक्रिया में संकेतक वह व्यक्ति होता है जो किसी सूचना को भेजता है संदेश का माध्यम मौखिक, लिखित या संकेतिक हो सकता है तथा विसंकेतक वह व्यक्ति होता है जिसके पास उस माध्यम से कोई भी सूचना प्राप्त होती हो तथा वह उस प्राप्त सूचना को विसंकेतक करने में सक्षम हो।

आईए, अब हम श्रवण बाधिता का संप्रेषण पर विशेष प्रभावों के बारें में चर्चा करते है

श्रवण बाधिता का शब्द कोष पर प्रभाव

1. श्रवण बाधित बालकों में शब्द कोष का विकास काफी धीमी गति से होता है।
2. श्रवण बाधित बालक मूर्त शब्दों का ज्ञान जैसे बिल्ली, कुत्ता, कूदना अमूर्त शब्दों जैसे पहले, बाद में, बराबर, चिडना आदि के मुकाबले आसानी से ग्रहण कर लेते है।
3. श्रवण बाधित बालक क्रियात्मक शब्दों जैसे **a, an, the** आदि के प्रत्ययों को समझने में कठिनाई महसूस करते है।
4. समय के साथ–साथ श्रवण बाधित एवं सामान्य बालकों के बीच शब्द कोष में अंतर बढता जाता है।
5. श्रवण बाधित बालकों में बिना हस्तक्षेप के शब्द कोष का विकास किया जाना संभव नहीं है।
6. श्रवण बाधित बालकों को उन शब्दों को समझने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पडता है जिनका बहु शाब्दिक अर्थ होते हैं।

श्रवण बाधित बालकों में वाक्य बनाने की क्षमता

1. श्रवण बाधित बालक सामान्य बालकों के मुकाबले छोटे एवं आसान वाक्यों का निर्माण कर पाते है एवं ऐसे ही वाक्यों को समझ पाते है।
2. श्रवण बाधित बालकों के द्वारा लिखे गये मुश्किल वाक्यों को समझने में समस्या का सामना करना पडता है।
3. श्रवण बाधित बालकों का उन शब्दों को सुनने में कठिनाई आती है जिनके बाद में **'S'** या **'ed'** लगा होता है।

उपरोक्त के आधार पर बालकों द्वारा क्रियाओं का उपयोग ठीक प्रकार से नहीं कर पाते है एवं बहुवचन को उपयोग करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

शैक्षिक निष्पत्ति –

1. श्रवण बाधित बालकों को शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में विशेष तौर पर पठन एवं गणितीय कौशलों में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
2. निम्न से अधिक श्रेणी के श्रवण बाधित बालक सामान्यताः अपने सामान्य साथियों एक से चार स्तर तक नीचे होते है।
3. गंभीर से अति गंभीर श्रेणी के श्रवण बाधित केवल तीसरी या चौथी कक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त कर सकते है। शिक्षा के इस स्तर पर पहुंचने हेतु उन्हें प्रारम्भ में ही उपयुक्त शैक्षिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
4. जैसे–जैसे श्रवण बाधित बालक विद्यालय में आगे बढता रहेगा। उनमें एवं सामन्य श्रवण वाले बालकों की शैक्षिक निष्पत्ति में अंतर होता जायेगा।

5. शैक्षिक निष्पत्ति का स्तर माता–पिता का श्रवण बाधित बालकों के साथ सहभागिता तथा सहायक सुविधाओं के गुण, मात्रा एवं समय पर भी निर्भर करता है।

बोध प्रश्न –

टिप्पणी – क : नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिये–

ख : इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों में से अपने उत्तर का मिलान कीजिये–

1. श्रवण बाधित बच्चों के शब्द कोष का विकास कैसा होता है ?

....

....

....

2. श्रवण बाधित बच्चों के संप्रेषण का माध्यम क्या होता है ?

....

....

....

3. श्रवण बाधित बच्चों को कौन सा शब्द सुननें में कठिनाई होती है?

....

....

....

4.6 सारांश

श्रवण बाधित बालकों में कुछ विशेष प्रकार की विशेषताएं होती है जिनके आधार पर उनकी आवश्यकताओं को पहचान कर प्रभावी रूप से पूरा किया जा सकता है। अति गंभीर श्रवण विकलांगता से ग्रसित बालके के संप्रेषण कौशल भी प्रभावित होते है जिससे उसकी शैक्षिक निष्पत्ति, समाजिक विकास, संवेगात्मक विकास भी प्रभावित होता है। श्रवण बाधिता से ग्रसित बालकों में बौद्धिक विकास एवं भाषीय विकास भी गंभीर रूप से प्रभावित होते है।

4.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. काफी धीमी गति से
2. सम्प्रेषण का माध्यम मौखिक, लिखित या सांकेतिक भाषा हो सकता है।
3. जिन शब्दों के अन्त में s या ed लागू होता है।

4.8 अभ्यास के प्रश्न

1. संप्रेषण कौशल के तत्वों के नाम बताइए?
2. श्रवण बाधिता का शैक्षिक निष्पत्ति पर प्रभाव बताइए?

3. अति गंभीर श्रवण बाधित बालक किस कक्षा तक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? दो श्रवण बाधित बालकों का केस स्टेडी आख्या बनाये एवं उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं के बारे में विस्तार से लिखिए तथा उपकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सुझाव दीजिये।

4.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. मिश्र, भरत– विकलांग व्यक्तियों की पहचान
2. तुली, उमा 1996. श्रवणबाधित बच्चों की शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलन
3. Smith Tom. E.C. (2006). Fundamental of Special Education. PHI Learning Pvt. Ltd.: New Delhi

4- Hallahan, Danial P. Exceptional Children : Introduction to Special Education. Vikas Publishing House: New Delhi

इकाई–5–श्रवण बाधितों के संप्रेषण विकल्प

इकाई की रूपरेखा –

5.1 प्रस्तावना
5.2 उद्देश्य
5.3 भारत में श्रवण बाधितों हेतु संप्रेषण विकल्प
5.4 श्रवण बाधितों हेतु संप्रेषण विकल्प
5.4.1 मौखिक संप्रेषण
5.4.2 द्वि भाषीय संप्रेषण/सांकेतिक संप्रेषण
5.4.3 संपूर्ण संप्रेषण
5.5 श्रवण बाधितों के उचित संप्रेषण उपागम
5.6 सारांश
5.7 बोध प्रश्नों के उत्तर
5.8 अभ्यास प्रश्न
5.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

5.1 प्रस्तावना

एक सामान्य व्यक्ति द्वारा विभिन्न प्रकार से संप्रेषण के विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है। वह बातचीत के द्वारा अपने संप्रेषण कौशल को विकसित कर सकता है। बोलचाल एवं बातचीत के द्वारा ही व्यक्ति की विकल्पों के द्वारा भी अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर सकता है इन विकल्पों में लेखन द्वारा, चेहरे के हावभाव द्वारा, विभिन्न संकेतो द्वारा अपनी बात किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्यिों के समूह का बता सकता है। परंतु आपकों यह अवगत करवाना अति आवश्यक है कि अभिव्यक्ति के यह कौशल किसी बोलचाल की भाषा द्वारा ही विकसित होता है।

जैसा कि पूर्वत इकाई में आपको ज्ञात हुआ है कि श्रवण बाधित बालकों द्वारा सुनने की क्षमता में कमी या अनुपस्थिति के कारण बालक के बोलने की क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिसका प्रभाव बालक के संप्रेषण कौशल पर पड़ता है। किसी भी बालक या व्यक्ति के संप्रेषण कौशल के विकास के लिए बालक की भाषा एक प्राथमिक स्त्रोत होती है एवं भाषा की अनुपस्थिति में बालक का संप्रेषण कौशल प्रभावित होता है जिसके कारण पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बालकों को संप्रेषण हेतु किसी अन्य विकल्पों की तलाश की जाती है।

प्रस्तुत इकाई के अंतर्गत हम श्रवण बाधितों हेतु विभिन्न वैकल्पिक संप्रेषण के बारें में चर्चा करेंगें।

5.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

- भारत में श्रवण बाधितों हेतु विभिन्न संप्रेषण विकल्पों के बारे में जान पायेंगे।
- मौखिक संप्रेषण के बारें में जान पायेंगे।
- संपूर्ण संप्रेषण के बारे में ज्ञान प्राप्त कर पायेगे।
- श्रवण बाधित बालकों हेतु द्वि भाषीय संप्रेषण के बारें में जान पायेंगे।
- श्रवण बाधितों हेतु उचित संप्रेषण उपागम बारे में जान पायेंगे।

5.3. भारत में श्रवण बाधितों हेतु संप्रेषण विकल्प

श्रवण बाधित बालकों में संप्रेषण का विकास बोलचाल की भाषा अथवा संकेतिक भाषा या दोनो के द्वारा किया जा सकता हैं। संप्रेषण प्रक्रिया के अंर्तगत बोलचाल की भाषा एवं सांकेतिक भाषा दोनों के प्रयोग की स्थिति में संपूर्ण संप्रेषण का नाम दिया जाता है।

5.4 श्रवण बाधितों हेतु संप्रेषण विकल्प

श्रवण बाधित बालको की श्रवण शक्ति या क्षमता के हास के कारण उन्हें अपने द्वारा किये जाने वाले संप्रेषण हेतु बोलचाल की भाषा के साथ–साथ संप्रेषण के कुछ अन्य विकल्पों की भी तलाश जाती है ताकि वह समाज में रहने वाले अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण करने में सहायक हो सके। इकाई के इस भाग में हम आपकों मौखिक संप्रेषण, सम्पूर्ण संप्रेषण एवं द्वि भाषीय संप्रेषण के बारे में विस्तार से बताएंगे।

5.4.1 मौखिक संप्रेषण

श्रवण बाधित बालकों द्वारा इस उपागम पर तभी केन्द्रित किया जा सकता है जब श्रवण बाधित बालकों तक ध्वनि को ध्वनि वर्धन उपकरण जिसे श्रवण उपकरण कहा जाता है या इलेक्टोनिक उपकरण जैसे कोकिल्यर को आरोपित कर दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य श्रवण बाधित बालकों में **receptive** एव **expressive** भाषा कौशल का विकास सुनने एवं भाषा विकास के द्वारा करना होता है। **receptive** कौशल का अभिप्राय मुख्यता: बालक की सुनने एवं समझाने की क्षमता से होता है। प्राथमिक स्तर पर **expressive** कौशल का अभिप्राय श्रवण बाधित बालक द्वारा भाषा के बोलने से होता है।

श्रवण बाधित बालकों हेतु श्रवण यंत्र मुख्यता बालक की बची हुई श्रवण क्षमता को बढ़ना होता है जिसके परिणामस्वरूप उसकी सुनने एवं बोलने की क्षमता का विकास हो सके। श्रवण बाधित बालक के कान में कोकल्यिर स्थापित करने का उद्देश्य बालक को प्रत्यक्ष रूप से ध्वनि के प्रति उद्दीपकता को प्रोत्साहन हेतु किया जाता है जो कि सीधा कान की श्रवण धमनी एवं मस्तिष्क तक उस ध्वनि को पहुंचाये। ताकि श्रवण बाधित बालक अपनी आश्रित या बची हुई श्रवण क्षमता या प्रकृति श्रवण क्षमता पर निर्भर न रहे। इस श्रवण यंत्र को स्थापित करने के अन्य कारक भी हो सकते है जैसे बालक की श्रवण बाधित के बारे में पता लगने की आयु, पूर्व में श्रवण

उपकरण की फिटिंग, श्रवण बाधित बालक का व्यक्तित्व एवं मनोदशा, बालक की व्यक्तिगत योग्यता आदि।

अधिकांश श्रवण बाधित बालकों की कुछ श्रवण क्षमता होती है एवं आधुनिक **डिजिटल श्रवण उपकरणों के उपयोग के साथ–साथ वह अपनी** receptive एव expressive भाषा कौशल का विकास करने में सक्षम होते है। अधिकांश श्रवण बाधित बालक मुख्यधारा के विद्यालयों में पंजीकृत होते है। जिन श्रवण बाधित बालकों गंभीर श्रवण बाधिता से ग्रसित होते है उन्हें समावेशी विद्यालयों या मुख्यधारा के विद्यालय में एक विशेष इकाई में अधिगम हेतु जाना होता है अथवा उन्हें श्रवण बाधित के ग्रसित बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय में प्रवेश लेना होता है।

मौखिक संप्रेषण के विकास हेतु बालक को अपनी क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करना पड़ता है तथा एक अच्छे श्रव्य विशेषज्ञ की सहायता लेनी चाहिए। श्रवण उपकरणों के प्रति हमेशा सजग रहना चहिए उनकी देखभाल करते रहना चाहिए, आवश्यकता पडने पर समय पर सुधार करवा लेना चाहिए जिससे के ध्वनि वर्धक यंत्र में किसी भी प्रकार विध्न को कम से कम किया जा सकें।

वर्तमान में अधिकांश विशेषज्ञ मौखिक संप्रेषण को अधिकाधिक प्रयोग में लाने हेतु वकालत करते है इसके मुख्य कारण निम्न लिखित हैं:–

1. मौखिक संप्रेषण श्रवण बाधित बालकों का एक अच्छी अंतःक्रिया करने में सहायक होती है।
2. भाषा श्रवण बाधित बालक को समाज के साथ प्रत्यक्ष रूप से जोडने में सहायक होते है।
3. इसका उपयोग इसलिए भी किया जाता है कि अधिकांश श्रवण बाधित बालकों में श्रवण की कुछ क्षमता होती है जिसका उपयोग वह मौखिक संप्रेषण हेतु कर सकता है।
4. विश्व में भाषा/बोली के विज्ञान (Speech Science) में विकास के कारण मौखिक संप्रेषण के विकास में सहायता मिल रही है।
5. विशिष्ट शिक्षा के विकास के कारण भी मौखिक संप्रेषण के विकास में सहायता मिल रही है।

मौखिक संप्रेषण कुछ निम्न सीमाएं भी हैः–

1. विशेषज्ञ या चिकित्सक कितनी ही अच्छा ध्वनि वर्धक यंत्र का बालक के कान में स्थापित क्यों न कर दें। परंतु इसके उपयोग के लिए कठिन प्रशिक्षण लेना होता है जोकि भारत जैसे देश में सामान्य बात नहीं है।
2. श्रवण बाधिता के क्षेत्र में तकनीकी काफी ऊपर तक पहुंच गयी है परंतु भारत जैसे विकासशील देश में पहुंचने में अभी काफी समय लगेगा। और यदि यह तकनीक भारत में उपलब्ध है तो उसकी कीमत काफी अधिक रहती है। जो कि एक सामान्य व्यक्ति या बालक द्वारा वहन करने में सक्षम नही होता।

3. मौखिक संप्रेषण हेतु लगातार एवं कठिन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है तथा बालक को मूलभूत संप्रेषण हेतु भी काफी प्रयत्न करना पड़ता है। जिसका कभी–कभी श्रवण बाधित बालक पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है।
4. मौखिक संप्रेषण में दक्षता प्राप्त करना एक धीमी एवं थका देने वाली प्रक्रिया होती है। कभी कभी बालक इसकी धीमी उन्नति के चलते अपनी क्रटिकल आयु को मिस कर जाता है। बाद में उपयुक्त भाषा एवं बोली पर पकड़ रखने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

5.4.2 द्वि भाषीय संप्रेषण/सांकेतिक संप्रेषण

जैसा कि आप सभी अस बात से अवगत है कि दृष्टि संप्रेषण का प्राथमिक तरीका होता है। सांकेतिक भाषा को बालक के संप्रेषण की प्रथम भाषा माना जाता है। मौखिक भाषा जैसे हिन्दी, अंग्रेजी, पंजाबी आदि समाज की दूसरी भाषाओं को विद्यालय के माध्यम से पढ़ाया जाता है। वाणी या बोली पठन जिसे लिप पठन भी कहा जाता है श्रवण बाधित बालकों हेतु एक सहायक प्रणाली के रूप में प्रयोग की जाती है। वह बालक जो भारतीय सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं का यह मानना है कि श्रवण बाधित बालकों को देखने की जैविक प्रणाली सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने हेतु उस प्रकार प्रभावी रूप से तत्पर रहते हैं जिस प्रकार एक सामान्य बालक अपने मौखिक प्रणाली का प्रयोग करता है। सांकेतिक भाषा को प्रथम भाषा के रूप में कार्य करते है जिससे वह भाषा के मूलभूत योग्यता का निर्माण करने में सहायक होते हैं।

इसके कुछ निम्नलिखित गुण होते हैः–

1. यदि श्रवण बाधित बालक का भाषा विकास आयु के अनुरूप होता है तो इसका प्रभाव बालक की साक्षरता, विकास, ज्ञान एवं व्यक्तित्व पर पड़ता है। जैसा
2. कि आपको ज्ञात है कि दृष्टि संप्रेषण एक संप्रेषण का आसान तरीका होता है। जिसके द्वारा श्रवण बाधित बालकों को अधिक संघर्ष करने की आवश्यकता नही होती है एवं तृप्ति तथा आनंदपूर्वक संप्रेषण प्रक्रिया होती है। जिसका बालक के व्यक्तित्व पर धनात्मक प्रभाव पडता है।
3. आशाओं के विपरीत ऐसा विश्वास किया जाता है कि सांकेतिक भाषा के उपयोग करने वाले श्रवण बाधित बालकों को मुख्यधारा में शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होती है एवं वह मुख्यधारा के विद्यालयों अपने आप को समायोजित करने में सक्षम होते है। जिससे समावेशन को बढावा एवं मजबूती मिलती है।

सीमाएं

1. ऐसा माना जाता है कि 95 प्रतिशत श्रवण बाधित बालक सकलांग माता–पिता के घर जन्म लेते है जिन्हे सांकेतिक भाषा का कोई ज्ञान नही होता है। उनके द्वारा किस प्रकार बालक की प्रारंभिक अवस्था में सांकेतिक भाषा को अपने श्रवण बाधित बालक के समक्ष प्रर्दर्शित करेंगे? यह श्रवण विकलांग बालकों के साथ सांकेतिक भाषा में बहुत बड़ा बाधक है।

2. भारत जैसे विकासशील देश में सांकेतिक भाषा के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की आवश्यकताओं से अधिक कमी है।

3. सांकेतिक भाषा के उपयोग करने वाले श्रवण बाधित व्यक्तियों को सामुदायिक कार्यक्रम एवं अन्य समारोह में अनुवाद करने वालों की आवश्यकता होती है जो कहीं न कहीं संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।

5.4.3 संपूर्ण संप्रेषण

श्रवण बाधित बालकों के लिए संप्रेषण का तृतीय तरीका संपूर्ण संप्रेषण होता है। संपूर्ण संप्रेषण के अंर्तगत उपरोक्त दो प्रकार के संप्रेषण प्रक्रिया का एक साथ उपयोग किया जाता है। संपूर्ण संप्रेषण के अंर्तगत बालकों को सभी उपलब्ध संप्रेषण तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिसके द्वारा एक श्रवण बाधित बालक वातावरण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो। उपरोक्त दोनो संप्रेषण प्रकिया के गुण एवं दोष संपूर्ण संप्रेषण के गुण व दोष होते है। संपूर्ण संप्रेषण के अंर्तगत सुनना एवं बोलना/वाणी के तरीके को संप्रेषण का प्राथमिक तरीका माना गया है। सांकेतिक भाषा का इनके साथ–साथ उपयोग में लाया जाता है। संपूर्ण संप्रेषण की प्रक्रिया में संप्रेषणकर्ता वाणी एवं संकेत अथवा सुनना व देखना दोनो प्रक्रियाओं का उपयोग साथ–साथ करते है। लिप पठन संपूर्ण संप्रेषण में सहायक प्रणाली के रूप में अधिकांश प्रयोग किया जाता है। कुछ विशेषज्ञों का यह मानना है कि श्रवण विकलांग बालको के द्वारा यदि सांकेतिक भाषा का अधिकाधिक उपयोग किया जाता है तो उनमें वाणी एवं श्रवण कौशलों को सीखने की उत्सुकता में कमी आयेगी। परंतु अब तक हुए शोधों में ऐसा कहीं भी नही मिला है।

5.5 श्रवण विकलांगों के उचित संप्रेषण उपागम

श्रवण विकलांग बालकों अथवा उसके अभिभावकों को संप्रेषण कौशलों के चुनाव करते समय निम्न बालकों का ध्यान रखना आवश्यक है:–

1. **श्रवण विकलांगता का स्तर**– श्रवण बाधित बालकों या अभिभावकों को उनके लिए संप्रेषण विकल्पों का चयन करते समय बालक के श्रवण क्षमता या श्रवण बाधिता के स्तर को जानना अति आवश्यक होता है। क्योकि मंद श्रवण बाधित के द्वारा उपयोग में किये गये संप्रेषण कौशल गंभीर श्रवण बाधिता से ग्रसित बालक के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता है।

2. **परिवार की श्रवण क्षमता का स्टेटस**– जैसा कि विदित है कि लगभग 95 प्रतिशत श्रवण बाधित बालक ऐसे परिवार में जन्म लेते है जिनके माता–पिता सकलांग होते है। अतः श्रवण बाधित बालकों हेतु संप्रेषण प्रक्रिया का चुनाव करते समय आवश्यक है कि परिवार में रहने वाले व्यक्तियों की श्रवण क्षमता एवं उनके द्वारा उपयोग किये जाने वाले संप्रेषण कौशलों से अवगत होना चाहिए।

3. **मातृत्व भाषा–** श्रवण विकलांगों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले संप्रेषण कौशलों में उस भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए जो बालक की मातृत्व भाषा होती

है तथा जिस भाषा का उपयोग माता–पिता द्वारा अपने घर में किया जाता है।

4. **श्रवण बाधित बालक द्वारा संप्रेषण** कौशल के विकास के लिए बालक की आवश्यकताओं एवं पसंद को भी ध्यान में रखना चाहिए। तथा यह भी देखना चाहिए कि बालक क्रियात्मक कार्य हेतु सांकेतिक भाषा का उपयोग करता है अथवा मौखिक भाषा का।

परंतु श्रवण बाधित बालकों के अधिकांश परिवारों में देखा गया है कि श्रवण बाधित बालकों से सांकेतिक भाषा एवं मौखिक भाषा दो का प्रयोग करके संप्रेषण क्रिया को पूर्ण करते हैं। यह कभी भी नहीं माना जाता है कि सांकेतिक भाषा का ही अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। हम किसी भी संप्रेषण प्रक्रिया को पूर्ण रूप से उपयुक्त नही मान सकते। संप्रेषण के तरीके विभिन्न समयों पर, विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न व्यक्तियों तथा विभिन्न संदर्भो में अलग–अलग हो सकते है। व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए संप्रेषण कौशलों का चुनाव किया जा सकता है तथा संप्रेषण कौशल का चुनाव इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की सलाह से भी किया जा सकता है।

बोध प्रश्न –

टिप्पणी – क : नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिये–

ख : इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों में से अपने उत्तर का मिलान कीजिये–

1. कोकिल्यर उपकरण क्या है ?

....

....

....

2. प्रथम भाषा किसे माना जाता है ?

....

....

....

3. मौखिक सम्प्रेषण कैसे सम्भव है?

....

....

....

5.6 सारांश

श्रवण बाधित बालकों हेतु विभिन्न प्रकार के सप्रेषण कौशल उपलब्ध है इनमें मुख्यता तीन प्रकार के संप्रेषण कौशलों को उपयोग किया जाता है– मौखिक संप्रेषण,

सांकेतिक संप्रेषण तथा संपूर्ण संप्रेषण कौशल। इन तीनों कौशलों के कुछ गुण एवं सीमाओं को बताया गया है। सभी श्रवण बाधित बालक एक या एक से अधिक संप्रेषण कौशलों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है एवं आवश्यकतानुसार उन सभी कौशलों को या उनमें से किसी एक कौशल का उपयोग कर सकता है यह श्रवण विकलांग बालक की श्रवण क्षमता, परिवार में श्रवणता का इतिहास तथा बालक की आवश्यकताओं, वातावरण एवं अन्य उपागमों पर निर्भर करता है। परंतु संप्रेषण कौशल का बालक की आवश्यकताओं एवं क्षमता पर निर्भर करता है। उपयुक्त संप्रेषण कौशल बालक की अंतःक्रिया को भी प्रभावित करता है।

5.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. ध्वनि वर्धन उपकरण
2. सांकेतिक भाषा को
3. कठिन प्रशिक्षण द्वारा

5.8 अभ्यास प्रश्न

1. श्रवण बाधितों हेतु विभिन्न प्रकार के संप्रेष विकल्पों को बताईए।
2. मौखिक संप्रेषण से क्या अभिप्राय है?
3. द्वि भाषीय संप्रेषण/सांकेतिक संप्रेषण के गुणों को बताईए।
4. संप्रेषण कौशल का चुनाव करते समय किन–किन बातों का ध्यान रखा जाता है?

5.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. जोसफ, आर0एस0 2004. पुर्नावास के आयाम. आई0आई0डी0 प्रकाशनः वाराणसी
2. Lewis, R.B., & Doorlag, D.H. (1995). Teaching Special Students in the Mainstream. (4th Ed.).Ohio: Merrill.
3- Wood, Judy W. (1998). Adapting Instructions to Accommodate Students in Inclusive Settings. Prentice Hall: New Jersey
4- Narayan, Jayanti and Bhandari, Reena (2010). Creating Learning Opportunities. Voice and Vision Publication: Mumbai

इकाई–6– श्रवण विकलांग बालकों की साक्षरता विकास एवं शैक्षिक उपलब्धि तथा तकनीकी सहायता

इकाई की रूपरेखा –

6.1 प्रस्तावना

6.2 उद्देश्य

6.3 साक्षरता का अर्थ

6.4 श्रवण विकलांगों का साक्षरता का विकास

6.5 श्रवण विकलांग बालकों में साक्षरता की आवश्यकता

6.6 श्रवण विकलांग बालकों में साक्षरता कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ तरीके

6.7 श्रवण विकलांग बालकों हेतु पठन क्रिया का विकास

6.8 श्रवण विकलांग बालकों हेतु लेखन क्रिया का विकास

6.9 श्रवण विकलांगों को शैक्षिक विकास

6.10 श्रवण विकलांगता का शैक्षिक विकास पर प्रभाव–

6.11 श्रवण विकलांगता के कारण बालकों के विद्यालय प्रदर्शन पर प्रभाव

6.12 श्रवण विकलांगों के लिए सहायक तकनीकी

6.12.1 श्रवण विकलांगों के प्रारंभिक पहचान एवं निदान के लिए तकनीकी

6.12.2 श्रवण विकलांगों के पुर्नावास हेतु तकनीकी

6.12.3 श्रवण विकलांग बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में पुर्नावास की तकनीकी

6.13 सारांश

6.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

6.15 अभ्यास के प्रश्न

6.16 उपयोगी पुस्तकें

6.1 प्रस्तावना

समाज में रह रहे सभी बालकों एवं व्यक्तियों को अपने जीवन–यापन के लिए समाज में विभिन्न व्यवसायों में संलप्ति होना पडता है। इसका मुख्य कारण यह है कि व्यक्ति समाज एवं परिवार पर बोझ न बने एवं समाज का एक उत्पादक सदस्य की तरह कार्य करे। परंतु व्यक्ति को इस प्रकार के कार्य करने हेतु किसी विशेष प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है। उस कौशल विशेष को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को साक्षर होना आवश्यक है। बालक के साक्षर होने के साथ बालक को अपनी शैक्षिक विकास की ओर विशेष ध्यान देना होता है ताकि वह समाज में एक उत्पादक के साथ–साथ समाज के एक सम्मानित सदस्य के रूप में भी विख्यात हो। वर्तमान युग में बालक को साक्षरता प्राप्त करने हेतु एवं शैक्षिक उपलब्धि के लिए किसी न

किसी प्रकार के तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है। जहॉ तक सकलांग बालकों के संदर्भ में बात कहीं जाये तो उपरोक्त कार्य को करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पडता है। परंतु यदि हम श्रवण विकलांग बालकों के संदर्भ साक्षरता एवं शैक्षिक उपलब्धि के बारे में चर्चा करे तो हमें ज्ञात होगा कि श्रवण विकलांग बालकों की साक्षरता एवं शैक्षिक उपलब्धि में उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है एवं इसके लिए श्रवण विकलांग बालकों को सकलांग बालकों के मुकाबले काफी अधिक प्रयास करना पडता है। इसका मुख्य कारण श्रवण विकलांग बालकों द्वारा श्रवण शक्ति के ह्रास होना या श्रवण क्षमता की अनुपस्थिति होता है। जिसके कारण बालक समाज में रहने वाले अन्य व्यक्तियों से संवाद या संप्रेषण करने में अक्षमता होती है। वहीं दूसरी तरफ श्रवण विकलांग बालकों के साक्षरता विकास एवं शैक्षिक उपलब्धि के लिए तकनीकी सहायता भी काफी सीमित हैं।

6.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

- साक्षरता का अभिप्राय जान सकेंगें।
- श्रवण विकलांगों बालकों की साक्षरता के विकास के बारें में जान सकेंगें।
- श्रवण विकलांग बालकों की साक्षरता विकास की समस्या को जान सकेंगे।
- श्रवण विकलांग बालकों की शैक्षिक उपलब्धि के बारें में जान सकेंगे।
- श्रवण विकलांग बालकों की शैक्षिक उपलब्धि में समस्या के बारे में जान सकेंगे।
- श्रवण विकलांग बालकों हेतु तकनीकी सहायता के बारे में जान सकेंगे।

6.3 साक्षरता का अर्थ

साक्षरता से अभिप्राय व्यक्ति या बालक की पढनें एवं लिखने की योग्यता से होती है। जिसके अंर्तगत व्यक्ति को किसी क्षेत्र विशेष के बारें में ज्ञान होता है या उस क्षेत्र विशेष के बारे में गहनता से शिक्षा प्राप्त की हो। साथ–ही– साथ व्यक्ति को उस क्षेत्र के साहित्यों के बारे में विशेष जानकारी हो।

हालंकि पूर्व में साक्षरता से अभिप्राय केवल व्यक्ति की साहित्य के बारे में जानकारी ही होती है। सन् 1800 के बाद साक्षरता को कुछ और विस्तृत रूप से बताया गया हैं जिसके अनुसार साक्षरता को व्यक्ति की पढने एवं लिखने की सामान्य योग्यता से मापा गया था।

साक्षरता के अंर्तगत क्रियात्मक साक्षरता को शामिल किया जाता है जिसमें व्यक्ति कुछ स्तर तक पढने एवं लिखने में सक्षम हो परंतु या पढाई का स्तर उस व्यक्ति की द्वारा रोजगार प्राप्त करने के लिए एवं समाज में संप्रेषण करने के लिए उपयोगी न हो। परंतु वर्तमान में साक्षरता का अर्थ में कुछ परिवर्तन हुआ है इसके अंर्तगत यदि एक

भू–वैज्ञानिक नक्शों को पढने मे असमर्थ है तो उसे साक्षर की श्रेणी में नहीं रखा जाता। उसी प्रकार एक कम्प्युटर विशेषज्ञ यदि इंटरनेट का उपयोग नही कर पाता है तो उसे असाक्षर की श्रेणी में रखा जाता है।

परंतु श्रवण विकलांगता के क्षेत्र में साक्षरता का अभिप्राय श्रवण विकलांग बालकों द्वारा पढने एवं लिखने की क्षमता के साथ–साथ श्रवण विकलांग बालक में फिंगर स्पेलिंग, संकेतिक भाषा एवं लेखन शब्दों का उपयोग करने की क्षमता होती है। ताकि वह समाज के अन्य व्यक्तियों से संवाद व संप्रेषण के साथ–साथ समाज के उत्पादक सदस्य के रूप में कहीं कार्य करने की योग्यता का विकास हो सकें।

6.4 श्रवण विकलांगों बालकों में साक्षरता का विकास

आपको यह बताना आवश्यक है कि श्रवण विकलांग बालक प्रारम्भ में सामान्य बालकों की तरह पढने एवं लिखने में सक्षम नहीं होते है। श्रवण विकलांग बालकों की साक्षरता के लिए आवश्य है कि श्रवण विकलांग बालकों को फिंगर स्पेलिंग एवं संकेतिक भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसके उपरांत ही श्रवण विकलांग बालक सामान्य बालकों की तरह पढने एवं लिखने में सक्षम हो सकेगा। इसका अभिप्राय यह है कि श्रवण विकलांग बालकों की साक्षरता से पूर्व इन सभी कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

श्रवण विकलांगता प्रत्यक्ष रूप से साक्षरता को प्रभावित नहीं करता है। परंतु कुछ प्रकरणों में देख गया है कि श्रवण विकलांगता साक्षरता पर नकरात्मक प्रभाव डालता है। इसका मुख्य कारण श्रवण विकलांग बालकों में भाषा एवं संप्रेषण की सामान्य अयोग्यता होती है। श्रवण विकलांग बालकों की साक्षरता के विकास के लिए श्रवण विकलांग बालकों के माता–पिता एवं अभिभावक के साथ–साथ शिक्षक का भी श्रवण विकलांग बालकों को साक्षरता विकास के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

आईए अब हम पठन एवं लेखन के बारे में समझाने का प्रयास करते है।

पठन कौशल– पठन व्यक्ति की एक कठिन बौधिक प्रक्रिया है जिसके अंर्तगत व्यक्ति कुछ विशेष प्रकार के संकेतों को अर्थ निकालता है। इसका अभिप्राय भाषा संप्राप्ति से है जिसके आधार पर संप्रेषण का विकास होता है एवं अन्य व्यक्तियों के साथ सूचनाओं एवं उपायों का आदान–प्रदान होता है। यह पाठक एवं मुद्रण के बीच एक कठिन अंतःक्रिया होती है जो कि पाठक के पूर्व के ज्ञान, अनुभव, एवं अभिवृति के आधार पर होती है जिससे वह अपने समाजिक एवं संस्कृति वातावरण में समायोजन कर सके। पठन क्रिया को अच्छा एवं विकसित करने के लिए लगातार इसका अभ्यास किया जाना आवश्यक है।

लेखन कौशल– लेखन कौशल मौखिक संप्रेषण का दृष्य प्रतिनिधित्व करने का परंपरागत तरीका है। हांलकि लेखन एवं भाषा दोंनो संदेश पहुचाने के लिए आवश्यक होता है। लेखन कौशल सूचनाओं को संभाल कर रखने में भी सहायक होता है।

भाषा उपायों एवं विचारों का अभिग्रहण एवं भावाभिव्यक्ति करने का तरीका है। परंतु इसका अभिप्राय यह कभी भी नहीं होता कि किसी भी कोई भी लिखित विचार को भाषा के रूप में अभिव्यक्ति किया जा सकता है अर्थात हम यह कभी भी नहीं कह सकते कि एक साक्षर व्यक्ति सभी प्रकार की लिखित आलेख को पढ सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को उस आलेख का पूर्व ज्ञान होना चाहिए।

6.5 श्रवण विकलांग बालकों में साक्षरता की आवश्यकता

सर्वप्रथम आपको यह समझना अति आवश्यक है कि साक्षरता किसी भी विद्यालय प्रणाली की रीढ़ की हड्डी होती है। जिन श्रवण विकलांग बालकों को साक्षरता में समस्या का समाना करना पडता है उन्हें अपनी विद्यालीय शिक्षा को प्राप्त करने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पडता सकता है। जिसके बाद श्रवण विकलांग बालक को निम्न तीन समस्याओं का समाना करना पड़ सकता है:–

1. लगातार असफल होने के कारण श्रवण विकलांग बालक को विद्यालय से बाहर किया जा सकता है।
2. श्रवण विकलांग बालक को एक कक्षा से अगली कक्षा में दया की भावना से बढा दिया जाता है न कि उसकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर।

दूसरा सबसे मुख्य विषय याद रखने योग्य यह है कि अपर्याप्त साक्षरता का प्रभाव श्रवण विकलांग बालकों **text** पढने पर पड सकता है। जिसके कारण श्रवण विकलांग बालक कक्षा में पढाये जाने वाले विषय वस्तु को समझने में असमर्थ होते है और अन्य बालकों के मुकाबले साक्षरता में पिछड सकता है। अपनी अपर्याप्त साक्षरता की योग्यता के कारण श्रवण विकलांग बालक स्वयं अधिगम करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। श्रवण विकलांग बालकों को शिक्षा एवं संप्रेषण की विशेषता को ध्यान में रखते हुए अपनी साक्षरता को विकसित करना अति आवश्यक है।

6.6 श्रवण विकलांग बालकों में साक्षरता कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ तरीके

आपको एक बार ओर साक्षरता के बारे में बताना चाहते हैं। साक्षरता का अभिप्राय श्रवण विकलांग बालकों द्वारा स्वतंत्र रूप से पठन करना होता है। परंतु इसका अभिप्राय यह कभी नहीं है कि बालक द्वारा सामग्री को ऊँची आवाज में ही पढा जाये। साक्षरता के अंर्तगत श्रवण विकलांग बालकों द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखन करना भी होता है जिसके द्वारा श्रवण विकलांग बालक द्वारा अपनी अभिव्यक्तियों एवं विचारों को लिखने में समर्थ हो। स्वतंत्र रूप से साक्षर कौशल को प्राप्त करने के लिए प्रारम्भ में श्रवण विकलांग बालकों द्वारा साक्षर कौशल को प्राप्त करने हेतु सहायता ली जा सकती है।

साक्षर कौशल के विकास के लिए आवश्यक है कि श्रवण विकलांग बालकों को रोचक क्रियाकलापों, खेल एवं अभ्यास के द्वारा साक्षर कौशलों को विकसित करवाया

जाना चाहिए।

श्रवण विकलांग बालकों में सक्षरता विकसित करने के लिए उनकी कक्षा के आधार पर श्रवण विकलांग बालकों के लिए पठन सामग्री का निर्माण किया जाना चाहिए। परंतु इसका अभिप्राय यह कभी नहीं है कि श्रवण विकलांग बालकों के लिए तैयार पठन सामग्री आवश्यकता से अधिक आसान हो।

धीरे–धीरे निर्मित पाठ्य सामग्री का कठिनाई के स्तर में वृद्धि करते रहना चाहिए। यथा संभव हो कि पठन सामग्री बनी बनाई हो तो बालक के लिए यह ओर उपयोगी साबित हो सकती है।

साक्षरता विकास के लिए निम्नलिखित सामग्रियों को उपयोग कर सकते हैंः–

1. विभिन्न कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों का उपयोग किया जा सकता है।
2. श्रवण विकलांग बालकों की पसंद की कहानियों की पुस्तकें उपलब्ध करवायी जा सकती हैं।
3. समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का उपयोग किया जा सकता है।
4. अध्यापक, अभिभावक या कक्षा के साथियों के नोटस का उपयोग किया जा सकता है।
5. मोबाइल के द्वारा संदेश भेजकर भी साक्षरता का विकास किया जा सकता है।
6. जो श्रवण विकलांग बालक खाना बनाना पसंद करते है उनके लिए खाना बनाने की विधि वाली पुस्तकों के द्वारा भी साक्षरता का विकास किया जा सकता है।
7. वह सभी पुस्तकें या पठन सामग्री जोकि श्रवण विकलांग बालकों को पसंद है वह सभी पठन सामग्री श्रवण विकलांग बालकों की साक्षरता कौशल को विकसित करने में सहायक होती है। इसके अंर्तगत चुटकलों की किताबें, टेलीफोन बिल या बिजली का बिल, बेनर या किसी भी प्रकार का अनुदेशन हो सकता है।

बोध प्रश्न –

टिप्पणी – क : नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिये–

ख : इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों में से अपने उत्तर का मिलान कीजिये–

1. साक्षरता का क्या अभिप्राय है ?

....

....

....

2. श्रवण विकलांगता के क्षेत्र में साक्षरता का क्या अर्थ है ?

....

....

....

3. लेखन कौशल किस कार्य में सहायक होता है?

....

....

....

6.7 श्रवण विकलांग बालकों हेतु पठन किया का विकास

श्रवण विकलांग बालकों की पठन क्रियाओं के अंर्तगत साक्षरता विकास में अध्यापक/अभिभावकों को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए।

1. पठन के समय श्रवण विकलांग बालक के साथ ही बैठें।
2. प्रारम्भ में श्रवण विकलांग बालकों को कुछ पंक्तियों को ही पढने के लिए दे। पठन के समय बालक एवं आपकों शांत होकर पठन करें अथवा आपके पठन के उपरांत ही श्रवण विकलांग बालक पठन करें।
3. श्रवण विकलांग बालकों को पढी हुई विषय वस्तु के बारें में चर्चा करने को प्रोत्साहित करें।
4. श्रवण विकलांग बालकों को नये प्रत्ययों के बारे में समझाए।
5. श्रवण विकलांग बालकों द्वारा पठन की गई सामग्री को पूर्व के ज्ञान के साथ जोडने की कोशिश करें।
6. पठन की गई सामग्री के बारे में प्रश्न पूछे जिससे यह ज्ञान हो कि श्रवण विकलांग बालक ने कोई विषय वस्तु छुट तो नहीं गई है।

अच्छी पठन क्रियाओं को करते समय किन–किन बातों को करना/ नहीं करना चाहिए।

1. पाठ्य सामग्री को केवल शब्दों स्तर तक सीमित नहीं रखना चाहिए। श्रवण विकलांग बालकों को पूर्व प्राथमिक विद्यालय में भी पठन सामग्री वाक्यों के रूप में उपलब्ध करवानी चाहिए। मुख्य शब्दों को रेखांकित या अन्य रंगों से प्रदर्शित करना चाहिए।
2. श्रवण विकलांग बालकों के शब्दकोष को बिना उनके प्रकरण के बिना नहीं बताना चाहिए। उदाहरणार्थ यदि शब्दकोष में किसी फल या सब्जी के नाम बताना चहाते है तो श्रवण विकलांग बालक को उसका स्वरूप, उपयोग एवं उससे संबंधित सभी सूचनाएं उपलब्ध करवानी चाहिए।
3. श्रवण विकलांग बालकों द्वारा पठन प्रक्रिया के दौरान भाषा के संशोधन पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए।
4. पठन के समय अध्यापक को श्रवण विकलांग बालकों की गलतियों को सहन करना चाहिए। यदि अध्यापक श्रवण विकलांग बालकों की गलती को सहन नहीं करेंगा तो बालक कठिन शब्दों को पढने में संकोच करेगा।

5. पठन का अभिप्राय यह नहीं है कि वह लिखे हुई प्रत्येक शब्द का हमेशा मतलब समझ सके क्योंकि शब्दों के मतलब समझने में श्रवण विकलांग बालक को कुछ समय लग सकता है।
6. पूर्व विद्यालय स्तर पर श्रवण विकलांग बालक को किताबों में चित्र को ढूढनें के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
7. श्रवण विकलांग बालकों के द्वारा पढी गई सामग्री का विद्यालय के क्रियाकलापों से जोडकर देखना आवश्यक है।

6.8 श्रवण विकलांग बालकों हेतु लेखन क्रिया का विकास

श्रवण विकलांग बालकों में लेखन क्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न क्रियाएं करवायी जा सकती हैः–

1. श्रवण विकलांग बालकों को अपने विचारों को लिखने का पूर्ण अवसर प्रदान करवाना चाहिए।
2. श्रवण विकलांग बालकों के अध्यापकों को इनके लेखन एवं पठन क्रियाओं आपस में जोड का रखना चाहिए तथा श्रवण विकलांग बालकों के द्वारा किये जाने वाले कार्य को आसान बनाया जाना चाहिए। जिसके द्वारा बालक लेखन का अर्थ एवं संदर्भ समझ सकें।
3. लेखन क्रिया के बढानें के लिए बालक के लिए प्रतिपुष्टि करना अति आवश्यक है। प्रतिपुष्टि के अंदर अनुदेशन एवं मूल्यांकन बहुत अच्छा होना चाहिए।
4. श्रवण विकलांग बालकों के लिए लेखन कार्य समाप्ति के बदले मनोरंजक एवं संप्रेषण योग्य बनाया जाना चाहिए।
5. श्रवण विकलांग बालकों द्वारा लिखी गई सामग्री स्वयं सुधार या संपादन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
6. श्रवण विकलांग बालकों के अध्यापक को उनके द्वारा लिखी गयी सामग्री को निरंतर रूप से मूल्यांकन करते रहना चाहिए।
7. श्रवण विकलांग बालकों की लेखन प्रक्रिया में उनके अभिभावकों को भी शामिल होना चाहिए क्योंकि इसके लिए घर का वातावरण सर्वधिक उपयोगी होता है।

6.9 श्रवण विकलांगों को शैक्षिक विकास

शैक्षिक विकास से अभिप्राय श्रवण विकलांग बालक द्वारा अपने विद्यालय शिक्षा के द्वारा उसकी उपलब्धि को प्रदर्शित करती है। श्रवण विकलांग बालकों की शैक्षिक उपलब्धि या शैक्षिक विकास बालक की साक्षरता विकास पर निर्भर करता है। जिसके अंर्तगत श्रवण विकलांग बालक की पठन एवं लेखन कौशलों को शामिल किया जाता है। जिसके बारे में पूर्व में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है।

6.10 श्रवण विकलांगता का शैक्षिक विकास पर प्रभाव

जैसा का आप इस बात से अच्छी तरह अवगत है कि श्रवण वाणी एवं भाषा विकास, संप्रेषण एवं अधिगम विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। श्रवण विकलांग बालकों द्वारा सुनने की समस्या के कारण उनकी पहचान को विकसित करने में समस्या उत्पन्न करती है। जन्म से श्रवण विकलांग बालकों का जीवन एवं विकास बुरी तरह से प्रभावित होता है।

श्रवण विकलांगता निम्न चार तरह से बालकों को प्रभावित करती हैः–

1. श्रवण विकलांगता के कारण बालक में संप्रेषण की अभिव्यक्ति एवं ग्रहणशीतला का विकास बहुत देर से प्रारम्भ होता है।
2. भाषा की कमी के कारण अधिगम समस्या का सामना करना पडता है जिससें बालक का शैक्षिक उपलब्धि में कमी होती है।
3. संप्रेषण में समस्या एवं कठिनाई के कारण बालक में समाजिक अलगाववाद पैदा होता है।
4. श्रवण विकलांगता के कारण बालक के व्यवसाय के चुनाव को भी प्रभावित करता है।

श्रवण विकलांगता बालक के निम्नलिखित शैक्षिक क्षेत्रों को प्रभावित करता हैः–

1. श्रवण विकलांगता के कारण बालक के शब्दकोश पर प्रभाव

- श्रवण विकलांग बालकों के शब्दकोष में वृद्धि काफी धीमी होती है।
- श्रवण विकलांग बालक मूर्त शब्दों जैसे कुदना, बिल्ली, पांच, लाल जैसे शब्दों को तो आसानी से समझ लेते है। परंतु अमूर्त शब्दों जैसे जलन, पहले, बाद में आदि शब्दों को समझने में काफी कठिनाई का सामना करना पडता है।
- श्रवण विकलांग बालक ऐसे शब्दों के अर्थ को समझने में कठिनाई का सामना करना पडता है जिसके एक से अधिक मतलब होते है जैसे सोना जिसका मतलब रात्रि में सोने से भी होता है एवं एक कीमती धातु भी होता है।

2. श्रवण विकलांगता के कारण बालक के वाक्य निर्माण पर प्रभाव

- श्रवण विकलांग बालक सामान्य बालकों के मुकाबले छोटे एवं आसान वाक्यों का निर्माण कर पाते हैं।
- श्रवण विकलांग बालकों को कठिन वाक्यों को समझने एवं निर्माण करने में समस्याएं आती है।
- श्रवण विकलांग बालकों को शब्दों के अंतिम अक्षरों को सुननें में परेशानी का सामना करना पडता है। जैसे भावनाओं, संवेदनशीलता इत्यादि।

3. श्रवण विकलांगता के कारण बालक की वाणी पर प्रभाव

- श्रवण विकलांग बालकों को समान वाणी वाले अक्षरों को सुनने में समस्याओं का समाना करना पडता है जैसा स, श, श, ट, त आदि। जिसके कारण वाणी को

समझने में कठिनाई आती है।

- श्रवण विकलांग बालकों द्वारा अपने द्वारा बोली गई वाणी नहीं सुनाई देती है। जिसके कारण वे या तो काफी ऊँचा बोलते है या काफी धीमा बोलते है। उनके द्वारा ऐसा बोला जाता है जैसे वह फुसफुसा रहे हो जिसका मुख्य कारण वाणी पर कम प्रभाव या बोलने की कम दर के कारण होता है।

4. श्रवण विकलांगता के कारण बालक के शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव

- श्रवण विकलांगता के कारण बालकों का शैक्षिक उपलब्धि के प्रत्येक क्षेत्र में कठिनाईयों का समाना करना पडता है विशेषरूप से पठन एवं गणितीय प्रत्ययों में।
- उचित प्रबंधन के उपरांत भी श्रवण विकलांग बालक प्रथम कक्षा से चौथी कक्षा तक अपने सामान्य साथियों से शैक्षिक उपलब्धि में पीछे रह जाते है।
- जैसे जैसे श्रवण विकलांग बालक कक्षा दर कक्षा वृद्धि करता है उसकी शैक्षिक उपलब्धि एवं सामान्य बालकों के शैक्षिक उपलब्धि में अंतर बढ़ता जाता है।
- श्रवण विकलांग बालकों का शैक्षिक उपलब्धि का स्तर बालक शिक्षा के अभिभावकों का रूझान एवं सहायक सुविधा के समय पर भी निर्भर करता है।

6.11 श्रवण विकलांगता के कारण बालकों के विद्यालय प्रदर्शन पर प्रभाव

श्रवण भाषा एवं वाणी, संप्रेषण एवं अधिगम विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्रवण विकलांगता बालक के वाणी एवं भाषा तथा संप्रेषण कौशल को प्रभावित करता है जिसके कारण अधिगम भी प्रभावित होता है जिसका संपूर्ण प्रभाव बालक के विद्यालीय प्रदर्शन पर पडता है। बालक की श्रवण विकलांगता के कारण बालक कक्षा में ध्यान केंदित करने में कठिनाई महसूस करता है जिसके कारण उसके व्यवहार एवं आचरण पर भी असर दिखाई देता है। जिसके कारण बालक की कक्षा में शैक्षिक स्तर में कमी दिखाई पडती है। उपरोक्त सभी विशेषताओं को देखते हुए बालक की गलत पहचान कर उसे अधिगम विकलांगता से ग्रसित समझ लिया जाता है। जिसके कारण बालक सही समय पर सही प्रारंभिक हस्तक्षेप नही मिल पाता है। कंचित श्रवण विकलांग बालकों को प्रायः प्रारंभिक हस्तक्षेप की सुविधा नहीं मिल पाती है। इसका मुख्य कारण बालक की श्रवण विकलांगता की पहचान न होना होता है। जिन बालकों को अति गंभीर श्रवण विकलांगता होती है उनके लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप बहुत महत्वपूर्ण होता है यदि उन्हें सही समय पर हस्तक्षेप की सुविधा नहीं दी जाती तो तीसरी कक्षा से अधिक शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम नहीं होते।– अमेरिकन स्पीच–लेंगवेज हेयरिंग ऐसोसियेशन।

श्रवण विकलांग बालकों की शिक्षा के स्तर में कमी का क्या कारण है? यह बालक की बुद्धि से संबंधित नहीं है बल्कि इस का मुख्य कारण श्रवण विकलांग

बालकों एवं सामान्य व्यक्तियों के बीच संप्रेषण की समस्या होती है। कभी कभी कक्षा का वातावरण भी श्रवण विकलांग बालकों की मदद नहीं करता है। इसका कारण अध्यापक द्वारा अन्य सकलांग बालकों के साथ व्यस्त होना है या फिर अध्यापक का श्रवण विकलांगता के प्रति कम जानकारी भी होना हो सकता है जिसके कारण अध्यापक में श्रवण विकलांग बालकों को पढाने की योग्यता नही होना भी हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि एक अध्यापक श्यामपट की तरफ मॅुह करके बोलता है तो अध्यापक की आवाज श्रवण विकलांग बालक को स्पष्ट तौर पर नहीं सुनाई पड़ेगी।

इसके अलावा कक्षा में कुछ ऐसे विषय भी होते है जो श्रवण विकलांग बालकों के लिए आंतरिक रूप से कभी कठिन होते है। बालक की श्रवण विकलांग उसकी शैक्षिक उपलब्धि के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है जिसमें भाषा प्रत्ययों से संबंधित क्षेत्र इसमें सबसे अधिक प्रभावित होता है। इसके अंर्तगत् श्रवण विकलांग बालकों की वाक्य निर्माण, भाषा कौशल, शब्दकोष एवं मुहावरेदार अभिव्यक्ति बहुत अधिक प्रभावित होती है।

श्रवण विकलांग बालकों की निराश, कुंठा एवं घबड़ाहट भी श्रवण विकलांग बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। एक मंद श्रवण विकलांग बालकों एक सकलांग बालक की तरह अध्यापक की आवाज या वाणी को दूर से सुनने में कठिनाई महसूस करता है। यह आवाज या वाणी न सुनने का एक कारण कक्षा में होने वाला शोर भी हो सकता है। जैसा अंग्रेजी का उच्च आवृति वाले व्यंजनों जैसे ch, f, k, p, s, sh, t, th आदि को सुनने में असक्षम होना है।

इसके अतिरिक्त बालक विद्यालय में समाजिक तौर पर समस्याओं का सामना करना पडता है जिसके कारण बालक की शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित होती है। संप्रेषण समाजिक अंतःक्रिया एवं साथियों के साथ स्वास्थ्य संबंध बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। संप्रेषण के अभाव में बालक में अलगाववाद एवं अप्रसन्नता की भावना उत्पन्न हो जाती है। जिसके कारण श्रवण विकलांग बालकों का समाजिक अंतःक्रिया से अपने आप को अलग करने का प्रयास करता है एवं समूह में की जाने वाली क्रियाओं में प्रतिभाग करने की अनइच्छा दिखता है क्योंकि श्रवण विकलांग बालक को यह अपनी बेइज्जती का डर रहता है। जिसके कारण श्रवण विकलांग बालक समाज से बाहर निकल जाता है और वह अप्रसन्नता महसूस करता है।

कक्षा में अध्यापक श्रवण विकलांग बालकों की शैक्षिक उपलब्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि अध्यापक द्वारा प्रारंभिक अवस्था में ही बालक में श्रवण विकलांगता के लक्षण जैसे कक्षा में ध्यान न देना, प्रश्नों का अनुपयुक्त जवाब देना, वाणी में समस्या आदि को पहचान ले। तो श्रवण विकलांग बालक को प्रारंभिक स्तर पर ही हस्तक्षेप की सुविधा एवं सहायता प्रदान की जा सकती है जो बालक की भविष्य में शैक्षिक उपलब्धता में सहायक हो सकती है।

बोध प्रश्न –

टिप्पणी – क : नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिये–

ख : इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों में से अपने उत्तर का मिलान कीजिये–

4. श्रवण विकलांगों के लिए शैक्षिक विकास से क्या अभिप्राय है ?

....

....

....

5. श्रवण विकलांग बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारक बताइये ?

....

....

....

6.12 श्रवण विकलांगों के लिए तकनीकी

श्रवण विकलांग बालकों के संपूर्ण विस्तार के तकनीकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्रवण विकलांग बालकों के पहचान, हस्तक्षेप एवं शिक्षा के द्वारा समाजिक एवं आर्थिक पुर्नावास के लिए तकनीकी बहुत आवश्यक है। तकनीकी न केवल श्रवण विकलांग बालकों के लिए बल्कि श्रवण विकलांग बालकों से संबंधित सभी व्यक्तियों जैसे अभिभावक, भाई–बहन, साथी एवं समाज के लिए आवश्यक है। हांलकि विभिन्न उपरोक्त विभिन्न व्यक्तियों द्वारा इनका अलग–अलग उपयोग किया जाता है। जो उनके लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उपयोग में लाये जाते है। तकनीकी श्रवण विकलांग बालकों के लिए यह शारीरिक पुनःस्थापन, संप्रेषण एवं नेटर्वकिंग के लिए बहुत उपयोगी है।

6.12.1 श्रवण विकलांगों के प्रारंभिक पहचान एवं निदान के लिए तकनीकी

सूचनाओं के प्रचार की सहायता से आम जनता में श्रवण विकलांगों की पहचान एवं हस्तक्षेप की सेवाओं का ज्ञान हुआ है। अली आवर जंग राष्टीय श्रवण विकलांग संस्थान द्वारा 17 राज्यों में डिसेबिल्टी इनफोरमेंशन लाईन का प्रारंभ किया गया है। जिसके अंर्तगत श्रवण विकलांगता एवं श्रवण विकलांगों के लिए उपलब्ध सेवाएं भारत के किसी भी हिस्से से टेलीफोन, फैक्स या ई–मेल के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जन्म के समय एवं जन्म के उपरांत श्रवण विकलांगता की स्क्रीनिंग की तकनीकी के विकास के कारण अब प्रारंभिक अवस्था में ही श्रवण विकलांगता के बारें में जानकारी *प्राप्त हो सकती है। जोकि अस्पतालों के सघन केयर इकाई में रखे गये* otoacoustic emissions, auditory brainsten responses and auditory steady state responses के रिकार्ड से श्रवण विकलांगता का पता लगाया जा सकता है। इसके परीक्षण किसी

प्रकार की व्यक्ति के प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। इसके आधार पर श्रवण विकलांग बालकों के लिए उपयुक्त उपकरण की पता लगाया जा सकता है।

अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान द्वारा इंटरनेट से भी श्रवणता को मापने के लिए एक प्रगतिशील कदम उठाया है। उनके द्वारा निदान एवं भविष्य कर सलाह के लिए www.checkhearing.nic.in वेबसाइट भी प्रारंभ की है।

6.12.2 श्रवण विकलांगों के पुर्नावास हेतु तकनीकी

यू0एन0सी0आर0पी0डी0 2007 के अनुसार सभी श्रवण विकलांग व्यक्तियों को श्रवण उपकरणों को प्राप्त करने का मूलभूत अधिकार है। यू0एन0सी0आर0पी0डी0 के धारा 9 में यह कहा गया है कि श्रवण विकलांग बालकों को श्रवण उपकरण एवं तकनीकी कम से कम कीमत पर उपलब्ध करानी होगी। तकनीकी श्रवण विकलांग बालकों को ध्वनिवर्धक एवं सहायक उपकरण के निर्माण में सहायक होती है। वर्तमान में सभी श्रवण विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त उपकरण उपलब्ध हैं। श्रवण विकलांग व्यक्तियों के लिए डिजीटल श्रवण उपकरण को उनके विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जा सकता है जिससे विभिन्न वातावरण में उनके सुनने के स्तर को बढाया जा सकें। श्रवण उपकरण में कुछ आधुनिक विशेषताओं वाले उपकरण भी उपलब्ध हैं जैसे डाइरेक्शनल माइक्रोफोन **(Directional microphone)]** अडेप्टिड माइक्रोफोन **(adapted microphone)]** नोइज केंसिलिंग (noise cancelling), वायलेस इनटाफेस टी0वी0 एवं मोबाईल फोन (wireless interface TV and mobile phone) आदि। जिसके द्वारा विभिन्न स्थानों पर वाणी को समझने में सुविधा होती है जैसे शोर वाली कक्षा में, बाजार में। कोकिल्यर प्रतिस्थापन ने प्रारंभिक हस्तक्षेप के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। भारत के कुछ राज्यों जैसे आंध्राप्रदेश में राज्य सरकार द्वारा कोकिल्यर मुफ्त में बांटे जाते है परंतु इसकी चिकित्सा काफी महंगी होती है। वर्तमान में भारत में दूसरे उपकरण जैसे ब्रेनस्टेम इमप्लांट, मिडल एयर इमप्लांट आदि भी बहुत प्रचलित है।

सहायक उपकरणों के द्वारा व्यक्ति के जीवन के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। श्रवण विकलांग बालकों के लिए ऐसे उपकरणों एवं साफ्टवेयरों कार्यक्रमों को विकसित किया जा रहा है जो वाणी को मुद्रण में परिवर्तित कर दे। श्रवण विकलांगों के लिए मोबाईल फोन भी संप्रेषण के लिए एक आसानी से उपयोग करने वाला उपकरण है। मोबाइल फोन की एस0एम0एस0 सेवाओं ने श्रवण विकलांग बालकों के दूरसंचार के उपकरणों को बदल दिया है। संकेतिक भाषा का उपयोग करने वाले श्रवण विकलांगों को भी तकनीकी उन्नति का काफी फायदा पहुंचा है। उनके द्वारा पोंटेबल संकेतिक भाषा अनुवादक जो संकेतिक भाषा को मुद्रण में परिवर्तित कर देता है। परंतु यह तकनीकी अभी केवल ब्रिटिश संकेतिक भाषा के लिए ही उपयुक्त है।

6.12.3 श्रवण विकलांग बालकों की षिक्षा के क्षेत्र में पुर्नावास की तकनीकी

श्रवण विकलांग बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न तकनीकी उत्पादों एवं कार्यक्रमों का उपयोग किया जा रहा है। विशेष विद्यालयों एवं सर्व शिक्षा के अंर्तगत

एकीकृत विद्यालयों में सामूहिक ध्वनिवर्धक उपकरणों जैसे इंडक्शन लूप या एफ0एम0 प्रणाली के उपयोग में वृद्धि हुई है। कुछ विशेष विद्यालयों की उच्च कक्षाओं में इंटरनेट एवं वेब आधरित शिक्षण–अधिगम का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ आसान विडियों रिर्कोडिंग को अध्यापकों की सहायता हेतु उनके मोबाईल एवं कम्प्युटर में उपलब्ध करवा दिये जाते हैं। कुछ विद्यालयों में सी0सी0टी0वी0 का उपयोग किया जाता है जिसमें श्रवण विकलांग बालकों एवं अध्यपकों की क्रियाओं को रिकार्ड कर श्रवण विकलांग बालकों के माता–पिता को दिखाया जाता है ताकि वह घर पर श्रवण विकलांग बालकों की शिक्षा में सहायता कर सकें।

6.13 सारांश

साक्षरता का मूल्यांकन बालक द्वारा कक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर किया जाता है। साक्षारता में अंर्तगत् क्रियात्मक साक्षरता का भी शामिल किया जाता है। साक्षरता में बालकों द्वारा पठन एवं लेखन के कौशलों को भी शामिल किया जाता है। श्रवण विकलांग बालकों के लिए साक्षरता का मतलब फिंगर स्पेलिंग, संकेतिक भाषा एवं लेखन शब्दों का उपयोग करना है। श्रवण विकलांग बालकों की साक्षरता के लिए बालक के लेखन एवं पठन की विभिन्न क्रियाओं को करवाना आवश्यक है। श्रवण विकलांग बालकों के जीवन में साक्षरता का काफी उपयोग होता है जैसे साक्षरता में गुणवत्ता में कमी के कारण बालक को विद्यालय से निकाला जा सकता है आदि। श्रवण विकलांग बालकों को साक्षरता के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जिसके अंर्तगत बालकों को लेखन एवं पठन को प्रोत्साहित करने से संबंधित कुछ क्रियाओं को करवाया जाता है। साक्षरता के अंर्तगत् कुछ ऐसी क्रियाएं है जो बालक द्वारा की जानी आवष्यक है।

श्रवण विकलांग बालकों की शैक्षिक विकास में लेखन एवं पठन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परंतु इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि श्रवण विकलांग का प्रभाव बालक के शैक्षिक विकास पर भी पडता है। जिसके कारण उनमें संप्रेषण की अभिव्यक्ति एवं ग्रहणशीतला का विकास बहुत देरी, अधिगम समस्या, संप्रेषण में समस्या एवं कठिनाई के कारण सामाजिक अलगाववाद एवं व्यवसाय का चुनाव करने में समस्या होती है। श्रवण विकलांगता के कारण बालक के शब्दकोष, वाक्य निर्माण, वाणी विकास एवं शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित होती है। वर्तमान में भारत में श्रवण विकलांग बालकों की शिक्षा, प्रारंभिक पहचान एवं निदान एवं पुनर्वास हेतु विभिन्न तकनीकों का विकास हुआ है।

6.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. साक्षरता से अभिप्राय व्यक्ति की पढ़ने लिखने की योग्यता से है।
2. श्रवण विकलांग बालकों द्वारा पढ़ने एवं लिखने की क्षमता फिंगर स्पेलिंग, सांकेतिक भाषा एवं लेखन शब्दों के उपयोग की क्षमता से है।

3. लेखन कौशल सूचनाओं को समाप्त कर रखने में सहायक होता है।
4. शैक्षिक विकास से अभिप्राय विकलांग बालक द्वारा उसकी शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शित करता है।
5. निराशा, कुंठा एवं घबड़ाहट ।

6.15 अभ्यास हेतु प्रश्न

1. साक्षरता से क्या अभिप्राय है?
2. श्रवण विकलांग बालकों की साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं?
3. श्रवण विकलांग बालकों की लेखन एवं पठन क्रिया को कैसे विकसित किया जा सकता है?
4. श्रवण विकलांगता का बालकों के शैक्षिक उपलब्धि पर क्या प्रभाव पडता है?
5. श्रवण विकलांगों की शिक्षा के लिए उपलब्ध तकनीकों के बारे में बताईए।

खण्ड
3
दृष्टिबाधिता - प्रकृति एवं मूल्यांकन

इकाई - 7 5
दृष्टिबाधिता एवं देखने की प्रक्रिया

इकाई - 8 12
जनसंख्या संबंधी आँकड़े

इकाई - 9 27
प्रारम्भिक पहचान एवं हस्तक्षेप

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

प्रो0 एम0 पी0 दुबे	कुलपति, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

विशेषज्ञ समिति

प्रो0 एस0पी0 गुप्ता	पूर्व निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
प्रो0 के0एस0मिश्रा	आचार्य, शिक्षा शास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
प्रो0 अखिलेश चौबे	पूर्व आचार्य, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
प्रो0 विद्या अग्रवाल	आचार्य, शिक्षा शास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
प्रो0 प्रतिभा उपाध्याय	आचार्य, शिक्षा शास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

लेखक

डा0 विनोद केन	असि. प्रोफेसर, एन.आई.वी.एच., देहरादून

सम्पादक

प्रो0 पी0सी0शुक्ला	आचार्य, शिक्षा संकाय, बी0एच0यू0, वाराणसी

परिमापक

प्रो0सीमा सिंह	आचार्य, शिक्षा संकाय, बी0एच0यू0, वाराणसी

समन्वयक

डॉ0 रंजना श्रीवास्तव	प्रवक्ता, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

प्रकाशक

डॉ0 राजेश कुमार पाण्डेय	कुलसचिव, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

© उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

ISBN-UP-978-93-83328-05-5

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्यसामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।
नोट : पाठ्य सामग्री में मुद्रित सामग्री के विचारों एवं आकड़ों आदि के प्रति विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं है।

B.Ed.SE-03 : इन्द्रिय विकलांगता का परिचय

खण्ड—एक श्रवण विकलांगता : प्रकृति एवं वर्गीकरण

इकाई—1 श्रवण की महत्त्व एवं विभिन्न इन्द्रियॉ

इकाई—2 श्रवण की प्रक्रिया एवं विभिन्न प्रकार के श्रवण दोष

इकाई—3 श्रवण विकलांगता एवं उसके प्रभाव

खण्ड—दो श्रवण विकलांगता या क्षति का प्रभाव

इकाई—4 श्रवण विकलांगता की विशेषताएॅ एवं संप्रेषण पर प्रभाव

इकाई—5 श्रवण विकलांगों के सम्प्रेषण विकल्प

इकाई—6 श्रवण विकलांग बालकों की साक्षरता विकास एवं शैक्षिक उपलब्धि तथा तकनीकी सहायता

खण्ड—तीन दृष्टिबाधिता – प्रकृति एवं मूल्यांकन

इकाई—7 दृष्टिबाधिता एवं देखने की प्रक्रिया

इकाई—8 जनसंख्या संबंधी ऑकड़े

इकाई—9 प्रारम्भिक पहचान एवं हस्तक्षेप

खण्ड—चार दृष्टिबाधितों के शैक्षिक निहितार्थ

इकाई—10 दृष्टिहीनता के प्रभाव

इकाई—11 शिक्षा के सिद्धान्त

इकाई—12 विस्तृत सामान्य पाठ्यक्रम

खण्ड—पॉच बधिरांधता

इकाई—13 बधिरांधता कारण, विशेषताएॅ एवं शिक्षा तथा दैनिक क्रियाओं पर बधिरांधता का प्रभाव

इकाई—14 बधिरांधता की पहचान, मूल्यांकन एवं हस्तक्षेप

इकाई—15 बधिरांध बालकों की शैक्षिक आवश्यकता

खण्ड –3–दृष्टिबाधिता – प्रकशति एवं मूल्यांकन

इकाई –7– प्रस्तुत इकाई में दृष्टिबाधिता को वर्गीकृत किया गया है जिसमें दृष्टिहीनता एवं अल्पदृष्टिहीनता की परिभाषा बताई गई है। इसके साथ–साथ आंखों की संरचना, आंखें के विभिन्न अंगों के बारे में सूचना एवं देखने की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया गया है।

इकाई–8– इस इकाई में भारत वर्ष में विकलांगों की जनसंख्या के बारे में चर्चा की गई है। भारत में जनगणना 2011 के आधार पर दृष्टिबाधितों की जनसंख्या के बारे में चर्चा की गई है। भारत वर्ष के विभिन्न राज्यों में दृष्टिबाधितों की जनसंख्या को प्रदर्शित किया गया है तथा जनगणना 2001 के आधार पर तुलना को भी दिखाया गया है। इसमें पुरूष एवं महिलाओं तथा ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या को भी प्रदर्शित किया गया है।

इकाई–9– खंड के इस भाग में दृष्टिबाधितों के प्रारंभिक पहचान के विभिन्न लक्षणों के बारें में बताया गया है। प्रारंभिक पहचान के बाद दृष्टिबाधित बालकों हेतु उचित हस्तक्षेप के बारें में चर्चा की गई हैं। दृष्टिबाधितों के क्रियात्मक मूल्यांकन की विभिन्न तकनीकों के बारें में भी विस्तार से बताया गया है।

इकाई –7– दृष्टि बाधिता एवं देखने की प्रक्रिया

इकाई संरचना

7.1 प्रस्तावना
7.2 उद्देश्य
7.3 ऑखों के विभिन्न अंग
7.4 देखने की प्रक्रिया
7.5 दृष्टिबाधिता का वर्गीकरण
7.6 अंधता/दृष्टिहीनता की परिभाषा
7.7 अल्पदृष्टिहीनता की परिभाषा
7.8 सारांश
7.9 बोध प्रश्नों के उत्तर
7.10 अभ्यास के प्रश्न
7.11 उपयोगी पुस्तकें

7.1 प्रस्तावना

आंख हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है। कुदरत ने आंखे हमे उपहार स्वरूप दी हैं। व्यक्ति के जीवन के प्रारम्भ से अंत तक अर्थात् जन्म से मृत्यु तक आंखों का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। विश्व में एवं व्यक्ति के आसपास के वातावरण में उपस्थित सभी सूचनाओं को सर्वप्रथम आंखों द्वारा ही प्राप्त की जाती है। विभिन्न शोधों के द्वारा यह ज्ञान हुआ है कि व्यक्ति को लगभग 70 फीसदी से 85 फीसदी तक की सूचनाएं अपनी आंखों द्वारा या दृष्टि द्वारा ही प्राप्त की जा सकती हैं। दृष्टि के द्वारा व्यक्ति को किसी वस्तु के बारे मे संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं अर्थात दृष्टि के द्वारा वस्तु के तीनों आयामों को देखा जा सकता है। दृष्टि के द्वारा व्यक्ति के वातावरण के आसपास ऐसी सूचनाएं भी प्राप्त कर सकता है जो कि व्यक्ति के दृष्टि इंद्री के अलावा किसी ओर इंद्री से प्राप्त नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु का रंग एवं सौदर्य किसी वस्तु का संपूर्ण आकार इत्यादि। हांलकि आकार के बारें में आप स्पर्ष करके भी पता लगा सकते हैं। परंतु यदि किसी वस्तु का आकार इतना बड़ा हो जिसे आप एक बार में स्पर्ष करके नही ज्ञात कर सकते हैं जैसे किसी बड़े पहाड़ को आप केवल दृष्टि इंद्री से ही इस की सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

7.2 उद्देश्य

- आंखों के विभिन्न भागों के बारे में जान सकेंगे।
- देखने की प्रकिया को समझ सकेंगे।
- दृष्टिबाधिता का वर्गीकरण जान पायेंगे।

- दृष्टिहीनता एवं अल्पदृष्टिहीनता की परिभाषा जान पायेगे।

7.3 आंख की संरचना

ऑख किसी भी व्यक्ति के शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। ऑख किसी भी व्यक्ति के लिए एक छोटी सी खिडकी के रूप में देखी या समझी जा सकती है। जिसके द्वारा कोई व्यक्ति बाहय वातावरण या अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ऑख एक कैमरे के समान होती है जैसे कोई कैमरा किसी तस्वीर को खींचकर अपने मैमोरी में रख लेता है ठीक उसी प्रकार ऑख के वाह्य वातावरण में व्याप्त सूचनाओं को प्राप्त कर व्यक्ति के मस्तिष्क में स्टोर या इक्टठा कर लेती है एवं आवश्यतानुसार मस्तिष्क से उन तस्वीरों के उपयोग अपने दैनिक जीवन में करने लगे।

आँख का सबसे बाह्य तरफ श्वेतपटल (Sclera) और पारदर्शक स्वच्छमंडल (Cornea) होता है। श्वेतपटल की विशेषता होती है कि यह एक ठोस एवं मजबूत ढ़ाचें या खोल के प्रकार की होती है जो कि आंख को एक आकार प्रदान करने में सहायक होती है। सामान्यता यह आंख के ढ़ाचे के 5/6 भाग को ढक लेता है। पारदर्शक स्वच्छमंडल (Cornea) होता है। श्वेत पटल एवं पारदर्शक स्वच्छमंडल के मिलन वाली जगह को Limbus कहते हैं।

आँखों के श्वेत पटल का कुछ भागों को हम आसानी से देख सकते हैं जबकि अधिकतर भाग हड्डियों के कोटर के अंदर की तरफ छुपा होता है। इस श्वेतपटल पर पतली सी दिखने वाली झिल्ली चढ़ी रहती है। यह झिल्ली आँख की दोनो पलकों के बीच में एक कवर की तरह होती है जिसे हम Conjuctiva कहते हैं। जैसा की नाम से ही विदित है कि पारदर्शक स्वच्छमंडल एकदम साफ एवं पारदर्शक होता है।
परंतु यह एक काला गोलाकार आकार का होता है। उसके नीचे काले रंग की झिल्ली होती है यह अलग–अलग रंग का हो सकता है जैसे नीला, भूरा, काला इत्यादि भी हो सकता है। स्वच्छमंडल श्वेत पटल से आगे से थोडा सा उठा होता है।
कार्निया, यह भी आँख का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य वातावरण से प्राप्त प्रकाश की किरणों को आंखों तक पहुँचाना होता है। यह प्रकाश की किरणों को रेटिना पर केंन्द्रित करता है।

स्कलेरा, कार्निया के अंदर यूविया होती है। आंख के अंदर या पीछे के भाग को तीन भागों में विभाजित करता हैः कारॉयड (Choroid), सिलियरी बॉडी (Ciliary Body) एव आयरिस (Iris)

आईए अब आँखों की इन भागों के बारे में विस्तार से चर्चा करें।

कारॉयड (Choroid)– कायरायड की परत में रक्त/ खुन को ले जाने वाली नाडिया एवं पिगमैंट होते है। या आंख के सभी भागों में रक्त को प्रवाहित करती है और पिगमैंट वातावरण में प्राप्त अनावश्यक प्रकाश प्रकाश को फैलने से रोकता है। कायरायड पूरी स्कलेरा को ढ़क लेता है केवल 5 मिलीमीटर सिलियरी बांडी से ढ़का होता है। यह

पूरा हिस्सा माँसपेशियों एवं ग्रथियों से बना होता है। तथा यह मांसपेशिया लेंस से जुडी होती हैं। ग्रथियों से स्वच्छ द्रव्य बनता है जोकि आंखों के दबाव के दाब को सीमित करता है। तथा यह स्वच्छ द्रव्य आंखों के लेंस एवं कार्निया को पोषण देता है।

आइरिस कार्निया के पीछे का भाग होता है तथा यह चारों तरफ से परदे को 360 डिग्री तक घेरे रखता है। इसमें एक छोटा सा छेद होता है जिसे पुतली कहते है। कार्निया के पारदर्शी होने के कारण हम पीछे के आइरिस को देख सकते है तथा इसी के रंग से आंख का रंग होता है।

आंख के तारे का आकार आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आंखों को कितनी रोशनी की आवश्यकता होती है। यदि रोशनी कम होती है तो आंखों का तारा फैल जाता है और यदि रोशनी अधिक होती है तो तारा सिकुड जाता है। इसमें प्रकाश केवल आवश्यकता के अनुसार ही आंखों के भीतर जा पाता है।

पुतली के पीछे एक गोल पारदर्शी लेंस होता है। यह शक्ल से बाइकान्वेक्स होता है। इसका काम स्वच्छ मंडल और आंखों की पुतली से होकर आई प्रकाश की किरणों को पर्दे पर केन्द्रित करता है।

सिलियरी तंतुपेशियों द्वारा लेंस का आकार परिवर्तित होता है। जब पास की चीजों को देखना होता है तो लेंस मोटा हो जाता है तथा दूर की चीजों को देखने के लिए लेंस पतला हो जाता है। लेंस का यह लचीलापन समय के साथ–साथ कम होने लगता है जिससे व्यक्ति की दृष्टि पर असर पड़ता है।

रेटिना आंख का सबसे अंदरूनी और संवेदनशील भाग होता है यह एक वर्ग इंच से भी छोटा होता है जिसमें लगभग 13.7 करोड़ कोशिकाएं होती है। इसमें 13 करोड कोशिकाएं शलाकाएं (राडस) होती है जो काले सफेद रंगों में अंतर करती है तथा 70 लाख शंकु (कोन) होते है जो रंगों को पहचानते हैं। एक नस हर रोड एवं कोन से निकलती है और सब नसें वापस आकार एक जगह इकट्ठा हो जाती है जिसे ऑप्टिक नर्व कहते है। एक औप्टिक नर्व दोनों आँखों से निकलकर मस्तिष्क के आक्सीपिटल लोब में पहुचती है। ऑप्टिक नर्व के अंदर एक द्रव्य होता है जोकि आंखों के द्वारा प्राप्त सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुँचाने में सहायक होता है। ऑप्टिक नर्व आंखों द्वारा प्राप्त तस्वीर को मस्तिष्क तक पहुचाती है जहॉ मस्तिष्क पूर्व में प्राप्त जानकारी के आध ार पर उस वस्तु को पहचानता है। यदि आंखों द्वारा किसी नवीन चीजों की सूचनाएं मस्तिष्क को पहुँचाता है तो मस्तिष्क उन सूचनाओं को भविष्य के लिए स्टोर कर लेता है। समय के साथ–साथ ऑप्टिक नर्व के अंदर दृव्य भी सुख सकता है जिसे व्यक्ति की दृष्टि क्षमता प्रभावित हो सकती है।

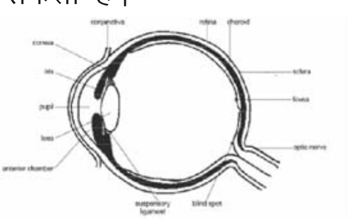

7.4 देखने की प्रक्रिया

वातावरण में व्याप्त रोशनी जब वातावरण में उपस्थिति किसी वस्तु से टकराती हैं तो यह रोशनी की किरणें समांतर रेखाओं की तरह आंखों तक पहुंचती हैं। इसके उपरांत यह किरणें स्वच्छमंडल (Cornea), aqueous humor, पुतली, लेंस एवं vitrous humor से होती हुई हमारी रेटिना पर पडती है। आंखों के यह सभी हिस्सें पारदर्शी होते हैं जिससे रोशनी निर्बाध रूप से तथा बिना बिखराव के आंख के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आसानी से गुजर जाती हैं। स्वच्छमंडल एवं लेंस यह सुनिश्चित करते हैं कि रोशनी की किरणें मुडकर Fovea की तरफ जाये। रेटिना का भाग चमकीली दृष्टि का निर्माण करता है जबकि स्वच्छमंडल समांतर किरणों को मोडने का कार्य करता है। सिलियरी बॉडी (Ciliary Body) लेंस से प्राप्त किरणों के कोणों को बदलने का कार्य करती है जोकि वस्तुओं का आंखों की बीच की दूरी पर निर्भर करता है। वस्तु आंखों के जितनी नजदीक होगी रेटिना पर वस्तु की आकृति उतनी ही स्पष्ट बनती है।

7.5 दृष्टिबाधिता का वर्गीकरण

हम दृष्टिबाधिता को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते है।

1. अंधता अथवा दृष्टिहीनता
2. कम दृष्टि वाला व्यक्ति/ अल्पदृष्टिवान

आईए अब हम इनके बारें में चर्चा करें।

7.6 अंधता/दृष्टिहीनता

निःशक्तता जन अधिनियम (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) 1995 के अनुसार 'अंधता' उस अवस्था को निर्दिष्ट करती है जहॉ कोई व्यक्ति निम्न अवस्था में से किसी से ग्रसित हैं अर्थात

(अ) दृष्टि का पूर्ण अभाव;

(ब) सुधारक लेंसों के साथ नेत्र में दृष्टि की तीक्ष्णता जो 6/60 या 20/200 (स्नेलन) से अधिक न हो; या

(स) दृष्टि क्षेत्र की सीमा जो 20 ड़िग्री कोण या उससे बदतर है;

7.7 कम दृष्टि वाला व्यक्ति/अल्पदृष्टिवान व्यक्ति

निःशक्ता जन अधिनियम (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) 1995 के अनुसार कम दृष्टि वाला व्यक्ति/ अल्पदृष्टिवान व्यक्ति' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिसकी उपचार या मानक अपवर्तनीय संशोधन के पश्चात् भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया है किन्तु जो समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना का निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है। उपयोग करने में संभाव्य रूप से समर्थ है।

कम दृष्टि वाला व्यक्ति/अल्पदृष्टिवान व्यक्ति के लिए उपरोक्त परिभाषा पूर्ण सी प्रतीत नहीं होती है क्योंकि उपरोक्त परिभाषा में किसी भी प्रकार के मानक के पूर्ण करने हेतु किसी प्रकार के बारे मे वर्णन नहीं करता है। इसलिए निम्न परिभाषा कम दृष्टि वाला व्यक्ति/अल्पदृष्टिवान व्यक्ति के लिए उपयुक्त प्रतीत होती है।

अल्पदृष्टि की परिभाषा

उत्तम सुधार तथा चश्मा लगाने के बाद जिस व्यक्ति की दृष्टि की मात्रा 6/18 से 6/60 से कम है; अथवा जिसके दृष्टि–क्षेत्र में निम्नोक्त प्रकार की क्षति हुई है; उसे अल्पदृष्टिवान व्यक्ति माना जायेगा–

1. दृष्टि क्षेत्र 50 डिग्री से कम है।
2. अर्धवृत्त में दृष्टिक्षेत्र की कमी और नेत्र बिंदु पर उसका प्रभाव पडता है।
3. निचले दृष्टि–क्षेत्र में उन्नतांशिष त्रुटि है।

बोध प्रश्न –

टिप्पणी – क : नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिये–

ख : इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों में से अपने उत्तर का मिलान कीजिये–

1. कार्निया क्या होता है ?

....

....

....

2. आइरिस क्या है ?

....

....

....

3. रेटिना क्या है?

....

....

....

4. निशक्तता जन अधिनियम के अनुसार अंधता की अवस्था क्या है?

....

....

....

7.8 सारांश

आंख मानव का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जिसके द्वारा मानव या व्यक्ति वातावरण में उपस्थित वस्तुओं को देखने में सक्षम होता है। कुछ व्यक्तियों द्वारा आंखों

को एक कैमरे से भी उपमा की गई है। व्यक्ति द्वारा आंखों से देखी गई सभी वस्तुओं को अपने मस्तिष्क में याद कर लेता है तथा भविष्य में उन वस्तुओं के प्रत्यक्षीकरण के समय उस वस्तु विशेष को पहचान लेता है। आंखों की संरचना के अंतर्गत आंख का सबसे बाहय तरफ श्वेतपटल **(Sclera)** और पारदर्शक स्वच्छमंडल **(Cornea)** होता है। आंख के ढ़ाचे के 5/6 भाग को ढक लेता है। पारदर्शक स्वच्छमंडल **(Cornea)** होता है। श्वेत पटल एवं पारदर्शक स्वच्छमंडल के मिलन वाली जगह को **Limbus** कहते हैं।

आंखों के श्वेत पटल के कुछ भागों को हम आसानी से देख सकते हैं जबकि अधिकतर भाग हड्डियों के कोटर के अंदर की तरफ की तरफ छुपा होता है। इस श्वेतपटल पर पतली सी दिखने वाली झिल्ली चढ़ी रहती है। यह झिल्ली आंच की दोनो पलकों के बीच में एक कवर की तरह होती है जिसे हम **Conjuctiva** कहते है। स्वच्छमंडल श्वेत पटल से आगे से थोडा सा उठा होता है।

कार्निया का मुख्य कार्य वातावरण से प्राप्त प्रकाश की किरणों को आंखों तक पहॅुचाता है। यह प्रकाश की किरणों को रेटिना पर केंन्द्रित करता है।

स्कलेरा, कार्निया के अंदर यूविया होती है। आंख के अंदर या पीछे के भाग को तीन भागों में विभाजित करता हैः कॉरायड **(Choroid),** सिलियरी बॉडी **(Ciliary Body)** एव आयरिस **(Iris)**

कॉरायड **(Choroid)**– कॉरायड की परत में रक्त/खुन को ले जाने वाली नाडिया एवं पिगमैंट होते हैं। या आँख के सभी भागों में रक्त को प्रवाहित करती है आइरिस कार्निया के पीछे का भाग होता है तथा यह चारों तरफ से परदे को 360 डिग्री तक घेर कर रखता है। इसमें एक छोटा सा छेद होता है जिसे पुतली कहते है। आंख के तारे का आकार आवश्कता अनुसार घट बढ़ सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आंखों को कितनी रोशनी की आवश्यता होती है।

पुतली के पीछे एक गोल पारदर्शी लेंस होता है। यह शक्ल से बाइकान्वेक्स होता है। इसका काम स्वच्छ मंडल और आंखों की पुतली से होकर आई प्रकाश की किरणों को पर्दे पर केन्द्रित करता है।

सिलियरी तंतुपेशियों द्वारा लेंस का आकार परिवर्तित होता है। रेटिना आंख का सबसे अंदरूनी और संवेदनशील भाग होता है यह एक वर्ग इंच से भी छोटा होता है जिसमें लगभग 13.7 करोड़ कोशिकाएं होती है। इसमें 13 करोड कोशिकाएं शलाकाएं (राडस) होती है जो काले सफेद रंगों में अंतर करती है तथा 70 लाख शंकु (कोन) होते है जो रंगों को पहचानते हैं। एक नस हर रोड एवं कोन से निकलती है और सब नसें वापस आकार एक जगह इकट्ठा हो जाती है जिसे औप्टिक नर्व कहते है। एक औप्टिक नर्व दोनों आंखों से निकलकर मस्तिष्क के ऑसीपिटल लोब में पहुँचती है। औप्टिक नर्व के अंदर एक द्रव्य होता है जोकि आंखों के द्वारा प्राप्त सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुचाने में सहायक होता है। औप्टिक नर्व आंखों द्वारा प्राप्त तस्वीर को मस्तिष्क तक पहुचाती है जहॉ मस्तिष्क पूर्व में प्राप्त जानकारी के आधार पर उस वस्तु को पहचानता है। यदि आंखों द्वारा किसी नवीन चीजों की सूचनाएं मस्तिष्क को पहुचाता है तो

मस्तिष्क उन सूचनाओं को भविष्य के लिए स्टोर कर लेता है। समय के साथ–साथ औप्टिक नर्व के अंदर द्रव्य भी सुख सकता है जिसे व्यक्ति की दृष्टि क्षमता प्रभावित हो सकती है।

दृष्टिबाधिता को दो भागों में बांटा जा सकता है– दृष्टिहीनता एवं अल्प दृष्टिवान/दृष्टिहीनता।

7.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. आंख का पारदर्शक स्वच्छ मंडल कार्निया कहलाता है।
2. आइरिस कार्निया के पीछे का भाग होता है। यह चारों तरफ से परदे को 360 डिग्री तक घेरे रखता है।
3. रेटिना ऑख का सबसे अन्दरूनी और संवेदनशील भाग होता है।
4. अ– दृष्टि का पूर्ण अभाव

   ब– सुधारक लेंसों के साथ नेत्र में दृष्टि की तीक्ष्णता जो 6/60 या 20/200 से अधिक न हो।

   स–दृष्टि क्षेत्र की सीमा जो 20 डिग्री कोण या उससे बदतर है।

7.10 अभ्यास प्रश्न

1. आँखों के विभिन्न भागों के बारे में बताइए।
2. देखने की प्रक्रिया को समझाइए।
3. दृष्टिहीनता को परिभाषित कीजिये।

7.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. Govt. of India (1995)- Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act.: New Delhi
2. Punani, Bhushan & Rawal, Nandani (2000). Handbook on Visual Impairment. Blind People Association Publication: Ahmedabad
3. Monbeck, Michael E. (1975). The Meaning of Blindness. Indiana University Press: London.
4. Scholl, Geraldinet T. (1986). Foundation of Education for Blind and Visually Handicapped Children and Youth. American Foundation for the Blind: New York.

इकाई–8–जनसंख्या संबंधी आंकड़े

इकाई संरचना

8.1 प्रस्तावना
8.2 उद्देश्य
8.3 विकलांगताओं के आंकड़े
8.4 आयु वर्ग के अनुसार विकलांगों की जनसंख्या
8.5 एन0एस0एस0ओ0 के आँकडे
8.6 दृष्टिहीनता एवं अल्पदृष्टिवान बालकों की विकलांग होने की आयु
8.7 जनगणना 2011 में विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में दृष्टिबाधितों की जनसंख्या
8.8 राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले दृष्टिबाधितों की संख्या प्रति हजार
8.9 सारांश
8.10 बोध प्रश्नों के उत्तर
8.11 अभ्यास प्रश्न
8.12 उपयोगी पुस्तकें

8.1 प्रस्तावना

वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग 125 करोड़ हो गयी है। जिसमें लगभग 2,68,10,557 विकलांग व्यक्ति भारत में रह रहे हैं। इन विकलांगों की जनसंख्या के अंर्तगत सभी प्रकार की विकलांगताओं को सम्मिलित किया गया है जैसे दृष्टिबाधिता, श्रवण विकलांगता, वाणी विकलांगता, अस्थि विकलांगता, मानसिक विकलांगता, मानसिक बिमारी, बहु–विकलांगता एंव अन्य विकलांगता।

परंतु इस इकाई को अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों/छात्रों में इस बात की उत्सुकता सर्व प्रथम आती है कि उन्हें इस प्रकार की जनसंख्या के बारें में जाने से क्या लाभ होगा एवं भारत सरकार क्यों इस प्रकार की जनगणना करती है? इस प्रश्न का उत्तर सीधा सा है कि जनसंख्या की गणना करने का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के विषम रूप को एक साथ देखना होता है। उदाहरण के तौर पर जनगणना से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह ज्ञात हो सकता है कि देश की कितनी जनसंख्या ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहती है, उनमें कितने पुरूष एवं महिलाएं हैं, किस आयु वर्ग की कितनी जनसंख्या है, उनमें कितने विकलांग व्यक्ति है तथा कितने व्यक्ति किस–किस अक्षमता से ग्रसित है। ऐसे अनेक प्रश्नों के जवाब जनगणना की सूचना प्राप्त होने के उपरांत आ जाते है।

उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर ही सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गो की सूचना प्राप्त कर समाज के निम्न तबकों एवं वर्गों हेतु कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करते है एवं निम्न वर्गो के काल्याणार्थ उन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

प्रस्तुत इकाई के अंर्तगत हम केवल विकलांगों की जनसंख्या प्रमुख तौर पर दृष्टिबाधितों के बारें में चर्चा करेंगें।

8.3 विकलांगताओं के आंकड़े

जैसा कि आपकों अवगत करवा दिया गया है कि भारत की 125 करोड की जनसंख्या में लगभग 2,68,10,557 व्यक्ति विकलांगता से ग्रसित है, जिसमें लगभग 1,49,86,202 पुरूषों की एवं लगभग 1,18,24,355 महिलाओं की संख्या है। आईए हम आपको निम्न तालिक में विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या के बारे में अवगत करायें।

तालिका 8.1– विभिन्न प्रकार की विकलांगताएं एवं ग्रसित जनसंख्या

विकलांगता के प्रकार	कुल जनसंख्या	पुरूष	महिलाए
दृष्टि बाधिता	50,32,463	26,38,516	23,93,947
श्रवण विकलांगता	50,71,007	26,77,544	23,93,463
वाणी विकलांगता	19,98,535	11,22,896	8,75,639
अस्थि विकलांगता	54,36,604	33,70,374	20,66,230
मानसिक विकलांगता	15,05,624	8,70,708	6,34,916
मानसिक बिमारी	7,22,826	4,15,732	3,07,094
बहु–विकलांगता	21,16,487	11,62,604	9,53,883
अन्य विकलांगता	49,27,011	27,27,828	21,99,183
कुल जनसंख्या	2,68,10,557	1,49,86,202	1,18,24,355

स्त्रोत –

उपरोक्त वर्णित तालिका में प्रदर्शित आंकडों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि विकलांगता के विभिन्न प्रकारों में सबसे अधिक जनसंख्या अस्थि विकलांग व्यक्तियों की है जिनकी कुल जनसंख्या लगभग 54,36,604 है जिसमे 33,70,374 पुरूष एवं 20,66,230 महिलाएं हैं एवं सबसे कम लगभग 7,22,826 जनसंख्या मानसिक बिमारी से ग्रसित व्यक्तियों की है जिनमें 4,15,732 पुरूष एवं 3,07,094 महिलाएं शामिल हैं।

8.4 आयु वर्ग के अनुसार विकलांगों की जनसंख्या

जनगणना 2011 में आयु वर्ग के अनुसार विकलांगों की जनयंख्या निम्न तालिका में प्रदर्शित की गई है।

आयु के अनुसार विकलांग जनसंख्या का विवरण

आयु	कुल जनसंख्या	पुरूष	महिलाएं
0–4	12,91,332	6,90,0351	6,00,981
5–9	19,55,539	10,81,598	8,73,941
10–19	46,16,050	26,10,174	20,05,876
20–29	41,89,839	24,18,974	17,70,865
30–39	36,35,722	21,12,791	15,22,931
40–49	31,15,651	18,51,640	12,64,011
50–59	24,92,429	14,30,762	10,61,667
60–69	26,57,679	13,94,306	12,63,373
70–79	17,69,370	8,84,872	8,84,498
80–89	7,23,585	3,37,170	3,86,415
90+	2,25,571	97,409	1,28,162

स्तोत्र –

तालिका में दिये गये आकड़ों से यह प्रदर्शित होता है कि भारत में विकलांगों की संख्या सबसे अधिक 10–19 आयु वर्ग के व्यक्यिों की है। इस आयु–वर्ग में विकलांगों की कुल जनसंख्या 46,16,050 है जिसमें से 26,10,174 पुरूष एवं 20,05,876 महिलाएं हैं। जबकि सबसे कम विकलांगों की जनसंख्या 90 वर्ष से अधिक व्यक्तियों की है। जिसके अंर्तगत विकलांगों की कुल जनसंख्या 2,25,571 है जिसमें 97,409 पुरूष एवं 1,28,162 महिलाएं हैं। सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि आयु वर्धन के उपरांत विकलांग बढने की संभावना अधिक होती है। परंतु प्रस्तुत विवरण इस अवधारणा के प्रतिकूल है।

8.5 एन0एस0एस0ओ0 के आंकडे

एन0एस0एस0ओ0 के 36वें, 47वें, एवं 58वें राउड में 1,00,000 व्यक्तियों से प्राप्त prevalence and incidence आंकडों के आधार पर दृष्टिबाधितों का तुलनात्मक आकडों को प्रदर्शित करता है जिसका विवरण निम्न है।

तालिका–1

1. 36वें राउड में 1,00,000 दृष्टिबाधित व्यक्तियों से प्राप्त व्यापकता दर Prevalence Rate

क्षेत्र	पुरूष	महिला	व्यक्ति
ग्रामीण	444	670	553
शहरी	294	425	356

तालिका–2

2. 36वें राउड में 1,00,000 दृष्टिबाधित व्यक्तियों से प्राप्त व्यापकता दर

Incidence Rate

क्षेत्र	पुरूष	महिला	व्यक्ति
ग्रामीण	32	45	38
शहरी	23	38	30

तालिका–3

3. 45वें राउड में 1,00,000 दृष्टिबाधित व्यक्तियों से प्राप्त व्यापकता दर

Prevalence Rate

क्षेत्र	पुरूष	महिला	व्यक्ति
ग्रामीण	471	548	525
शहरी	263	346	302

तालिका–4

4. 45वें राउड में 1,00,000 दृष्टिबाधित व्यक्तियों से प्राप्त

Incidence Rate

क्षेत्र	पुरूष	महिला	व्यक्ति
ग्रामीण	22	28	25
शहरी	15	25	20

तालिका–5

5. 58 वें राउड में 1,00,000 दृष्टिबाधित व्यक्तियों से प्राप्त

Prevalence Rate

क्षेत्र	पुरूष	महिला	व्यक्ति
ग्रामीण	276	326	296
शहरी	163	228	194

तालिका–6

6. 58वें राउड में 1,00,000 दृष्टिबाधित व्यक्तियों से प्राप्त

Incidence Rate

क्षेत्र	पुरूष	महिला	व्यक्ति
ग्रामीण	10	16	13
शहरी	7	10	9

तालिका–7

एन0एस0एस0ओ0 आख्या – **Prevalence Rate**

वर्ग	ग्रामीण	शहरी	कुल
1981	–	–	34,70,000
1991	33,35,000	6,70,000	40,05,000
2002	22,57,500	5,69,200	28,26,700

तालिका–8

दृष्टिबाधिता एवं आयु–समूह – 1,00,000 व्यक्तियों में दृष्टिबाधितों की संख्या

आयु समूह	ग्रामीण		शहरी	
	दृष्टिहीनता	अल्पदृष्टिवान	दृष्टिहीनता	अल्पदृष्टिवान
0 –4	32	5	30	5
5–9	48	12	73	16
10–14	52	22	82	10
15–19	56	21	44	13
20–24	65	23	56	18
25–29	68	17	43	20
30–34	77	16	30	19
35–39	75	32	53	20
40–44	128	43	79	30
45–49	183	65	105	39
50–54	266	124	182	98
55–59	431	234	283	122
60 से अधिक	1733	747	1087	459
सभी	210	86	140	54

उपरोक्त सारिणी को देखने से ज्ञात होता है कि प्रिविलेंस दर 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति में अधिक होती है। यह स्थिति दृष्टिहीनता के साथ–साथ अल्पदृष्टिवान में भी होती है। इंसीडेंस दर भी इसी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में इसी प्रकार पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में 60 वर्ष से अधिक दृष्टिहीन व्यक्तियों की संख्या 1733 एवं अल्पदृष्टिवान व्यक्तियों मे संख्या 747 है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में दृष्टिहीनों की संख्या 1087 एवं अल्पदृष्टिवानों की संख्या 459 है।

दृष्टिहीनों की सबसे कम प्रीविलेंस दर 0 से 4 वर्ष के बीच देखी जा सकती है। जिसमें बालकों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 32 व शहरी क्षेत्रों मे 30 है। अल्पदृष्टिवान बालकों की संख्या ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 5–5 है।

सारिणी में सबसे मुख्य आँकड़े 55–59 वर्ष के आयु समूह में प्रदर्शित होते है जिसमें दृष्टिहीनों एवं अल्पदृष्टिवानों की संख्या में काफी बढत दिखाई देती है।

इस साराणी से यह स्पष्ट होता है कि दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण आयु से संबंधित होता है एवं यह दृष्टिबाधिता अधिकांश 35–44 वर्ष की आयु में दिखाई देती है तथा केवल 1 से 2 प्रतिशत बालक ही दृष्टिबाधा के साथ जन्म लेते है।

बोध प्रश्न –

टिप्पणी – क : नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिये–

ख : इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों में से अपने उत्तर का मिलान कीजिये–

1. भारत की जनसंख्या कितनी है ?

....

....

....

2. लगभग कितने विकलांग व्यक्ति भारत में हैं ?

....

....

....

3. ऑकड़ों के अनुसार अस्थि विकलांग व्यक्ति भारत में कितने हैं ?

....

....

....

8.6 दृष्टिहीनता एवं अल्पदृष्टिवान बालकों की विकलांग होने की आयु

तालिका–9– दृष्टि विकलांगता अर्जित करने की आयु

दृष्टिहीनता

60 वर्ष या अधिक की आयु के 1000 व्यक्तियों का विवरण

भारत श्रेणी	जन्म से विकलांग	0 4	5–9	10–14	15 19	20–24	25–29	30 34	35–44	45–59	60 से अधिक	कुल में
ग्रामीण पुरूष	21	5	8	7	4	2	2	10	45	196	699	1000
ग्रामीण महिलाएं	17	8	10	8	4	6	8	5	26	238	673	1000

ग्रामीण व्यक्ति	19	7	9	7	4	4	5	7	34	220	684	1000
शहरी पुरूष	18	6	6	10	5	4	1	19	23	301	606	1000
शहरी महिलाएं	9	12	5	9	14	0	1	7	21	288	633	1000
शहरी व्यक्ति	13	9	5	10	10	2	1	12	22	294	621	1000
सभी पुरूष	21	5	7	7	4	2	2	12	41	214	683	1000
सभी महिलाएं	15	8	9	8	6	5	7	5	25	246	666	1000
सभी व्यक्ति	18	7	8	8	5	4	5	8	32	233	673	1000

स्त्रोत –

अल्पदृष्टिवान
60 वर्षों या अधिक की आयु के 1000 व्यक्तियों का विवरण

भारत जन्म विक से लाभ श्रेणी	0 4	5–9	10–14	15 19	20–24	25–29	30 34	35–44	45–59	60 से अधिक	कुल में	
ग्रामीण पुरूष	13	2	6	4	3	2	0	2	6	234	729	1000
ग्रामीण महिलाएं	2	8	5	3	0	1	2	0	12	259	708	1000
ग्रामीण व्यक्ति	7	6	5	3	1	2	1	1	9	248	717	1000
शहरी पुरूष	12	0	1	4	0	0	1	0	15	231	727	1000
शहरी महिलाएं	9	12	5	9	14	0	1	7	21	288	633	1000
शहरी व्यक्ति	2	2	0	3	0	7	0	0	25	254	709	1000
सभी पुरूष	13	2	5	4	3	2	0	2	7	233	729	1000
सभी महिलाएं	2	7	4	3	0	2	1	0	14	258	708	1000
सभी व्यक्ति	6	5	4	3	1	2	1	1	11	248	717	1000

दृष्टिबाधितों की जनसंख्या

जनगणना 2001 के अनुसार भारत वर्ष में कुल दृष्टिबाधितों की जनसंख्या 1,06,34,881 थी जोकि वर्ष 2011 में घटकर 50,32,463 हो गयी है। वर्ष 2001 एवं 2011 में दृष्टिबाधितों की जनसंख्या लिंग एवं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लिंग के आधार तुलनात्मक वर्णन निम्न तालिका में किया गया है।

तालिका संख्या –

वर्ष 2001 एवं 2011 में दृष्टिबाधितों का तुलनात्मक विवरण

दृष्टिबाधितों के जनसंख्या	वर्ष 2001	वर्ष 2011
कुल जनसंख्या	**1,06,34,881**	**50,32,463**
पुरूष	**57,32,338**	**26,38,516**

	54 प्रतिशत	52.43 प्रतिशत
महिलाए	49,02,543 46 प्रतिशत	23,93,947 47.57 प्रतिशत
कुल ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या	78,73,383 74 प्रतिशत	35,02,590 69.59 प्रतिशत
ग्रामीण क्षेत्र के पुरूष	42,22,717 53.63 प्रतिशत	18,20,936 52 प्रतिशत
ग्रामीण क्षेत्र के महिलाएं	36,50,666 46.37 प्रतिशत	16,81,654 48 प्रतिशत
कुल शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या	27,61,498 26 प्रतिशत	15,29,873 30.4 प्रतिशत
शहरी क्षेत्र के पुरूष	15,09,621 54.66 प्रतिशत	8,17,580 53.44 प्रतिशत
शहरी क्षेत्र के महिलाएं	12,51,877 45.33 प्रतिशत	7,12,293 46.55 प्रतिशत

ऊपर दी गई तालिका से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2001 के मुकाबलें वर्ष 2011 की जनगणना में यह दिखाई देता है कि दृष्टिबाधितों की जनसंख्या में लगभग 50 प्रतिशत की कमी आयी है। हालाँकि यदि हम प्रतिशत के संबंध में बात करें तो ज्ञात होगा कि महिलाओं की विकलांगता की जनसंख्या में थोडी वृद्धि आयी है चाहे वह महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की हो या शहरी क्षेत्र में आवासित हो। उपरोक्त सारिणी से यह भी पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले दृष्टिबाधितों की जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष 2001 में दृष्टिबाधित महिलाओं की जनसंख्या का 46 प्रतिशत था जो वर्ष 2011 की जनगणना में 47.57 प्रतिशत हो गया। उसी प्रकार वर्ष 2001 में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दृष्टिबाधित महिलाओं का प्रतिशत 46.37 व 45.34 था जो वर्ष 2011 में बढकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दृष्टिबाधित महिलाओं का प्रतिशत 48 प्रतिशत व 46.55 प्रतिशत हो गयी।

8.7 जनगणना 2011 में विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में दृष्टिबाधितों की जनसंख्या

जनगणना 2011 में भारत में दृष्टिबाधितों की कुल जनसंख्या 50,32,463 है। आईए अब हम निम्न तालिका में राज्य एवं केंन्द्र शासित प्रदेशों में दृष्टिबाधितों की जनसंख्या के बारें सूचना प्राप्त करें एवं वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करें

क्रम संख्या	राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश	जनगणना 2001 में दृष्टिबाधितों की सं.	जनगणना 2011 म दृष्टिबाधितों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	5,81,587	3,98,144
2	अरूणाचल प्रदेश	23,079	5,652
3	असम	2,82,056	80,553
4	अंडमान एवं निकोबार	3,321	1,084
5	बिहार	10,05,605	5,49,080
6	छत्तीसगढ़	1,60,131	1,11,169
7	चंडीगढ	8,422	1,774
8	दिल्ली	1,20,712	30,124
9	दादर एवं नगर हवेली	2,346	429
10	दमन एवं द्वीप	1,898	382
11	गोवा	4,393	4,964
12	गुजरात	4,94,624	2,14,150
13	हरियाणा	2,01,358	82,702
14	हिमाचल प्रदेश	64,122	26,076
15	जम्मू एवं कश्मीर	2,08,713	66,448
16	झारखंड	1,86,216	1,80,721
17	कर्नाटक	4,40,875	2,64,170
18	केरल	3,34,622	1,15,513
19	लक्षद्वीप	603	337
20	मध्य प्रदेश	6,36,214	2,70,751
21	महाराष्ट	5,80,930	5,74,052
22	मेघालय	13,381	6,980
23	मणिपुर	11,713	18,226
24	मिजोरम	6,257	2,035
25	नागालैंड	9,968	4,150
26	उड़ीसा	5,14,104	2,63,799
27	पाँडीचेरी	10,646	3,608
28	पंजाब	1,70,853	82,199
29	राजस्थान	7,53,962	3,14,618
30	सिक्कीम	10,790	2,772

31	**तमिलनाडु**	**9,64,063**	**1,27,405**
32	**त्रिपुरा**	**27,505**	**10,828**
33	**उत्तराखंड**	**85,668**	**27,107**
34	**उत्तर प्रदेश**	**18,52,071**	**7,63,988**
35	**पश्चिम**	**8,62,073**	**4,24,273**

जनगणना 2011 से प्राप्त दृष्टिबाधितों की संख्या जोकि कि उपरोक्त सारणी में प्रदर्शित आंकड़ों के आधार पर एवं बारीकी से अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दृष्टिबाधितों की जनसंख्या है। लगभग 7,63,988 दृष्टिबाधित व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहते है। हालकि वर्ष 2001 की जनगणना में भी उत्तर प्रदेश में 18,52,071 दृष्टिबाधित व्यक्ति रहते थे जो कि सार्वधिक थे परंतु वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि दृष्टिबाधितों की जनसंख्या में गिरावट या कमी आयी है।

उपरोक्त आकड़ों से ज्ञात होता है कि 2011 की जनगणना में राज्यों स्तर पर सबसे कम दृष्टिबाधितों की संख्या मिजोरम में है जहॉ केवल 2035 दृष्टिबाधित व्यक्ति ही रहते है। केन्द्र शसित प्रदेशों में दृष्टिबाधितों की सबसे अधिक संख्या पांडीचेरी में है जहॉ लगभग 3,608 दृष्बािधित व्यक्ति रहते है। वहीं केन्द्र शासित प्रदेशों में सबसे दृष्टिबाधितों की लक्षद्वीप में है जहॉ केवल 337 दृष्टिबाधित व्यक्ति रहते हैं।

प्रस्तुत सारिणी से एक मुख्य तथ्य यह निकलकर आता है कि भारत में दृष्टिबाधितों की जनसंख्या वर्ष 2001 की मुकाबले कम हुई है परंतु गोवा एवं मणिपुर जैसे प्रदेशों में दृष्टिबाधितों की जनसंख्या थोडी वृद्धि हुई है।

8.8 राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले दृष्टिबाधितों की संख्या प्रति हजार

राज्य एवं केन्द्र शसित प्रदेश	निवास स्थान	कुल व्यक्ति	दृष्टिबाधिता	
			पुरूष	महिलाएं
असम	कुल			
	ग्रामीण	70,574	35,952	34,622
	शहरी	9979	5100	4879
जम्मू एवं कश्मीर	कुल			
	ग्रामीण	50142	27019	23123
	शहरी	16306	8637	7669
हिमाचल प्रदेश	कुल			
	ग्रामीण	24140	12291	11849
	शहरी	1936	1091	845

पंजाब	कुल ग्रामीण शहरी	 55165 27034	 29839 14972	 25326 12064
उत्तराखंड	कुल ग्रामीण शहरी	 21483 7629	 10341 4145	 11142 3479
हरियाणा	कुल ग्रामीण शहरी	 55737 26965	 29219 14405	 26518 12560
दिल्ली	कुल ग्रामीण शहरी	 792 29332	 430 16434	 362 12898
राजस्थान	कुल ग्रामीण शहरी	 238859 75759	 116476 39568	 122383 36191
उत्तर प्रदेश	कुल ग्रामीण शहरी	 579182 184806	 307821 100041	 271361 84765
बिहार	कुल ग्रामीण शहरी	 480118 68962	 259515 37528	 220603 31434
सिक्किम	कुल ग्रामीण शहरी	 2484 288	 1271 150	 1213 138
अरूणाचल प्रदेश	कुल ग्रामीण शहरी	 4669 983	 2334 528	 2335 455
नागालैंड	कुल ग्रामीण शहरी	 3291 859	 1689 441	 1602 418
मणिपुर	कुल ग्रामीण	 12461	 6458	 6003

	शहरी	5765	2945	2820
मिजोरम	कुल ग्रामीण शहरी	 1237 798	 669 418	 568 380
त्रिपुरा	कुल ग्रामीण शहरी	 7675 3153	 3913 1599	 3762 1554
मेघालय	कुल ग्रामीण शहरी	 6069 911	 3026 468	 3043 443
पश्चिम बंगाल	कुल ग्रामीण शहरी	 277366 147107	 145670 77655	 131696 69452
झारखंड	कुल ग्रामीण शहरी	 142001 38720	 74799 21243	 67202 17477
उडीसा	कुल ग्रामीण शहरी	 227552 36277	 117590 19261	 109932 17061
छत्तीसगढ	कुल ग्रामीण शहरी	 88065 23104	 43912 12154	 44153 10950
मध्य प्रदेश	कुल ग्रामीण शहरी	 192819 77932	 101623 42659	 91196 35273
गुजरात	कुल ग्रामीण शहरी	 98315 115835	 51468 62149	 46847 53686
दमन व दीव	कुल ग्रामीण शहरी	 146 236	 95 127	 51 109
दादर व नगर	कुल			

हवेली	ग्रामीण शहरी	260 169	136 98	124 71
महाराष्ट्र	कुल ग्रामीण शहरी	 321266 252786	 171367 140468	 149899 112318
आंध्र प्रदेश	कुल ग्रामीण शहरी	 261467 136677	 127379 71094	 134088 65583
कर्नाटक	कुल ग्रामीण शहरी	 139405 124765	 69266 64643	 70139 60122
गोवा	कुल ग्रामीण शहरी	 2418 2546	 1138 1212	 1280 1334
लक्षद्वीप	कुल ग्रामीण शहरी	 104 233	 45 104	 59 129
केरल	कुल ग्रामीण शहरी	 63409 52104	 29155 24012	 34254 28092
तमिलनाडु	कुल ग्रामीण शहरी	 71650 55755	 37833 29911	 33817 25844
पुडुचेरी	कुल ग्रामीण शहरी	 1349 2259	 672 1169	 677 1090
अंडमान एवं निकोबार	कुल ग्रामीण शहरी	 919 165	 511 87	 408 78
चंडीगढ	कुल ग्रामीण शहरी	 31 1743	 14 1064	 17 679
भारत	कुल ग्रामीण शहरी	3502590 1529873	1820936 817580	1681654 712293

बोध प्रश्न –

टिप्पणी – क : नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिये–

ख : इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों में से अपने उत्तर का मिलान कीजिये–

4. जनगणना 2001 के अनुसार भारतवर्ष में कुल दृष्टिबाधितों की जनसंख्या क्या थी ?

....

....

....

5. 2011 में दृष्टिबाधितों की जनसंख्या कितनी थी ?

....

....

....

8.9 साराश

विकलांगों की जनसंख्या से प्राप्त आँकडें सरकार के लिए बहुत आवश्यक है। प्रस्तुत आँकड़ों एवं जनसंख्या के आधार पर सरकार द्वारा विकलांगों के हित के लिए कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण किया जाता है।

जनगणना 2011 के आँकडों को देखने के उपरांत यह ज्ञात होता है कि भारत में विकलांगों की जनसंख्या में कमी आयी है। विकलांगों की जनसंख्या देखने से यह ज्ञात होता है कि विकलांगता की प्रत्येक श्रेणी में पुरूषों की जनसंख्या महिलाओं की जनसंख्या के मुकाबले अधिक है।

भारत में विकलांगों की संख्या सबसे अधिक 10–19 आयु वर्ग के व्यक्तियों की है। इस आयु वर्ग में विकलांगों की कुल जनसंख्या 46,16,050 है जिसमें से 26,10,174 पुरूष एवं 20,05,876 महिलाएं हैं। जबकि सबसे कम विकलांगों की जनसंख्या 90 वर्ष से अधिक व्यक्तियों की है। जिसके अंर्तगत विकलांगों कुल जनसंख्या 2,25,571 है जिसमें 97,409 पुरूष एवं 1,28,162 महिलाएं हैं।

जनगणना 2011 से प्राप्त दृष्टिबाधितों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दृष्टिबाधितों की जनसंख्या है। लगभग 7,63,988 दृष्टिबाधित व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहते है। हालकि वर्ष 2001 की जनगणना में भी उत्तर प्रदेश में 18,52,071 दृष्टिबाधित व्यक्ति रहते थे जो कि सार्वधिक थे।

2011 की जनगणना में राज्य स्तर पर सबसे कम दृष्टिबाधितों की संख्या मिजोरम में है जहॉ केवल 2035 दृष्टिबाधित व्यक्ति ही रहते हैं। केन्द्र शासित प्रदेशों में दृष्टिबाधितों की सबसे अधिक संख्या पांडीचेरी में है जहॉ लगभग 3,608

दृष्टिबाधित व्यक्ति रहते है। वहीं केन्द्र शासित प्रदेशों में सबसे कम दृष्टिबाधितों की संख्या लक्षद्वीप में है जहॉ केवल 337 दृष्टिबाधित व्यक्ति रहते हैं।

8.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. लगभग 125 करोड़
2. लगभग 2,68,10,557
3. 54, 36, 604
4. 1,06,34,881
5. 50,32,463

8.11 अभ्यास प्रश्न

1. जनगणना 2011 के अनुसार भारत में विकलांगों की कुल जनसंख्या कितनी हैं?
2. जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दृष्टिबाधितों की कुल जनसंख्या कितनी हैं?
3. भारत के विभिन्न प्रदेशों में दृष्टिबाधितों की जनसंख्या को बतलाइए।

8.12 उपयोगी पुस्तकें

1. Status of Disability (2007), Rehabilitation Council of India Publication: New Delhi
2. Status of Disability (2011), Rehabilitation Council of India Publication: New Delhi
3. NSSO data 2001
4. Census of India- http://www.censusindia.net/disability

इकाई–9– प्रारम्भिक पहचान एवं हस्तक्षेप

इकाई की रूपरेखा –

9.1 प्रस्तावना

9.2 उद्देश्य

9.3 प्रारम्भिक पहचान एवं हस्तक्षेप

9.4 दृष्टि दोष के लक्षण

9.4.1 जन्म के समय सामान्य लक्षण

9.4.2 0–3 माह में सामान्य लक्षण

9.4.3 3–6 माह में सामान्य लक्षण

9.4.4 6–9 माह में सामान्य लक्षण

9.4.5 9–12 माह में सामान्य लक्षण

9.4.6 1–2 वर्ष में सामान्य लक्षण

9.4.7 2–5 वर्ष में सामान्य लक्षण

9.4.8 सामान्य प्रदर्शित लक्षण

9.5 प्रारम्भिक पहचान हेतु प्रोत्साहन क्रियाएं

9.6 हस्तक्षेप का अर्थ

9.7 हस्तक्षेप के उद्देश्य

9.8 क्रियात्मक मूल्यांकन का अर्थ एवं प्रक्रिया

9.8.1 आंखों की गति का नियंत्रण

9.8.2 दृष्टि जागरूकता एवं ध्यान

9.8.3 आँखों द्वारा दृष्टि को दौड़ाना

9.8.4 वस्तुओं का विभेदीकरण

9.8.5 Visual Figure- ground discrimination-

9.8.6 Visual Closure-

9.8.7 Form Consistancy-

9.8.8 आँखों एवं पैरों में समन्वय–

9.9 सारांश

9.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

9.11 अभ्यास प्रश्न

9.12 उपयोगी पुस्तकें

9.1 प्रस्तावना

विकलांगता के क्षेत्र में प्रारम्भिक पहचान एवं हस्तक्षेप का विशेष महत्व होता है। विशिष्ट शिक्षा के विशेषज्ञों द्वारा प्रारम्भिक पहचान के महत्व की विशिष्टता को दृष्टिगत रखते हुए इस संबंध में कहा है कि शीघ्र या प्रारम्भिक पहचान के द्वारा विशेषज्ञों एवं माता–पिता या अभिभावकों द्वारा बालकों के विकासात्मक पहलुओं के बारें में पूर्व में ही अंदाजा हो जाता है। जिसके आधार पर माता–पिता विशेषज्ञों की सहायता से बालक के भविष्य में आने वाली समस्याओं एवं कठिनाईयों से परिचित हो जाते हैं एवं उन्हें कम करने का प्रयास करते हैं। जिससे उनके विकास के स्तर को बढ़ाया जा सके। हांलाकि पूर्व में कुछ विशेषज्ञों द्वारा यह माना जाता था कि प्रारम्भिक पहचान केवल मानसिक विकलांगता के क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। परंतु विशेष शिक्षा की विशेषज्ञता के विकास के साथ–साथ प्रारम्भिक पहचान एवं शीर्ध हस्तक्षेप की आवश्यकता विकलांगता के सभी क्षेत्रों मे बढती जा रही है। प्रारम्भिक पहचान एवं शीर्ध हस्तक्षेप के उपरांत यदि माता–पिता, अभिभावकों एवं विशेषज्ञो को उनकी सीमाओं एवं विशेषताओं को जानना अति आवश्यक है। जैसा कि आपको ज्ञान होगा कि प्रारम्भिक पहचान एवं शीध्र हस्तक्षेप बालक की प्रारम्भिक अवस्था अर्थात 0 से 5 वर्ष की आयु के अंदर ही किया जा सकता है। अतः यह आवश्यक होता है कि हमे बालक की शैक्षिक मूल्यांकन के स्थान पर क्रियात्मक मूल्यांकन पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। जिससे हम बालक के क्रियात्मक मूल्यांकन के आधार पर उनकी सीमाओं को जान सकें एवं उनकी सीमाओं को सुदृढ बनाने का प्रयास करे सकें।

9.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

- प्रारम्भिक पहचान एवं हस्तक्षेप का अर्थ जान सकेंगें।
- प्रारम्भिक अवस्था में बालकों के दृष्टिदोष संबंधी लक्षणों के बारे में जान सकेंगे।
- प्रारम्भिक पहचान हेतु प्रोत्साहन के बारें में जान सकेंगे।
- हस्तक्षेप का अर्थ एवं उद्देश्य जान सकेंगे।
- क्रियात्मक मूल्यांकन एवं उससे संबंधित क्रियाओं के बारें में जान सकेंगे।

9.3 प्रारम्भिक पहचान एवं हस्तक्षेप

दृष्टि अक्षमता के क्षेत्र में बालक की आँखों की प्रारम्भिक जांच सबसे महत्वपूर्ण है। आंखों के सभी चिकित्सक इस बात से अवगत हैं कि यदि व्यक्तियों को इस बारें में जानकारी दी जाये कि उन्हें आँखों से संबंधित कोई समस्या, विकलांगता या भविष्य में जाकर उन्हें आँखों से संबंधित किसी समस्या का समाना करना पड़ सकता है। तो वह

व्यक्ति कुंठा से ग्रस्त हो सकता है। कुछ केसों में ऐसा भी देखा गया है व्यक्ति चिकित्सक के समक्ष अपनी दृष्टि में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नही हो सकती। परिणामस्वरूप इस स्थिति में भी व्यक्ति कुंठा से ग्रसित हो जाता है।

इस प्रकार के दृष्टिदोषों की यदि लगभग 3 से 4 वर्ष की आयु में पहचान हो जाये तो इन दृष्टिदोषों का प्रभावशाली प्रकार से प्रबंधन किया जा सकता है। प्रारम्भिक स्तर पर इस प्रकार के दृष्टि दोषों को पता लगाना है प्रारम्भिक पहचान कहलाता है एवं प्रारम्भिक पहचान द्वारा उनके दृष्टि दोषों का प्रबंधन करना है शीघ्र हस्तक्षेप कहलाता है। परंतु ऐसा नही है कि प्रत्येक स्थिति में प्रारम्भिक पहचान होना संभव है। ऐसा देखा गया है कि लगभग 24 प्रतिशत ऐसे दृष्टि विकार है जो जन्म के उपरांत एक लम्बे समय तक दिखाई नही देते हैं। जोकि भविष्य में जाकर दृष्टिहीनता के कारण बनते है।

9.4 दृष्टि दोष के लक्षण

बालकों में यदि दृष्टि दोष के लक्षण के प्रारम्भिक अवस्था में पहचान हो जाती है तो बालकों पर दृष्टि दोषों के प्रभाव को कम किया जा सकता है एवं उनका उचित प्रबंधन किया जा सकता है। इकाई के इस भाग में हम विभिन्न आयु में दृष्टिबाधिता के लक्षणों के बारें में चर्चा करेंगे।

9.4.1 जन्म के समय दृष्टिबाधिता के लक्षण

- यदि बालक किसी वस्तु को देखता हो और उसकी आंखों में भैंगापन हो।
- यदि बालक द्वारा किसी वस्तु को देखते समय दोनो आँखों के मुकाबले एक आँख का ही प्रयोग करें।
- बालक की एक या दोनों आँखें असामान्य रूप से बाहर की तरफ निकली या अंदर की तरफ धँसी हो।
- यदि बालक की आंखों से अत्यधिक पानी निकलता हो, आंखें लाल हो या आंखों की पलकों में किसी प्रकार की पपड़ी बन रही हो।
- यदि बालक किसी वस्तु को देखने के लिए अपने सर को असामान्य तरह से मोड़ता हो।

9.4.2 0–3 माह में दृष्टिबाधिता के सामान्य लक्षण

- यदि बालक अपने दृष्टि क्षेत्र में आने वाली वस्तुओं का पीछा करने में असमर्थ हो।
- यदि बालक अपनें हाथों से नही खेलता हो।

9.4.3 3–6 माह के बालकों में दृष्टिबाधिता के लक्षण

- बालक अपने दृष्टि क्षेत्र या क्षमता के कारण खिलौनों तक पहुंच पाने में असक्षम हो।
- यदि बालक अपनी माता का दूध पीते हुए आपनी आँखों का अपनी मॉ की आँखों से संबंध नहीं बना पता हो।
- यदि बालक आपने हाथ में रखी वस्तु का निरीक्षण नहीं करता हो।

9.4.4 6–9 माह के बालकों में दृष्टिबाधिता के लक्षण

- यदि बालक की गत्यात्मक कौशलों जैसे सरकना, बैठना या रेंगने की गतिविधियों का विकास न हो।
- यदि बालक समान वस्तुओं और व्यक्तियों में अंतर कर पाने में सक्षम न हो।
- यदि बालक छोटी वस्तुओं एवं खिलौनों का सफलतापूर्वक उठानें में अक्षम हो।

9.4.5 9–12 माह के बालकों में दृष्टिबाधिता के लक्षण

- यदि बालक किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी एक आंख बंद या ढकने लगे।
- यदि बालक खेलने वाली वस्तु को अपनी आंखों के काफी समीप लेकर जाये।

9.4.6 1–2 वर्ष के बालकों में दृष्टिबाधिता के लक्षण

- यदि बालक विलंब या देरी से चलना प्रारम्भ करें
- यदि बालक चलते समय किसी बड़ी वस्तु से टकराये।
- यदि बालक खेलने में रूचि न ले।
- यदि बालक चित्रों वाली पुस्तकों को देखने में रूचि न ले।
- यदि बालक द्वारा किसी किताब या वस्तु को देखने के लिए आँखों के समीप लाये।
- यदि बालक अंजान जगह या धरातल पर चलने में घबराता हुआ दिखाई दे।
- यदि बालक रंगीन वस्तुओं की तरफ आकर्षित न हो।
- यदि बालक आवाज की तरफ अधिक ध्यान केन्द्रित करे।

9.4.7 2–5 वर्ष के बालकों में दृष्टिबाधिता के लक्षण

- यदि बालक छोटी वस्तुओं को ठोकर मारता हो।
- यदि बालक बड़ी–बड़ी वस्तुओं से टकराता हो।
- यदि बालक फेंकनें, पकड़ने, उछालने या निशाना लगाने वाले खेलों में रूचि न ले।
- यदि बालक उन कार्यो को करने में रूचि न ले जिनमें दृष्टि का उपयोग होता है।
- दूर की वस्तु देखने में समस्या का सामना करना पडता हो।

- मिलते जुलते रंगों को पहचानने में असक्षम हो।

उपरोक्त सभी ऐसे लक्षण हों जो बालकों की आयु के साथ–साथ प्रदर्शित होते है। परंतु ऐसा भी संभव है कि बालक की दृष्टिबाधिता उपरोक्त कार्यकाल में ज्ञात न हो। उसका कारण अभिभावकों की दृष्टिबाधिता के प्रति अनभिज्ञता भी हो सकती है। अतः बालक के विद्यालय में प्रवेश के उपरांत भी कुछ लक्षण ऐसे दिखाई देते है जिनसे बालक की दृष्टिबाधिता की पहचान की जा सकती है।

दृष्टिबाधिता के निम्न सामान्य लक्षण जो कि अध्यापकों या अभिभावकों को बालक की विद्यालयीय आयु में प्रदर्शित होता हैः–

- किसी दूर अथवा पास की वस्तु को देखते समय शरीर में कड़ापन आना
- कम समय तक किसी वस्तु अथवा कार्य में ध्यान केद्रित करना
- पुस्तकों को पढ़ने, लिखने या रंग भरते समय पुस्तक को आँखों के नजदीक लेकर जाना।
- पुस्तक या किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी एक आँख बंद कर लेना अथवा आँख को ढ़क लेना।
- बालक द्वारा ऐसे कार्यो में रूचि न लेना जिस पर दृष्टि के केंद्रियीकरण करने की आवश्यकता हो। ऐसे किसी भी कार्य को करने में नर्वस महसूस करते है तथा कार्य करने के उपरांत चिड़चिड़ापन एवं अनियमित थकान होती है।
- पढ़ी हुई चीजों को याद रखने में कठिनाई होती है।
- आधारभूत गणितीय ज्यामितियों को याद रखने, पहचानने एवं पुनः निर्माण करने में कठिनाई आना
- क्रमबद्ध प्रत्ययों को पूर्ण करने में समस्या का सामना करना।
- कार्य करते समय आँखों, हाथों, आंखों एवं पैरों में समन्वय करने में कठिनाई आना।

9.5 प्रारम्भिक पहचान हेतु प्रोत्साहन क्रियाएं

दृष्टिबाधिता से ग्रसित बालकों की प्रारम्भिक पहचान बहुत आवश्यक है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे बालकों में उनकी सामर्थ्य का पूर्ण विकास करना तथा उनकी विकलांगता का उनके जीवन पर प्रभाव को कम करना। इसलिए आवश्यक है कि बालक की विकलांगता के प्रारम्भिक पहचान के लिए निम्नलिखित उपायों एवं कार्यक्रम का क्रियांवन किया जा सकता है :–

1. निम्न स्तर पर जागरूकता पैदा या उत्पन्न करना।
2. बालक के जन्म के साथ–साथ बालक के स्वास्थ्य संरक्षण के बारे मे जानकारी रखना।

3. सही प्रकार से माता–पिता एवं अभिभावकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं संबंधित व्यक्यिों को निर्देशन/सलाह एवं परामर्श देना।
4. दृष्टिबाधिता के प्रभाव, रोकथाम और संबंधित बातों का समाज में प्रचार प्रसार करना।
5. समाज में विकलांगता के क्षेत्र में तथा संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

9.6 हस्तक्षेप का अर्थ

यदि विकलांगता के संबंध में प्रारम्भ एवं समय पर उसकी रोकथाम या उसके असर को कम करने हेतु किसी प्रकार का क्रियान्वन नही होता है तो भविष्य में विकलांगता का व्यक्ति या बालक के जीवन पर गंभीर प्रभाव प्रभाव पड़ सकता है। जिसका परिणाम काफी गंभीर हो सकता है। प्रारम्भ में विकलांगता के प्रति सजगता विकलांग व्यक्ति के भविष्य को संवार सकता है एवं उसके जीवन में आने वाली समस्याओं से लड़ने के लिए उसे तैयार करता है। उपयुक्त हस्तक्षेप का क्रियांन्वयन जैसे शिक्षा, जागरूकता, चिकित्सीय/शाल्य आदि हस्तक्षेप विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता की गंभीरता को कम कर सकता है एवं समाज में उनको आसानी से पुर्नवासित कर सकता है।

9.7 हस्तक्षेप के उद्देश्य

- प्रारम्भ में ही दृष्टिहीनता का पता लगाने से बालक के प्रारम्भिक जीवन में विकलांगता के प्रभाव को कम किया जा सकता है।
- दृष्टिबाधित बालक के विकास के स्तर को गति प्रदान की जा सकती है।
- दृष्टिबाधित बालक के व्यवहार के पैटर्न एवं कौशलों को बढ़ाने हेतु प्रयासरत रहना।
- दृष्टिबाधित बालक के व्यक्तिगत कार्य को करने के कौशलों में वृद्धि होना।
- परिवार के सदस्यों को दृष्टिबाधित बालकों की समस्या को कोप अप करने के लिए प्रोत्साहित करना।

प्रारम्भिक स्तर पर निम्न उपागमों की द्वारा दृष्टिबाधित बालकों में प्रारम्भिक हस्तक्षेप की सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं:–

- इंद्रिगामक समावेशन तकनीक के द्वारा
- इंद्रिय के अंगों का विशेष परीक्षण देना

- अनुपस्थिति एवं चलिष्णुता का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- मानसिक विकासात्मक चिकित्सा द्वारा।
- मनो–सामाजिक हस्तक्षेप द्वारा
- चिकित्सीय हस्तक्षेप द्वारा
- बहु–अनुशासन संबंधी हस्तेक्षप द्वारा

हस्तक्षेप में मुख्यताः उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना चहिए जो दृष्टिबाधित एवं विकलांग व्यक्तियों/बालकों के साथ जुडे हैं जैसे अभिभावक एवं केयर गिवर। अतः आवश्यक है कि उन्हें भी निम्न सेवाएं प्रदान की जानी चाहिएः–

- निर्देशन एवं परामर्श
- मनो–समाजिक हस्तक्षेप ताकि वे भविष्य में आने वाली समस्यों को सुलझाने में सक्षम हो सके।
- विकलांगता के संबंध में माता–पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों को इसके बारे में अवगत करवाया जाये।
- माता–पिता को दृष्टिबाधिता एवं उसके संबंध में उचित प्रशिक्षण एवं इसके प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

बोध प्रश्न –

टिप्पणी – क : नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिये–

ख : इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों में से अपने उत्तर का मिलान कीजिये–

1. 0–3 माह में दृष्टिबाधित बच्चे के सामान्य लक्षण क्या हैं ?

....

....

....

2. दृष्टि दोष की प्रारम्भिक पहचान कैसे की जाती है?

....

....

....

3. सामान्य रूप सें कितने प्रतिशत बच्चों में दृष्टि विकार होता है?.

....

....

....

9.8 क्रियात्मक मूल्यांकन का अर्थ एवं प्रक्रिया

सामान्यताः एक दृष्टिबाधित एवं दृष्टिवान बालक की दृष्टि के स्तर एवं क्षमता दोनो में बहुत असमानता पाई जाती है। आपको यह अवगत करवाना अति आवश्यक है कि यहॉ दृष्टिबाधित व्यक्ति से अभिप्राय अल्पदृष्टिवान व्यक्ति या बालक से है। अल्पदृष्टिवान एवं दृष्टिवान बालकों द्वारा अपनी दृष्टि का उपयोग विभिन्न कार्यो के लिए किया जाता है। जिसे क्रियात्मक दृष्टि कहा जाता है। जैसा कि आप जानते है अल्प दृष्टिवान बालक उन सभी बारीक कार्यो को करने में असक्षम रहते हैं जो एक दृष्टिवान बालक कर सकते हैं। जैसे बुनना, सिलाई, तथा छोटे अक्षरों का पढ़ना इत्यादि।

क्रियात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया के अंर्तगत विशिष्ट शिक्षक एवं विशेष शिक्षा के विशेषज्ञो द्वारा अल्पदृष्टिवान व्यक्तियों/बालकों की दृष्टि का मूल्यांकन उसके द्वारा किये जाने वाले कार्यो के आधार पर किया जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों में अल्पदृष्टिवान व्यक्ति के क्रियात्मक दृष्टि के मूल्यांकन हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक रूपरेखा प्रकाशित की गई है। जिसके अंर्तगत् अल्पदृष्टिवान व्यक्ति की क्रियात्मक मूल्यांकन हेतु 19 पदों का वर्णन किया गया है एवं उन पदों के आधार पर क्रियाएं चिन्हित की गयी है। इन क्रियाओं के आधार पर दृष्टिबाधित व्यक्तियों की दृष्टि का मूल्यांकन किया जाता है। जिसे क्रियात्मक दृष्टि मूल्यांकन कहा जाता है तथा दृष्टिबाधित व्यक्तियों की क्रियात्मक दृष्टि का मूल्यांकन करने हेतु जिन क्रियाओं को करवाया जाता हैं उन्हें क्रियात्मक दृष्टि मूल्यांकन प्रक्रिया कहा जाता है।

आईए अब हम दृष्टिबाधितों की दृष्टि के मूल्यांकन हेतु कुछ पदों को एवं उन पदों के अंर्तगत आने वाली क्रियाओं के बारें में चर्चा करें।

9.8.1 आंखों की गति का नियंत्रण

दृष्टि मूल्यांकन की इस प्रक्रिया में आँखों से वस्तुओं का पीछा करना होता है। इसके द्वारा दृष्टि मूल्यांकन हेतु निम्न क्रियाओं को करवाया जा सकता हैः–

उदाहरण–1– इस प्रक्रिया के दौरान बालक को एक पेन टार्च की रोशनी दिखाई जा सकती है एवं बालक को यह निर्देशित किया जाता है कि वह टार्च की रोशनी को अपनी आँखों से पीछा करें। इस प्रक्रिया में टार्च की रोशनी को दायें से बायें एवं बायें से दायें तरफ लेकर जाया जाता है। रोशनी को ऊपर से नीचे व नीचे से ऊपर की तरफ भी ले जाया जा सकता है। जब बाल की दृष्टि का विकास हो तो टार्च की रोशनी को थोडा दूर लेकर जाया जा सकता है। जिससे बालक की दृष्टि क्षमता का भी ज्ञान होता है।

उदाहरण–2– किसी गेंद का एक स्प्रिंग से नीचे लटका दीजिये एवं गेंद को दाये से बायें हिलाइए साथ ही साथ बालक को यह कहा जाये कि वह अपनी दृष्टि गेंद पर

ही बनाये रखे ताकि हम यह जान सकें कि बालक गेंद की दिशा का अनुसरण कर रहा है या नहीं।

9.8.2 दृष्टि जागरूकता एवं ध्यान

इस प्रकार की क्रियाओं को रोचक एवं रूचिकर बनाने के लिए आवश्यक है कि बालकों को रंगीन एवं चमकीली वस्तुओं के साथ क्रियाओं को करवाया जाता है।

उदाहरण–1– इस क्रिया के अंर्तगत एक पेन टार्च लेकर बालक की आंखों से लगभग 15 सी0मी0 की दूरी से उसकी आंखों पर रोशनी डालनी चाहिए एवं बालक की प्रक्रिया को नोट करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या बालक अपनी आंखें बंद कर रहा है। इसके उपरांत टार्च को जलानी एवं बुझानी चाहिए तथा बालक की प्रतिक्रिया देखनी चाहिए। टार्च की रोषनी को 15 सी0मी. की दूरी पर रखकर दायें बायें तथा उपर नीचे ले जाकर बालक की प्रतिक्रिया देखी जा सकती है।

उदाहरण–2–किसी चमकीली गेंद या खिलौने का बालक की आंखों के समाने लाकर उस वस्तु की दिशा में परिवर्तन करना चाहिए और बालक की प्रतिक्रिया को नोट करना चाहिए और देखना चाहिए कि बालक उस वस्तु या खिलौने पर ध्यान दे रहा है या नहीं।

9.8.3 आँखों द्वारा दृष्टि को दौड़ाना

इस प्रक्रिया मे अंर्तगत बालक द्वारा किसी वस्तु विशेष को अपनी दृष्टि के द्वारा पहचाना जाता है।

उदाहरण–1– किसी स्थान पर तीन वस्तु/खिलौनों जैसे गेंद, कार एवं गुडिया का रख दीजिये और ध्यान दीजिये की बालक द्वारा एक वस्तु/खिलौने को उठाने के उपरांत दूसरी वस्तु को भी उठा लेता है। परंतु वस्तु रखते समय इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि सभी वस्तुएं बालक की उस दृष्टि क्षेत्र में रखी जानी चाहिए जहां से वह सभी वस्तुओं को आसानी से देख सकें एवं सभी वस्तुएं बालक की रूचि के अनुसार होनी चाहिए।

उदाहरण–2– बालक से कहें कि वह निम्न वाक्य में। पर गोला लगाये।

I CAME AGAIN AFTER ONE YEAR

डदाहरण–3– बालक से कहें कि वह निम्न आकृति में इकाई के अंकों पर गोला लाये।

1		27		3		37		6	
	9		5		23		1		69
				2		7			

9.8.4 वस्तुओं का विभेदीकरण

इस प्रक्रिया के अंर्तगत बालक द्वारा वस्तुओं एवं व्यक्तियों में विभेदीकरण की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है।

उदाहरण–1– इस प्रक्रिया के अंर्तगत बालक को परिवार के किसी एक परिचित व्यक्ति के फोटो के साथ–साथ कुछ अपरिचित व्यक्तियों की फोटो भी बालक को उपलब्ध कराये एवं बालक को उनमें से अपने परिचित व्यक्ति का फोटो ढूढ़ने के लिए कहें और निरीक्षण करें कि बालक परिचित व्यक्ति का फोटो ढूढ़ पाता है या नहीं।

उदाहरण–2– किसी एक गत्ते पर एक प्रकार की 5 आकृतियां एवं एक भिन्न प्रकार की आकृति को एक साथ चिपकायें तथा बालक से उस भिन्न आकृति को पहचाननें के लिए कहें।

उदाहरण–3–बालक को एक जानी पहचानी वस्तु जैसे किसी सब्जी को दिखाईए। अब बालक को तीन वस्तुओं को दिखाईए और बालक से वस्तुओं को बिना स्पर्ष किये उस वस्तु/सब्जी को पहचानने के लिए कहे जिसके बारें में उसने पूर्व में ज्ञान अर्जित कर रखा था।

9.8.5 Visual Figure- ground discrimination-

इस क्रिया के अंर्तगत एक वस्तु के समूह में से किसी एक विषेष प्रकार की वस्तु को अलग करना होता है।

उदाहरण–1– इस क्रिया के अंर्तगत बालक को कुछ आसान तस्वीरें देंगे। इन तस्वीरों में कुछ पत्ते, फल, व फूल होगे। इसके उपरांत उन तस्वीरों में से किसी एक प्रकार की तस्वीर पर गोला लगाने के लिए कहेंगे। धीरे–धीरे बालक द्वारा इस प्रक्रिया के कठिनाई के स्तर को बढ़ा देंगे।

उदाहरण–2– इस प्रक्रिया में मेज पर पेंन, पेंसिल, रबड़, किताबें तथा कॉपियों को फैलाकर रख देंगे। उसके उपरांत बालक को एक वस्तु जैसे रबड को दिखायेगे तथा रबड को मेज के किसी अन्य स्थान पर अन्य वस्तुओं के साथ रख देंगे और बालक को उस वस्तु को ढूढने के लिए कहेंगे।

9.8.6 Visual Closure-

इस प्रक्रिया के अंर्तगत बालक को किसी वस्तु का केवल एक भाग दिखाया जाता है। और बालक से उस वस्तु को पहचानने के लिए कहा जाता है।

उदाहरण–1– किसी जानवर का चित्र लीजिये और उस चित्र के पीछे के आधे भाग का ढक या छुपा लीजिये और बालक से उस वस्तु को पहचानने के लिए कहे।

उदाहरण–2– यदि बालक पढने में सक्षम हो तो यह क्रिया छुपे हुए या आधे अक्षरों या अंकों के द्वारा भी किया जा सकता है जैसे

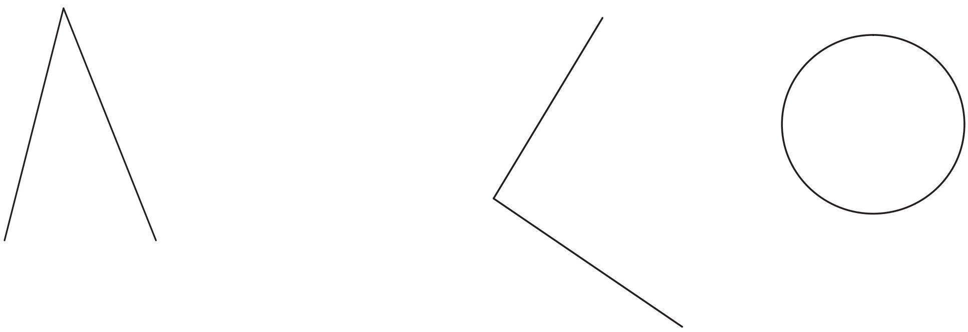

9.8.7 Form Consistency-

इस प्रक्रिया के अंर्तगत बालक को एक ही वस्तु को विभिन्न कोणों से दिखाई जाती है। और बालक को उस आकृति, चित्र या वस्तु का पहचाननें के लिए कहा जाता है। और यह भी देखा जाता है कि बालक उसे पहचानने में सक्षम है या नहीं।

उदाहरण–1– एक चम्मच को अपने हाथ में उठाईये और बालक को विभिन्न कोंणों से उस चम्मच को दिखाईए और बालक से उस वस्तु को पहचानने के लिए कहें।

1. आँखों एवं हाथों में समन्वय– इस क्रिया के अंर्तगत बालक से ऐसे क्रियाऐं करवायी जाती है जिसके अंर्तगत बालक अपने हाथों एवं आँखों का समन्वय कर क्रिया को पूरा करते है।

उदाहरण–1– बालक को एक मोटा धागा एवं कु बडे छेद वाले बीज दे दीजिये और बालक से उस धागें में उन बीजों को डालने के लिए कहें।

उदाहरण–2– नीचे दी गई बिंदुओं को जोडने के लिए कहें।

उदाहरण–3– बालक को किसी गोले या आकृति में रंग भरने के लिए कहें।

9.8.8 आँखों एवं पैरों में समन्वय

इस क्रिया के अंर्तगत बालक अपनी आँखों एवं पैरों दोंनो का प्रयोग करते हुए क्रिया को पूर्ण करेंगा।

उदाहरण–1– बालक को बॉल में लात मारने के लिए कहें।

उदाहरण–2– एक फर्ष पर कुछ वर्ग बनाये और उन पर विभिन्न रंगों जैसे हरा, नीला एवं लाल रंगों से भरीये। इसके उपरांत बालक को निर्देशित कीजिये के वह पहला कदम लाल रंग वाले वर्ग पर रखे, दूसरा कदम हरे रंग के वर्ग पर रखे एवं इसी प्रकार अन्य कदमों के बारे में भी बालक को निर्देशित कीजिये।

बोध प्रश्न –

टिप्पणी – क : नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिये–

ख : इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों में से अपने उत्तर का मिलान कीजिये–

4. Form Consistency क्या हैं ?

....

....

....

5. विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित रूपरेखा में अन्य दृष्टिवान व्यक्ति की मूल्यांकन प्रक्रिया में कितने पद हैं?

....

....

....

9.9 सारांश

विकलांगता के क्षेत्र में प्रारम्भिक पहचान एवं हस्तक्षेप काफी उपयोगी होता है। प्रारंभिक पहचान के द्वारा विकलांग या दृष्टिबाधित बालक पहचान कर आवश्यकतानुसार उसके विकास हेतु आवश्यक कदम उठाये जा सकते है तथा विकलांग बालक की विकलांगता से संबंधित सीमाओं को कम किया जा सकता है। दृष्टिबाधित बालक के जन्म के साथ ही उसमें कुछ ऐसे लक्षण प्रदर्शित होने लगते है जिसके आधार पर बालक की विकलांगता या दृष्टिबाधिता को पहचाना जा सकता है। ऐसे आवश्यक नहीं है कि सभी दृष्टिबाधित बालकों को प्रारंभिक अवस्था में ही पहचाना जा सकता है। कुछ बालकों को समय के साथ–साथ उनमें आये लक्षणों के आधार पर उनकी दृष्टिहीनता का पहचाना जाता है। बालक की दृष्टिबाधिता को पहचान कर सबसे आवश्यक होता है कि बालक की सीमाओं को पहचाना जाये। जिसके लिए बालक का क्रियात्मक मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है। जिसकी विभिन्न तकनीकें होती है।

9.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. • यदि बच्चा दृष्टि द्वारा वस्तुओं का पीछा करने में असमर्थ हो।
   • यदि बच्चा अपने हाथों से नहीं खेलता हो ।
2. ऑखों की जॉच द्वारा
3. लगभग 24 प्रतिशत बच्चों में
4. वस्तु को विभिन्न कोणों से देखना
5. 19

9.11 अभ्यास प्रश्न

1. जन्म के समय दृष्टि दोष के लक्षणों को बताईए।
2. समाज में प्रारम्भिक पहचान हेतु प्रोत्साहन क्रियाएं को लिखिए।
3. दृष्टिबाधित बालकों के क्रियात्मक मूल्यांकन हेतु 2 विधियों के बारें में चर्चा कीजिये।

9.12 उपयोगी पुस्तकें

1. Visual Impairment Handbook – Dr. Bhushan Punani, Nandini Rawal

2. Source Book for Teachers of Visually Impaired – Sudesh Mukhopadhay, N.K. Jangira, M.N.G. Mani & M. Raychodhary

3. Education of Visually Impaired Pupils in ordinary Schools – J. Kirk Horton

4. Early Preparation of the Visually Impaired Children – Anand S. Athalekar

5. The Handbook for the teachers of the visually handicapped – National Institute for the Visually Handicapped, Dehradun

6- नंदिनी बसोले एवं स्वर्ण आहूजा– यदि आपकी कक्षा में दृष्टिहीन या दृष्टिबाधित बालक होः शिक्षकों के लिए सुझाव– एन0 ए0 बी0 प्रकाशनः मुम्बई

7. Status of Disability (2011)- Rehabiliation Council of India Pubilication: New Delhi.

खण्ड
4
दृष्टिबाधितों के शैक्षिक निहितार्थ

इकाई - 10 5
दृष्टिहीनता के प्रभाव

इकाई - 11 15
शिक्षा के सिद्धान्त

इकाई - 12 25
विस्तृत सामान्य पाठ्यक्रम

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

प्रो0 एम0 पी0 दुबे	कुलपति, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

विशेषज्ञ समिति

प्रो0 एस0पी0 गुप्ता	पूर्व निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
प्रो0 के0एस0मिश्रा	आचार्य, शिक्षा शास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
प्रो0 अखिलेश चौबे	पूर्व आचार्य, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
प्रो0 विद्या अग्रवाल	आचार्य, शिक्षा शास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
प्रो0 प्रतिभा उपाध्याय	आचार्य, शिक्षा शास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

लेखक

डा0 विनोद केन	असि. प्रोफेसर, एन.आई.वी.एच., देहरादून

सम्पादक

प्रो0 पी0सी0शुक्ला	आचार्य, शिक्षा संकाय, बी0एच0यू0, वाराणसी

परिमापक

प्रो0सीमा सिंह	आचार्य, शिक्षा संकाय, बी0एच0यू0, वाराणसी

समन्वयक

डॉ0 रंजना श्रीवास्तव	प्रवक्ता, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

प्रकाशक

डॉ0 राजेश कुमार पाण्डेय	कुलसचिव, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

© उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

ISBN-UP-978-93-83328-05-5

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्यसामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किस ी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

नोट : पाठ्य सामग्री में मुद्रित सामग्री के विचारों एवं आकड़ों आदि के प्रति विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं है

B.Ed.SE-03 : इन्द्रिय विकलांगता का परिचय

खण्ड—एक श्रवण विकलांगता : प्रकृति एवं वर्गीकरण

इकाई—1 श्रवण की महत्त्व एवं विभिन्न इन्द्रियॉ

इकाई—2 श्रवण की प्रक्रिया एवं विभिन्न प्रकार के श्रवण दोष

इकाई—3 श्रवण विकलांगता एवं उसके प्रभाव

खण्ड—दो श्रवण विकलांगता या क्षति का प्रभाव

इकाई—4 श्रवण विकलांगता की विशेषताऍ एवं संप्रेषण पर प्रभाव

इकाई—5 श्रवण विकलांगों के सम्प्रेषण विकल्प

इकाई—6 श्रवण विकलांग बालकों की साक्षरता विकास एवं शैक्षिक उपलब्धि तथा तकनीकी सहायता

खण्ड—तीन दृष्टिबाधिता – प्रकृति एवं मूल्यांकन

इकाई—7 दृष्टिबाधिता एवं देखने की प्रक्रिया

इकाई—8 जनसंख्या संबंधी ऑकड़े

इकाई—9 प्रारम्भिक पहचान एवं हस्तक्षेप

खण्ड—चार दृष्टिबाधितों के शैक्षिक निहितार्थ

इकाई—10 दृष्टिहीनता के प्रभाव

इकाई—11 शिक्षा के सिद्धान्त

इकाई—12 विस्तृत सामान्य पाठ्यक्रम

खण्ड—पॉच बधिरांधता

इकाई—13 बधिरांधता कारण, विशेषताऍ एवं शिक्षा तथा दैनिक क्रियाओं पर बधिरांधता का प्रभाव

इकाई—14 बधिरांधता की पहचान, मूल्यांकन एवं हस्तक्षेप

इकाई—15 बधिरांध बालकों की शैक्षिक आवश्यकता

खंड–4– दृष्टिबाधितों के शैक्षिक निहितार्थ

खण्ड परिचय

इकाई–10– प्रस्तुत इकाई में दृष्टिबाधित बालकों पर दृष्टिबाधिता के प्रभावों के बारे में चर्चा की गई है जिसमें दृष्टिबाधित बालकों की शारीरिक विकास, समाजिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा विकास आदि पर दृष्टिबाधिता के प्रभावों का उल्लेख किया गया है। दृष्टिबाधित बालकों के लिए उपलब्ध शैक्षिक संस्थाओं के विकल्पों के बारें में चर्चा की गई है।

इकाई–11– इकाई के इस भाग में दृष्टिबाधितों हेतु पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत के बारे में चर्चा की गई है जिसमें प्रतिस्थापन रूपान्तरण, द्विगुणित एवं मिटाना के सिद्धांत के बारें में बताया गया है। दृष्टिबाधितों की सीमाओं के बारे में भी बताया गया है। दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा के सिद्धांतों के बारे में भी बताया गया है।

इकाई–12– इसमें दृष्टिबाधितों के लिए जमा पाठ्यक्रम एवं उसके विभिन्न कौशलों के बारे में बताया गया है। विस्तृत सामान्य पाठ्यक्रम जो कि जमा पाठ्यक्रम का एक विस्तृत रूप है। प्रस्तुत इकाई में विस्तृत सामान्य पाठ्यक्रम का अर्थ, उसमें सम्मिलित कौशलों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके साथ–साथ दृष्टिबाधितों हेतु उपलब्ध सहायक उपकरणों के बारें में चर्चा की गई है।

इकाई—10—दृष्टिहीनता का प्रभाव

10.1 प्रस्तावना

10.2 उद्देश्य

10.3 दृष्टिहीनता का वर्गीकरण

10.4 दृष्टिहीनों की सीमाएं

10.5 दृष्टिहीनता का प्रभाव

10.5.1 दृष्टिहीनता का शारीरिक विकास पर प्रभाव

10.5.2 भाषा विकास पर पर दृष्टिहीनता का प्रभाव

10.5.3 अधिगम पर दृष्टिहीनता का प्रभाव

10.5.4 व्यक्तित्व पर दृष्टिहीनता का प्रभाव

10.6 दृष्टिबाधितों के लिए चयनित शैक्षिक स्थापना

10.7 सारांश

10.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

10.9 अभ्यास के प्रश्न

10.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

10.1 प्रस्तावना

जैसा कि आपको पूर्व के अध्याय/इकाई में आपको अवगत करवाया जा चुका है कि दृष्टिबाधिता के अंर्तगत दृष्टिहीनता एवं अल्पदृष्टिवान दोनो ही प्रकार के बालकों एवं व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। उपरोक्त कथन को इस लिए दोबारा बताया गया है क्योंकि दृष्टिबाधिता का अल्पदृष्टिवान एवं दृष्टिहीन बालकों पर भिन्न—भिन्न प्रभाव पडता है। विशेष शिक्षा के विद्वानों का यह मत है कि एक जन्मजात बालक समाज एवं विद्यालय में अपने आप को आसानी से समायोजित कर लेता है जबकि एक जन्म के उपरांत दृष्टिहीन बालक एवं अल्पदृष्टिवान बालक को अपने समाज एवं विद्यालय में समायोजित करना काफी मुश्किल होता है। इसका मुख्य कारण है कि यदि बालक बाद में दृष्टिहीन होता है तो वह अपने आप को काफी हीन/अवसादग्रस्त महसूस करता है क्योकि वह सभी कार्य अपनी आँखों अर्थात दृष्टि

के द्वारा करता था तथा अचानक ही दृष्टि खो जाने के उपरांत बालक अपने आप को समायोजित नही कर पाता जिससे उस पर दृष्टिहीनता का काफी प्रभाव पड़ता है। वहीं अल्पदृष्टि वान बालक अपने आप को दृष्टिहीन नही मानते एवं समाज उन्हे दृष्टिवान नही मानता। जिस कारण उन्हें समाज में समायोजित होने में समस्या उत्पन्न होती है जिस कारण दृष्टिहीनता का भी उन पर प्रभाव पड़ता है।

केवल पूर्ण दृष्टिहीनता अथवा अल्पदृष्टिवानता के साथ साथ व्यक्ति या बालक की दृष्टिहीन होने का समय भी उन पर दृष्टिहीनता के प्रभाव को प्रकट करता है। सामान्यताः ऐसा माना जाता है कि यदि कोई बालक अपनी आयु के 5 वर्ष पूर्ण करने से पूर्व ही अपनी आंखों की रोशनी खो देता है तो वह अपने भविष्य में पूर्व में देखी हुई वस्तुओं या अपने पूर्व के दृष्टि के अनुभवों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है। यदि व्यक्ति की आंखों में कुछ दृष्टि बची हुई होती है तो वह व्यक्ति किसी वस्तु को स्पर्ष करके तुरंत उस वस्तु को अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर पहचान लेता है।

10.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

- आप दृष्टिहीनता के वर्गीकरण को समझ सकेंगे।
- आप दृष्टिहीनता की सीमाओं के बारें में जान पायेंगे।
- आप दृष्टिबधिता के व्यक्ति पर विभिन्न प्रभावों को जान पायेंगे।
- आप दृष्टिबाधित बालकों हेतु विभिन्न शैक्षिक प्रावधानों के बारे मे जान पायेगे।

10.3 दृष्टिबाधिता का वर्गीकरण

दृष्टिहीनता को निम्न चार भागों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः–

1. पूर्ण दृष्टिहीनता– जिस बालक की दृष्टि पांच वर्ष की आयु से पूर्व ही जा चुकी हो ऐसे व्यक्ति को जन्मजात दृष्टिहीन की श्रेणी में रखा जा सकता है।
2. अर्जित दृष्टिहीनता अर्थात् जन्म के उपरांत दृष्टिहीनता– इस श्रेणी में उन दृष्टिबाधित बालकों या व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जिनकी दृष्टि जन्म के पांच वर्ष के उपरांत समाप्त हो गयी हो।
3. जन्म से ही अल्प दृष्टिवान
4. जन्म के उपरांत अल्प दृष्टिवान

10.4 दृष्टिहीनता की सीमाएं

दृष्टिहीनता की सीमाओं के कारण बालक का विकास निश्चय रूप से प्रभावित होते हैं। लॉवनफैल्ड (1973) ने दृष्टिहीनता की निम्न तीन सीमाओं को चिन्हित किया है:–

1. अनुभवों के क्षेत्र एवं विविधता का सीमित होना।
2. चलिष्णुता का सीमित होना
3. वातावरण पर नियंत्रण व वातावरण में स्वयं की स्थिति का सीमित होना।

10.4 दृष्टिहीनता का प्रभाव

आपको पुनः अवगत करवाना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में पांच प्रकार की ज्ञान इंद्रियों की अनुपस्थिति होती है तो व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप से प्रभावित होता है।

आपको ज्ञात होगा कि दृष्टि उन पांच ज्ञानइंद्रियों में से एक ज्ञानइंद्रि है जो व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शोध के द्वारा इस बात को प्रमाणित किया जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की 85 प्रतिशत से अधिक सूचनाएं दृष्टि के द्वारा प्राप्त होती है। इस आधार पर आप जान सकते है कि दृष्टि व्यक्ति के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है एवं व्यक्ति के जीवन में इसकी अनुपस्थिति व्यक्ति के विकास को कितना प्रभावित कर सकती है।

परंतु इसका अभिप्राय यह कतापि नही है कि दृष्टिहीनता से ग्रसित बालक पर दृष्टिहीनता के प्रभाव संपूर्ण जीवन रहता है। बालकों के आयु वृद्धि एवं शिक्षा के साथ–साथ बालक पर दृष्टिहीनता का प्रभाव कम होने लगता है।

10.4.1 शारीरिक विकास पर दृष्टिहीनता का प्रभाव

बालक की प्रारंभिक अवस्था अर्थात् जन्म के समय बालक पर दृष्टिहीनता का उसके शारीरिक विकास एवं मासंपेशियों के विकास पर किसी प्रकार का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पडता है। परंतु दृष्टिहीनता के कारण व्यक्ति की गति के द्वारा उसकी शारीरिक एवं मांसपेशियों के विकास में अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। उदाहरणार्थ यदि कोई बालक जन्म से ही दृष्टिहीन है तो जन्म के समय उसके और एक दृष्टिवान बालक का शारीरिक विकास समान रहता है। परंतु आयुवर्धन के साथ–साथ दृष्टिविकलांगता

के कारण दृष्टिहीन बालक की चलिष्णुता प्रभावित हाती है जिसका प्रभाव बालक के शारीरिक विकास पर पडता है।

जन्म के प्रथम 6 माह में दृष्टिबाधित एवं दृष्टिवान बालकों के विकास में किसी प्रकार की सार्थक अंतर नहीं दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण बालक का अपने माता–पिता पर पूर्णतः निर्भरता होती है। इस आयु में बालको की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति उनके माता–पिता द्वारा की जाती है। प्रारंभिक आवस्था में बालक द्वारा अपने माता–पिता पर निर्भरता के कारण आपनी दृष्टिहीनता के बारे में ज्ञान नही होता एवं वह अधिक मात्रा में अपनी दृष्टि का उपयोग भी नही करता है और वह अपने आप को सामान्य बालक की श्रेणी में ही रखता है। धीरे–धीरे तथा आयु वर्धन के साथ–साथ जब बालक आपने आस–पास के वातावरण से परिचित होता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयासरत होता है उस स्थिति में माता–पिता, रिश्तेदार एवं पडोस के व्यक्ति द्वारा बालक को उसकी दृष्टि की अनुपस्थिति अर्थात दृष्टिहीनता का एहसास दिलवाया जाता है।

इसके उपरांत बालक अपने आस–पास के वातावरण, अपने माता–पिता एवं रिश्तेदारों की पहचान उनकी आवाज के द्वारा करना प्रारंभ कर देता है तथा अपने माता–पिता द्वारा बोली गई बातों एवं शब्दों का अनुकरण करना प्रारम्भ कर लेता है। हालकि उन शब्दों का अर्थ जानने के लिए माता–पिता द्वारा बोले गये शब्दों से संबंधित वस्तुओं का बालक को ज्ञान करवाना चहिए तथा जहां तक संभव हो बालक को वस्तुओं का स्पर्ष करवाना चाहिए।

बाल्य अवस्था में बालक पर दृष्टिहीनता का प्रभाव अधिक व्याप्त होता है। इस अवस्था में बालक रेंगना, बैठना एवं चलना प्रारंभ कर देता है। आप इस बात से भलीभाँति अवगत होगे कि किसी बालक द्वारा एक जगह से दूसरी स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी उद्‌दीपक की अवश्यकता होती है। यह उद्दीपक किसी वस्तु, रोशनी अथवा व्यक्ति के रूप में बालक के समक्ष होना आवश्यक है। दृष्टि की अनुपस्थिति में दृष्टिहीन बालक इन उद्दीपकों से काफी दूर रहते है जिस कारण उसकी गतिविधियां काफी हद तक कम हो जाती है। जिससे उसकी शारीरिक एवं मांसपेशियों के विकास पर प्रभाव पडता है।

10.4.2 भाषा विकास पर पर दृष्टिहीनता का प्रभाव

दृष्टिहीनता के कारण बालक वातावरण में व्याप्त सभी वस्तुओं को देखने में असमर्थ होता है जिस कारण बालक में आकस्मिक अधिगम की क्षमता का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है जिस कारण बालक के शब्द कोष पर भी व्यापक प्रभाव पडता है। शब्द कोष की कमी के कारण बालक की भाषा के विकास पर भी सार्थक प्रभाव पड़ता है। दृष्टिबाधित बालक द्वारा किसी वस्तु को जानने के लिए आवश्यक है कि बालक को यह

सभी वस्तुओं को स्पर्ष करके दिखाना पड़ता है जबकि दृष्टिवान बालक इन सभी वस्तुओं को देखकर इसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि दृष्टिहीन व्यक्तियों की देखने की सीमा के कारण उनके भाषा के विकास पर प्रभाव पड़ता है।

10–4–3 अधिगम पर दृष्टिहीनता का प्रभाव

एक दृष्टिवान व्यक्ति द्वारा किसी भी वस्तु के बारे में जानने के लिए केवल उसको देखने भर से काफी अंदाजा हो जाता है जैसे वस्तु का रंग, आकार, देरी इत्यादि। परंतु दृष्टिबाधित बालक में दृष्टि की अनुपस्थिति दृष्टिहीन बालक को इन सभी अवसरों से वंचित रखती है। दृष्टि के आभाव में दृष्टिहीन बालक किसी वस्तु विशेष के बारे में जानने के लिए अपनी बची हुई इंद्रियों का प्रयोग करते है। दृष्टिबाधित बालकों को इन इंद्रियों की एक सबसे बड़ी सीमा यह होती है कि दृष्टिबाधित बालकों को उन वस्तुओं से संबंध स्थापित करना होता है एवं यदि वस्तु का आकार बहुत बडा होता है तो वह एक साथ उस वस्तु का प्रत्यय को समझ पाने में समर्थ नही होते है। इन सभी बातों का दृष्टिबाधित बालक के अधिगम को प्रभावित करता है।

10–4–4 व्यक्तित्व पर दृष्टिहीनता का प्रभाव

जैसा की आपको बताया जा चुका है कि प्रारंभ में बालक अपने माता–पिता के संरक्षण में रहते है इस लिए प्रारंभिक अवस्था में दृष्टिहीन बालकों के व्यक्तित्व पर दृष्टिहीनता का प्रभाव न के बराबर होता है। परंतु आयु वर्धन के साथ–साथ अधिकतर दृष्टिबाधित बालक दृष्टिवान बालक की अपेक्षा स्वयं की पहचान के लिए तुलनात्मक अधिक समय लेते हैं तथा दृष्टि की अनुपस्थिति का अभाव प्रारंभ से ही बालक के व्यक्तित्व पर अपना प्रभाव छोडने लगता है। यही प्रभाव बड़े होने पर बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। व्यक्तित्व पर दृष्टिहीनता के व्यापक प्रभाव का एक मुख्य कारण उद्दीपक की अज्ञानता, माता–पिता की अनभिज्ञता व अशिक्षा, दृष्टिहीनता होने की आयु एवं कारण, बची हुई दृष्टि इत्यादि होती है।

10.5 दृष्टिबाधितों के लिए चयनित शैक्षिक स्थापन

वर्तमान समय में दृष्टिबाधितों की शिक्षा में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो रहे है। विकलांगो के लिये अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष (IYDP) की स्थापना के बाद शैक्षिक सेवाओं के विकास में नये प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इनकी आवश्यकताओं के अनुसार नये प्रोग्राम बनाये जा रहे हैं। सर्वशिक्षा अभियान में अब विकलांग भी शामिल हैं। प्रारम्भिक स्तर के सर्वशिक्षा अभियान में विकलांगों को शामिल करने के कारण उनके

लिये विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा प्रारंभ की गयी। इसने शिक्षा का एक नया रास्ता बना दिया है और एकीकृत शिक्षा में विकलांगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढती जा रही है। एकीकृत शिक्षा के बढने से आवासीय विद्यालयों की आवश्यकताओं का पुनः मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ये विद्यालय अब बहुविकंलाग बालकों, अधिक गम्भीर विकलांग के लिये उपयुक्त है।

गृह आधारित प्रोग्रामः

यह प्रोग्राम उन विकलांग बालकों के लिये हैं जो विकलांगता के कारण विद्यालय नही जा सकते है या वे वहां रह रहे है जहां उपयुक्त विद्यालय नही है। इस तरह के विद्यालयों का उद्देश्य है कि शारीरिक अक्षम वाले बालकों को ''मानसिक भाजी'' (mental vegetable) न बना कर रख दें, अर्थात मानसिक रुप से निकम्मा न बना दें। यदि बच्चे विद्यालय नही पहुँच पाते है तो शिक्षा उनके पास जाये।

इस प्रोग्राम के दृष्टिकोण के अनुसार यदि किसी बालक को लम्बे समय तक घर पर ही रहना पड़ता है और ऐसे बालक की शिक्षा में रुकावट न आये, इसके लिये एक विशेष अध्यापक नामांकित किया जाता है जो इन बालको के घर पर जाकर शिक्षा देता है। इस प्रकार उसकी पढ़ाई में कम रुकावटें आती है। इस प्रणाली में इन विशेष अध्यापकों का मुख्य दायित्व है कि कक्षा के अध्यापकों के साथ सम्पर्क में रह कर इन बालकों के लिये निर्देश योजनायें बनाये। साथ ही मार्गदर्शक लाईन को तैयार करके इन छात्रों कों एक अध्यापक + एक छात्र के रुप में पढाये। ये अध्यापक नियमित रुप से इन बालकों के पास जाते है। इनसे आशा करते है कि इन बालकों के लिये सीखने का उचित वातावरण तैयार करें, जिससे इन बालकों की शारीरिक और संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो।

आवासीय विद्यालय

आवासीय विद्यालय उन बालकों के लिये होते है जो विद्यालयों में घर की तरह के वातावरण में रहते हैं अर्थात खाना पीना, रहना और शिक्षा वहां पर मिलती है। पारम्परिक रुप में बहुत से देशों में दृष्टिबाधितों के लिये यह विद्यालय बनाये गये है। सामान्य विद्यालयों की तरह यहां विषय से सम्बन्धित अध्यापक नियुक्त किये जाते है। जो विभिन्न विषय दृष्टिबाधित बालकों को पढ़ाते हैं यहां बालक छात्रावास की सब सुविधाएं पाता है। ये सुविधाएं सरकार द्वारा या दान द्वारा प्रदान कराई जाती है। अब जब से सामान्यीकरण का आन्दोलन I.E.D प्रोग्राम आया, तब से शैक्षिक सेवाएं बढ़ रही है। अब विशेष विद्यालयों के दायित्व खत्म हो रहे हैं, क्यों कि यह बालकों को पृथक कर देते है। साथ ही न तो समुदाय के साथ रहने का मौका देते है, ना ही माता पिता

के साथ रहने का मौका इन्हें मिलता है। अर्थात उनके साथ जो अनुभव मिलने चाहिए उनसे यह बच्चे वंचित रह जाते हैं।

एकीकृत शिक्षा

एकीकृत शिक्षा जीवन में और शिक्षा के क्षेत्र में समानीकरण (Normalising) को बढाने का लक्ष्य रखती है। जैसे सामान्य बालक अपना जीवन व्यतीत करते है वैसे ही ये दृष्टिबाधित बालक भी सामान्य तरीके से अपना जीवन व्यतीत करें। उनके समान और उनके साथ रहते हुए अपना जीवन घर में और विद्यालय में व्यतीत करें। इस प्रणाली का लक्ष्य है कि दृष्टिबाधित बालकों को न्यून अवरोधक वातावरण (least restrictive environment) प्रदान किया जाये। इसमें दृष्टिबाधित बालक भी देखने वाले बालकों के साथ सामान्य विद्यालय में ही अध्ययन करें ।

इसके निम्नलिखित उद्देश्य (objectives) है।

अ) जिस प्रकार दृष्टिवान को शैक्षिक अवसर और अनुभव प्राप्त होते हैं उसी प्रकार दृष्टिबाधित को भी प्राप्त हों।

ब) जिस प्रकार दृष्टिवान बालकों को उनके माता–पिता पड़ोसी और साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करने का अवसर मिलता है उसी प्रकार दृष्टिबाधित को भी प्राप्त हो।

स) दृष्टिबाधितों के प्रति समाज में रुढीवादी प्रतिक्रिया को बदलना । यह भी देखना है कि दृष्टिबाधितों के प्रति व्यवहार का तरीका ठीक हो। विकलांग बालकों को पहले बालक माना जाय, बाद में विकलांग ।

द) दृष्टिबाधितों बालकों के व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित कराना कि वे समाज में बडे होकर व्यस्क जीवन से स्वभाविक अनुभव प्राप्त करते हुए सामाजिक आर्थिक विकास में सहयोग दे सकें, अपना योगदान दे सके।

बोध प्रश्न –

टिप्पणी – क : नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिये–

ख : इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों में से अपने उत्तर का मिलान कीजिये–

1. गृह आधारित प्रोग्राम क्या है ?

....

....

....

2. आवासीय विद्यालय किसे कहेंगे ?

....

....

....

3. एकीकृत शिक्षा का लक्ष्य क्या है?

....

....

....

4. दृष्टिहीनता का शारीरिक विकास से क्या सम्बन्ध है?

....

....

....

5. दृष्टिहीनता का भाषा विकास पर कैसा प्रभाव पड़ता है?

....

....

....

10.7 सारांश

दृष्टिहीनता का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बोधिक, संवेगात्मक एवं समाजिक कारकों पर पड़ता है। परंतु इससे पूर्व आपको इस बात से भी अवगत करवाना अति आवश्यक है कि दृष्टिहीनता को पूर्ण दृष्टिहीनता एवं अल्पदृष्टिवान/अल्पदृष्टिहीनता में वर्गीकृत किया जा सकता है। साथ ही साथ दृष्टिहीनता का प्रभाव व्यक्ति की दृष्टिहीनता होने की आयु पर भी निर्भर करता है। यदि बालक जन्म से ही दृष्टिहीन है तो उस पर दृष्टिहीनता के प्रभाव उन व्यक्तियों के मुकाबले कम होते हैं जो कि जन्म के उपरांत दृष्टिहीन हुए है। शोधों द्वारा यह ज्ञान हुआ है कि जन्म के उपरांत दृष्टिहीनों पर दृष्टिहीनता का व्याप्क प्रभाव पड़ता है। दृष्टिहीनता की मुख्य्य सीमाएं अनुभवों के क्षेत्र एवं विविधता का सीमित होना, चलिष्णुता का सीमित होना एवं वातावरण पर नियंत्रण व वातावरण में स्वयं की स्थिति का सीमित होना है। दृष्टिहीनता का बालक के शारीरिक विकास पर प्रभाव पडता है। बालक की आयु वर्धन के साथ–साथ बालक पर दृष्टिहीनता का प्रभाव भी बदलते रहे है। उदाहरणार्थ जन्म के प्रथम 6 माह में दृष्टिबाधित एवं दृष्टिवान बालकों के विकास में किसी प्रकार की सार्थक अंतर नहीं दिखाई देता है। परंतु

बाद में बालक आपने माता–पिता द्वारा बोली गयी बातों एवं शब्दों का अनुकरण करने में सक्षम हो जाता है परंतु दृष्टि की अनुपस्थिति में उन शब्दों के अर्थ एवं वस्तु के प्रत्यय बारे में अनभिज्ञ होता है। दृष्टिहीनता का प्रभाव बालक की भाषा विकास पर भी पड़ता है। दृष्टि की अनुपस्थिति में बालक अपने आस–पास की वस्तुओं को देखने में असमर्थ रहता है जिसके कारण बालक की भाषा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भविष्य में भाषा विकास के प्रभाव के कारण बालक पर अधिगम विकास पर पडता है जिसका प्रभाव बालक के शैक्षिक एवं समाजिक विकास पर पड़ता है।

दृष्टिहीन बालकों के लिए सरकार द्वारा शैक्षिक विकास हेतु विभिन्न प्रावधान किये गये है। जिसके अंर्तगत बालक को गृह आधारित शिक्षा, आवासीय विद्य ायल एवं एकीकृत विद्यालयों का प्रावधान किया गया है।

10.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. उन विकलांगों के लिए है जो विद्यालय नहीं जा सकते ।
2. उन बालकों के लिए है जो विद्यालयों में घर की तरह के वातावरण में रहते हैं।
3. शिक्षा के समानीकरण
4. प्रथम 6 माह में दृष्टिबाधित एवं दृष्टिवान बालकों के विकास में सार्थक अन्तर नहीं पाया।
5. प्रतिकूल

10.9 अभ्यास के प्रश्न

1. दृष्टिहीनता को वर्गीकृत कीजिये।
2. दृष्टिहीन बालकों पर दृष्टिहीनता के प्रभावों की चर्चा कीजिये।
3. दृष्टिहीन बालको हेतु शैक्षिक प्रावधानों को बताइए।

10.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

Christoffel-Blinded Mission International. (1999). See with the Blind- Trend in Education of the Visually Impaired. Author: Banglore.

2- Horton, J. Kirk (1988). Education of Visually Impaired Pupils in Ordinary School. UNESCO Publication.

3- Jangira, N.K. & Mani, M.N.G. (1990). Integrated Education for the Visually Handicapped. The Academic Press: Haryana.

4- Punani, Bhushan & Rawal, Nandini (2000). Visual Impairment Handbook (2nd ed.). Blind People Association: Ahmedabad.

5- Lowenfeld, B. (1973). The visually handicapped children in school. John Day Company: New York.

इकाई –11– शिक्षा के सिद्धांत

11.1 प्रस्तावना

11.2 उद्देश्य

11.3 दृष्टिबाधितों हेतु पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत

11.3.1 प्रतिस्थापन

11.3.2 रूपान्तरण

11.3.4 द्विगुणित

11.3.4 मिटाना

11.4 दृष्टिबाधितों की सीमाएं

11.4.1 अनुभवों के क्षेत्र एवं विविधता का सीमित होना

11.4.2 चलिष्णुता का सीमित होना

11.4.3 वातावरण पर नियंत्रण व वातावरण में स्वयं की स्थिति का सीमित होना

11.5 दृष्टिबाधितों की शिक्षा के सिद्धांत

11.5.1 मूर्त अनुभवों की आवश्यकता

11.5.2 एकीकरणीय अनुभवों के लिए आवश्यकता

11.5.3 करके सीखने हेतु आवश्यकता

11.6 सारांश

11.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

11.8 अभ्यास के प्रश्न

11.9 उपयोगी पुस्तकें

11.1 प्रस्तावना

जैसा कि आप को विद्वित है कि दृष्टिबाधित बालकों में दृष्टि की अनुपस्थिति के कारण बालक के कार्य करने की क्षमता प्रभावित होता है। यह कार्य करने के क्षमता प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बालक की ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता पर निर्भर करता है। बालक दृष्टि की अनुपस्थिति में ऐसे कार्य को करने में कठिनाई महसूस करता है जिसे एक सामान्य दृष्टिवान बालक आसानी से कर लेता है। दृष्टिबाधित बालको द्वारा

कुछ ऐसे कार्य भी होते है जिसमें बालक की अपनी काफी सीमाएं होती है। यह कार्य बालक के सर्वांगीण विकास को भी प्रभावित करते है। दृष्टिबाधित बालकों की इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित किया जाता है कि दृष्टिबाधितों को क्या एवं कैसे शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की जाये। जैसा कि आप जानते है कि दृष्टिबाधितों को दृष्टिवान बालकों के समान ही सामान्य पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को ही पढ़ाया जाता है। परंतु दृष्टिबाधितों के लिए इस प्रकार के पाठ्यक्रम के निर्माण के समय कुछ सिद्धांतों को दृष्टिगत रखा जाता है ताकि दृष्टिबाधितों शिक्षा के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सके। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दृष्टिबाधितों के लिए अपने विशेष सिद्धांत होते है जिसके आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते है। प्रस्तुत इकाई के अंर्तगत हम आपकों दृष्टिबाधितों की सीमाएं एवं उनके शिक्षा के सिद्धांतों के बारें में अवगत करायेगे।

11.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

- दृष्टिबाधितों की सीमाओं के बारे में जान सकेंगें।
- दृष्टिबाधिता की सीमाओ के प्रभाव को जान सकेंगें।
- दृष्टिबाधित बालकों के शिक्षा के सिद्धांत के बारें में जान सकेंगे।

11.3 दृष्टिबाधितों हेतु पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत

आपको अवगत करवाना अति आवश्यक है कि दृष्टिबाधित बालकों के लिए सरकार द्वारा निर्मित सामान्य पाठ्यक्रम का ही प्रयोग किया जाता है अर्थात् यह पाठ्यक्रम दृष्टिवान एवं दृष्टिबाधित बालकों दोनों के द्वारा ही प्रयोग किया जाता है। एकीकृत शिक्षा के लिए यह अति आवश्यक होता है। सामान्यतः इस पाठ्यक्रम के निर्माण के समय दृष्टिवान बालकों को ध्यान में रखा जाता है जिसके कारण सामान्य पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे तत्व होते है जिन्हें दृष्टिबाधित बालकों द्वारा समझने में कठिनाई का समाना करना पडता है। ऐसे तत्वों एवं बालकों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए विशेष शिक्षा के विशेषज्ञों द्वारा पाठ्यक्रम के निर्माण में कुछ सुझाव दिये है जिसके आधार पर दृष्टिबाधित बालक पाठ्यक्रम में शामिल सभी तत्वों को समझने में सक्षम हो सके। जिसे दृष्टिबाधितों हेतु पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है।

11.3.1 प्रतिस्थापन

जैसा कि आपने इस बात पर गौर किया होगा कि प्राथमिक स्तर पर सामान्य एवं दृष्टिवान बालकों को किसी प्रत्यय को समझाने के लिए अधिकतर चित्रों का सहारा लेते

है ताकि दृष्टिवान बालक इन चित्रों को देखकर अपने प्रत्यय को समझ सके। इसका मुख्य कारण प्रस्तुत सूचनाओं एवं प्रत्ययों को रोचक पूर्ण बनाना होता है। परंतु दृष्टिबाधित बालकों में दृष्टि की अनुपस्थिति में बालक ऐसे चित्र संबंधी प्रत्ययों को देखने एवं समझने में असक्षम होते है। अतः प्रतिस्थापन के सिद्धांत के अंर्तगत दृष्टिबाधितों को प्रस्तुत प्रत्यय समझाने के लिए किसी अन्य पाठ की व्यवस्था की जाती है जो यथा सम्भव पाठ्यक्रम में सम्मिलित प्रत्ययों या उससे मिलता जुलता अनुभव प्रदान कर सके।

11.3.2 रूपान्तरण

पाठ्यक्रम के रूपांतरण के सिद्धांत के अंर्तगत पाठ में दिये गये कुछ प्रत्ययों को समझने हेतु मामूली संशोधन किये जाते है। जैसे मुद्रित पाठ्यपुस्तक में लिखा होता है कि ''कितने लाल गुब्बारे है'' दृष्टिबाधितों के लिए गुब्बारों को देखना एवं उसके रंगों के देखना संभव नही है। इसलिए इसके स्थान पर कोई और उदाहरण दिया जा सकता है। कुछ स्थानों पर लिखा होता है कि उपरोक्त चित्र को देखकर बताईए कि इस चित्र में कितने व्यक्ति है एवं वह क्या–क्या कार्य कर रहे हैं? ब्रेल पुस्तक में चित्र का निर्माण करना संभव नही है इसलिए ब्रेल पुस्तक में चित्र के स्थान पर चित्र का वर्णन किया जाता है।

11.3.3 द्विगुणित

इस सिद्धांत के अनुसार दृष्टिबाधित बालकों को ऐसी पाठ्यपुस्तके प्रदान की जाती है जो कि ब्रेल एवं बड़े छापे दोनों में होती है। सामान्यतः ऐसी पुस्तकें बहुत कम उपलब्ध होती है। इसके स्थान पर अध्यापक द्वारा सामान्य पाठ्यपुस्तकों को ब्रेल में स्वयं बनाता है या बनवाता है अथवा सामान्य मुद्रित पाठ्य पुस्तक को अल्पदृष्टिवान हेतु बड़े छापे में छपवाने का प्रबंध करते है।

11.3.4 मिटाना

पाठ्यक्रम के इस सिद्धांत में जब पाठ को प्रतिस्थापन, रूपांतरण अथवा द्विगुणित करना संभव न हो तो उस प्रत्ययों को पाठ्यपुस्तक से हटा देते हैं। प्राथमिक स्तर कभी–कभी आवश्यकता पड़ सकती है।

11.4 दृष्टिबाधितों की सीमाएं

दृष्टिबाधिता के कारण दृष्टिबाधित बालकों की कुछ सीमाएं होती है जिसके कारण दृष्टिबाधित बालकों का विकास के साथ–साथ शिक्षा को प्राप्त करने की क्षमता पर भी प्रभाव पडता है। आईए अब हम दृष्टिबाधित बालकों पर दृष्टिहीन के प्रभाव को

देखे जिसके द्वारा बालक का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास एवं अर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है।

11.4.1 अनुभवों के क्षेत्र एवं विविधता का सीमित होना

दृष्टिबाधित बालकों को बालक के आस–पास के वातावरण के बारे मैं वास्तविक ज्ञान देने के लिए आवश्यक होता है कि दृष्टिबाधित बालकों को वातावरण में स्थिति विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में मूर्त अनभव प्रदान किये जाना चाहिए। क्योंकि दृष्टि की अनुपस्थिति में दृष्टिबाधित बालकों के क्षेत्र एवं विविधता के क्षेत्र में कुछ सीमाएं होती है। इन सीमाओं को कम करने हेतु दृष्टिबाधित बालकों को मूर्त अनुभव प्रदान किये जाते हैं। परन्तु इसका अभिप्राय यह कभी भी नहीं है कि दृष्टिबाधित बालकों को वातावरण में उपस्थित केवल आकर्षक वस्तुओं का ही मूर्त अनुभव प्रदान किया जाना चाहिए बल्कि शिक्षा के इस सिद्धान्त के अनुंसार दृष्टिबाधित बालकों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसके वातावरण में उपस्थित सभी उपयोग वस्तु एवं प्रत्ययों को समझाने हेतु मूर्त अनुभव प्रदान किये जाने आवश्यक है। विभिन्न शोधों द्वारा यह बात साबित होती है कि दृष्टिबाधित बालकों के प्रयासों के निर्माण हेतु मूर्त अनुभव देना अति आवश्यक होता है। इसके साथ साथ आपको इस बात से अवगत करवाना आवश्यक है कि दृष्टिबाधितों के लिए किसी भी प्रकार के प्रत्ययों को मौखिक रूप सें नहीं दिया जाना चाहिए। मौखिक रूप से दिये जाने वाले प्रत्ययों को मौखिक अवास्तविक के नाम से जाना जाता है। विभिन्न शोधों के द्वारा यह बात प्रमाणित होती है कि दृष्टिबाधित बालकों को भोजन एवं प्रकृति से संबोधित प्रत्ययों को अधिकतर मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा बताया जाता है जबकि घर, कपड़े एवं समुदाय से आधारित प्रत्ययों में मौखिक अभिव्यक्ति कम होती है अर्थात इन प्रत्ययों को मूर्त रूप में दिया जाता है। मूर्त प्रत्ययों के द्वारा दृष्टिबाधित बालक वस्तु एवं परिस्थितियों को ध्यानपूर्वक देखने का मौका मिलता है। या उन्हें इस वस्तु विशेष का प्रारूप को ध्यान से देखने का मौका मिलता है। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत दृष्टिबाधित बालकों को यथासंभव वस्तुओं के द्वारा प्रत्यय करवाया जाना आवश्यक है। यदि वास्तविक वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती तो दृष्टिबाधित बालकों को उसी के समान प्रारूप उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

11.4.2 चलिष्णुता का सीमित होना

बाल्य अवस्था के प्रारम्भिक अवस्था में यदि बालक दृष्टिहीन होता है तो बालक की चलिष्णुता गंभीर रूप से प्रभावित होता है। यदि बालक की आंखों की कुछ रोशनी भी बची होती होती है तो दृष्टिबाधित बालक केवल कुछ क्रियात्मक चलिष्णुता ही कर पाता है। दृष्टिहीन बालक चलिष्णुता हेतु अपनी अन्य बची हुई ज्ञान इंद्रियों पर निर्भर होता है। चलिष्णुता के आधुनिक उपकरणों होने के उपरांत भी दृष्टिबाधित बालकों के लिए चलिष्णुता का सीमित होना एक गंभीर समस्या होती है। चलिष्णुता के सीमित होने

के कारण दृष्टिबाधित बालकों को अनुभवों की प्राप्त एवं समाजिक अन्तःक्रिया करने में सबसे अधिक समस्या का सामना करना पड़ता है।

11.4.3 वातावरण पर नियंत्रण व वातावरण में स्वयं की स्थिति का सीमित होना

दृष्टि मानव की एक महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्री होती है जिसके द्वारा व्यक्ति दूर की वस्तु को भी आसानी से देख सकता है। दृष्टि इंद्री ही व्यक्ति को अपने वातावरण एवं स्वयं को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। इस प्रकार की विशेषता व्यक्ति की किसी और इंद्री या एक से ज्यादा इंद्रियों में भी नही होती है। अतः दृष्टि की अनुपस्थिति में बालक का वास्तविक एवं समाजिक वातावरण से अलगाव रहता है। दृष्टिबाधित बालक एक ही नजर में वातारण में उपस्थित सूचनाओं को प्राप्त करने में सक्षम नही होती है जैसा कि दृष्टिवान व्यक्ति कर सकता है। दृष्टिहीन बालक वातावरण में किसी ऊंची आवाज को सुन सकता है किसी वस्तु के जलने की महक को सुघ सकते है परंतु वह तुरंत उसके बारे में सूचना प्राप्त नही कर पाता है कि वह आवाज किसके टकराने से हुई या जलने की महक किस चीज की है। परंतु दृष्टिवान व्यक्ति इन सभी क्रियाओं को करने में सक्षम होता है। यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि दृष्टिबाधित बालकों को अपने आस–पास के वातावरण पर नियंत्रण व वातावरण में स्वयं की स्थिति समझने की में समस्या आती है। वातावरण पर नियंत्रण व वातावरण में स्वयं की स्थिति बालक की आयु के अनुसार बदलती रहती है।

11.5 दृष्टिबाधितों की शिक्षा के सिद्धांत

इकाई के पूर्व के भागों में आपने दृष्टिबाधितों की शिक्षा संबंधित सीमाओं एवं पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांतों के बारे में जाना। परंतु आपकों यह भी बताना अति आवश्यक ही कि पूर्व में दृष्टिबाधितों की शिक्षा दृष्टिहीनता के क्षेत्र में दृष्टिहीन विद्वानों के द्वारा ही प्रारंभ की गयी। उनके द्वारा दृष्टिबाधितों की शिक्षा के लिए किसी प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन नही किया गया था। परंतु वर्तमान परिस्थितियों में दृष्टिबाधितों के द्वारा सामान्य शिक्षा प्रणाली में शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया के अंर्तगत् दृष्टिबाधितों हेतु

कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था। ताकि वह सामान्य विद्यालय में दृष्टिवान बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सभी प्रत्ययों को आसानी से समझ सकें। परंतु ऐसा नही है कि शिक्षा के इन सिद्धांतों को उपयोग केवल विशिष्ट विद्यालयों या सामान्य विद्यालयों में ही किया जाता है। शिक्षा के इन सिद्धांतों का उपयोग एकीकृत विद्यालयों एवं समावेशी विद्यालयों में भी किया जाता है। एकीकृत शिक्षा के अंर्तगत परिभामी

अध्यापक द्वारा भी इन शिक्षा के इन सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। आईए अब हम दृष्टिबाधितों की शिक्षा के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करें।

11.5.1 मूर्त अनुभवों की आवश्यकता

दृष्टिबाधित बालकों को बालक के आस–पास के वातावरण के बारें में वास्तविक ज्ञान देने के लिए आवश्यक होता है कि दृष्टिबाधित बालकों को वातावरण में स्थिति विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में मूर्त अनुभव प्रदान किये जाना चाहिए। क्योकि दृष्टि की अनुपस्थिति में दृष्टिबाधित बालकों की अनुभवों के क्षेत्र एवं विविधता के क्षेत्र में कुछ सीमाएं होती है। इन सीमाओं को कम करने हेतु दृष्टिबाधित बालकों को मूर्त अनुभव प्रदान किये जाते है। परंतु इसका अभिप्राय यह कभी भी नही है कि दृष्टिबाधित बालकों को वातावरण में उपस्थित केवल आकर्षक वस्तुओं का ही मूर्त अनुभव प्रदान किया जाना चाहिए बल्कि शिक्षा के इस सिद्धांत के अनुसार दृष्टिबाधितों बालकों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसके वातावरण में उपस्थित सभी उपयोग वस्तु एवं प्रत्ययों को समझाने हेतु मूर्त अनुभव प्रदान किये जाने आवश्यक है। विभिन्न शोधों द्वारा यह बात साबित होती है कि दृष्टिबाधित बालकों के प्रत्ययों के निर्माण हेतु मूर्त अनुभव देना अति आवश्यक होता है। इसके साथ–साथ आपको इस बात से अवगत करवाना आवश्यक है कि दृष्टिबाधितों के लिए किसी भी प्रकार के प्रत्ययों को मौखिक रूप से नहीं दिया जाना चाहिए। मौखिक रूप से दिये जाने वाले प्रत्ययों को 'मौखिक अवास्तविक' के नाम से जाना जाता है। विभिन्न शोधों के द्वारा यह बात प्रमाणित होती है कि दृष्टिबाधित बालकों को भोजन एवं प्रकृति से संबंधित प्रत्ययों को अधिकतर मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा बताया जाता है जबकि घर, कपडे एवं समुदाय से आधरित प्रत्ययों में मौखिक अभिव्यक्ति कम होती है अर्थात इन प्रत्ययों को मूर्त रूप में दिया जाता है। मूर्त प्रत्ययों के द्वारा दृष्टिबाधित बालक वस्तु एवं परिस्थितियों को ध्यानपूर्वक देखने का मौका मिलता है या उन्हें उस वस्तु विषे ष का प्रारूप को ध्यान से देखने का मौका मिलता है। इस सिद्धांत के अंर्तगत दृष्टिबाधित बालकों को यथासंभव वास्तविक वस्तुओं के द्वारा प्रत्यय निर्माण करवाया जाना आवश्यक है। यदि वास्तविक वस्तुएं उपलब्ध नही होती तो दृष्टिबाधित बालकों को उसी के समान प्रारूप उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

11.5.2 एकीकरणीय अनुभवों के लिए आवश्यकता

ऐसा देखा गया कि दृष्टिबाधित बालकों की दृष्टि की अनुपस्थिति में बालकों के अनुभवों की प्राप्ति एवं संपूर्ण परिस्थितियों को ध्यानपूर्वक देखने में गंभीर समस्या का सामना करना पडता है। दृष्टिबाधित बालकों द्वारा अपने हाथों अथवा शरीर के स्पर्ष के द्वारा वस्तु विशेष के किसी एक हिस्से को ध्यान से स्पर्ष करने का ही मौका मिलता है

बडी वस्तुओं को दृष्टिबाधित बालकों द्वारा उसे अलग–अलग हिस्सों को स्पर्ष करके प्रत्ययों का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया के द्वारा दृष्टिबाधित बालक एक समय में वस्तु के एक ही हिस्से के बारे में जानकारी प्राप्त कर पता है जोकि संपूर्ण वस्तु की जानकारी से भिन्न होती है। जिस प्रकार दृष्टिवान बालक एक ही नजर में वस्तु विशेष के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लेता है दृष्टिबाधित बालक इस प्रकार के अनुभवों को प्राप्त करने में असक्षम होते है। जिससे दृष्टिबाधित बालकों के एकीकरण के अनुभव प्रभावित होते है अर्थात दृष्टिबाधित बालक किसी वस्तु के बारे में एक ही बार में संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता है। शिक्षा के एकीकरणीय अनुभवों के सिद्धांत के अनुसार दृष्टिबाधित बालकों को इस प्रकार से प्रत्ययों का निर्माण या वस्तुओं को यान से देखने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जिसे कि दृष्टिबाधित बालक एक ही बारे में वस्तुओं के सभी भागों को आसानी से अनुभव कर सके। हालकिं कुछ बडी वस्तुओं को इस प्रकार से अनुभव देना कठिन होता है परंतु उसके लिए आवश्यक है कि दृष्टिबाधित बालकों को उस वस्तु विशेष का प्रारूप बनाकर दृष्टिबाधित बालकों के समक्ष रखा जाये जिसे वह एक ही बार में वस्तु विशेष के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। परंतु इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए कि वस्तु का प्रारूप असली वस्तु के समकक्ष होनी चाहिए। इसके द्वारा बालक वस्तु विभिन्न भागों को स्पर्ष कर वस्तु की एकीकरणीय रूप को समझने में सक्षम हो सकता है।

11.5.3 करके सीखने हेतु आवश्यकता

शिक्षा का यह सिद्धांत दृष्टिबाधितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जैसा कि आप जानते है कि दृष्टिबाधित बालकों की देखने की अक्षमता के कारण एवं वातावरण के प्रभाव के कारण दृष्टिबाधित बालकों में स्वयं क्रियाकलापों को करने के अवसरों में काफी कमी आ जाता है या यह कह सकते है कि उन्हें स्वयं क्रियाकलापों को करने के अवसर प्रदान नहीं होते है। इसका मुख्य कारण दृष्टिबाधित बालकों के प्रति उनके अभिभावकों की अभिवृति होती है। जिसके कारण दृष्टिबाधित बालकों को अपने दैनिक क्रियाकलापो को करने के लिए अपने अभिभावकों पर निर्भर रहना पडता है। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार दृष्टिबाधित बालकों पर घर एवं विद्यालयों में विशेष प्रकार का ध्यान देना चाहिए एंव उन्हें अपने कार्य को स्वयं करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आयु के प्रारंभिक स्तर पर दृष्टिबाधित बालकों में दृष्टि की अनुपस्थिति में बहुत से ऐसे कार्य करने से वंचित हो जाता है जो कि वह देखकर या नकल करके कर सकता है जैसा कि दृष्टिवान बालक कर सकते है ऐसी स्थिति में दृष्टिबाधित बालकों के अभिभावकों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वह अपने

दृष्टिबाधित बालक को उनसे संबंधित दैनिक क्रियाकलापों को करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हालांकि प्रारम्भ में दृष्टिबाधित बालकों को कुछ क्षेत्रों जैसे भोजन करने, कपडे पहनने, खेलने एवं समाजिक अंतक्रिया में अभिभावकों से कुछ सहयोग की अपेक्षा होता है। अगर प्रारंभ में दृष्टिबाधित बालक किसी कार्य को करने में विफल हो जाता है तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उसमें नकरात्मकता आ रही है बल्कि इस प्रक्रिया के द्वारा अभिभावकों एवं अध्यापकों को दृष्टिबाधित बालक की सीमाओं के बारें में ज्ञान प्राप्त होता है। परंतु इस प्रकार के अनुभव बालक की सामान्य जीवन के लिए आवश्यक होते हैं।

बोध प्रश्न –

टिप्पणी – क : नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिये–

ख : इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों में से अपने उत्तर का मिलान कीजिये–

1. दृष्टिबाधित बच्चों द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये किस पाठ्यक्रम का अनुपालन करना पड़ता है?

....

....

....

2. दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शिक्षा का प्रथम सिद्धान्त क्या है ?

....

....

....

3. दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शिक्षा का द्वितीय सिद्धान्त क्या है?

....

....

....

11.6 सारांश

दृष्टिबाधित बालकों द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्त के लिए सामान्य पाठ्यक्रम का ही अनुपालन करना पड़ता है हालंकि उस सामान्य पाठ्यक्रम के निर्माण के उपरांत दृष्टिबाधित बालकों हेतु कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है जिससे दृष्टिबाधित बालक प्रस्तुत पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सके।

दृष्टिबाधित बालकों हेतु पाठ्यक्रम निर्माण हेतु प्रतिस्थापन, रूपान्तरण, द्विगुणित एवं मिटाना के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। इसका मुख्य कारण दृष्टिबाधित बालकों में दृष्टि की अनुपस्थिति कारण प्रभाव होता है। सामान्यतः दृष्टिबाधित बालकों की तीन मुख्य सीमाएं होती है – अनुभवों के क्षेत्र एवं विविधता का सीमित होना, चलिष्णुता का सीमित होना एवं वातावरण पर नियंत्रण व वातावरण में स्वयं की स्थिति का सीमित होना है। दृष्टिबाधित बालकों की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए निर्मित पाठ्यक्रम के द्वारा दृष्टिबाधित बालकों के लिए शिक्षा के कुछ सिद्धांतों को निर्माण किया गया है। शिक्षा के प्रथम सिद्धांत के अंर्तगत दृष्टिबाधित बालकों को वस्तुओं एवं स्थिति से संबंधित मूर्त अनुभवों की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा बालकों को वास्तविक एवं मूर्त वस्तुओं के द्वारा उनके प्रत्ययों का विकास किया जाता है। शिक्षा के दूसरे सिद्धांत के अनुसार दृष्टिबाधित बालकों को एकीकरणीय अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अंर्तगत दृष्टिबाधित बालकों को किसी वस्तु के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्रदान करावानी चाहिए। यदि वस्तु का आकार बडा होता है तो उसके प्रारूप का निर्माण कर उस वस्तु विशेष का प्रत्यय देना चहिए। परंतु इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रारूप वास्तविक वस्तु के समान ही होना चाहिए। शिक्षा का तीसरा एवं अंतिम सिद्धांत करके सीखने का सिद्धांत होता है। इस सिद्धांत के अंर्तगत दृष्टिबाधित बालकों एवं उनके परिवार वालों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वह बालकों को अपने कार्य को स्वयं करने हेतु प्रोत्सहित करे। ऐसा संभव है कि स्वयं कार्य करते समय दृष्टिबाधित बालक इन कार्यो को करने में असफल हो या कठिनाईयों का सामना करना पडे। कुछ लोगों का मानना है कि इससें उनमें नकारात्मकता आ सकती है। परंतु आपकों अवगत करवाना है कि इन कार्यो को न कर पाने की स्थिति में बालक को अपनी सीमाओं के बारें में ज्ञान प्राप्त हो जाता है।

11.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. सामान्य पाठ्यक्रम
2. मूर्त अनुभवों की आवश्यकता
3. एकीकरणीय अनुभव

11.8 अभ्यास के प्रश्न

1. दृष्टिबाधित बालकों हेतु पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को लिखिए।
2. दृष्टिबाधितों की दृष्टि की अनुपस्थिति में उन पर पडने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा कीजिये।

3. शिक्षा के एकीकरण के सिद्धांत से आप क्या समझते है?
4. करके सीखने से क्या अभिप्राय है?

11.9 उपयोगी पुस्तकें

1. Axeirod, S (1959). Effects of Early Blindness: Performance of blind and sighted children on Tactile and Auditory Tasks. AFB: New York
2. Lowenfeld, Berthold (1974). The Visually Handicapped Chind in School. Constable London Publication : Breat Britain.
3. शिक्षण प्रशिक्षण लेखमाला 2004– ए0 आई0सी0बी0 प्रकाशन, दिल्ली।

इकाई–12– विस्तृत सामान्य पाठ्यक्रम

12.1 प्रस्तावना

12.2 उद्देश्य

12.3 पाठ्यक्रम की परिभाषा

12.4 विस्तृत सामान्य पाठ्यक्रम

12.5 विस्तृत सामान्य पाठ्यक्रम के कौशल

- 12.5.1 सहायक तकनीकी
- 12.5.2 जीवनवृत्ति शिक्षा
- 12.5.3 क्षतिपूर्ति कौशल
- 12.5.4 अनुस्थिति एवं चलिष्णुता
- 11.5.5 मनोरंजन एवं विश्राम
- 12.5.6 स्वयं निश्चय
- 12.5.7 ज्ञानेंन्द्रिय कुशलता
- 12.5.8 समाजिक अंतः क्रिया

12.6 सहायक उपकरण

12.7 परंपरागत उपकरण

- 12.7.1 लेखन उपकरण
  - 12.7.1.1 ब्रेल स्लेट
  - 12.7.1.2 ब्रेलर
  - 12.7.1.3 पॉकेट फ्रेम
  - 12.7.1.4 स्टाइलस
- 12.7.2 गणितीय उपकरण
  - 12.7.2.1 टेलर फ्रेम
  - 12.7.2.2 अबेकस
  - 12.7.2.3 ज्यामितीय किट

12.7.3 अनुस्थिति एवं चलिष्णुता उपकरण

12.7.3.1 छड़ी

12.7.4 ब्रेल उत्पादन उपकरण

12.8 आधुनिक उपकरण

12.9 सारांश

12.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

12.11 अभ्यास प्रश्न

12.12 उपयोगी पुस्तकें

12.1 प्रस्तावना

पाठ्यक्रम किसी भी शिक्षा के लिए आत्मा का कार्य करती है। शिक्षक छात्रों को पाठ्यक्रम के माध्यम से ही बालक का सर्वांगीण विकास की बात करते है। हांलॉकि पाठ्यक्रम के बारे में पूर्व में बड़ी संकुचित भाव से देखा जाता था। जिसके अंर्तगत बालकों को पाठ्यक्रम में केवल कुछ विषयों के बारें में ज्ञान दिया जाता था एवं उन्हें ही पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता था। मगर आधुनिक विश्व एवं समाज एवं बालकों को शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षाविदों द्वारा इसका व्यापक स्तर पर प्रयोग किये जाने लगा।

आपको इस बात से भी अवगत करवाना आवश्यक है कि पाठ्यक्रम के द्वारा सभी छात्रों के शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है परंतु विशेष आवश्यकता वाले बालको के लिए केवल पाठ्यक्रम के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कठिन या मुश्किल हो सकती है। अतः विशेष आवश्यकता वाले बालकों अर्थात् दृष्टिबाधित बालकों के पाठ्यक्रम में कुछ अतिरिक्त कौशलों को भी सम्मिलित किया जाता है। जिसके द्वारा बालक शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपरांत समाज के एक उत्पादक सदस्य के रूप में कार्य कर सके।

परंतु पाठ्यक्रम की इन अतिरिक्त कौशलों के लिए कुछ विशेष प्रकार के उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है। अतः दृष्टिबाधित बालकों को इन उपकरणों के उपयोग में भी निपुणता लानी आवश्यक है। सहायक उपकरणों की सहायता से दृष्टिबााधित बालक न केवल अपने शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करते है बल्कि उनका जीवन भी सुगम्य बन जाता है। पूर्व में सहायक उपकरणों का उपयोग दृष्टिबाधितों की शिक्षा के लिए ही उपयोग में लाये जाते थे। वर्तमान में सहायक उपकरण दृष्टिबाधितों के लिए आवश्यक उपकरण उनके सम्पूर्ण जीवन में उपयोगी साबित हो रहे है। आज

दृष्टिबाधितों के पठन, लेखन, अनुस्थिति एवं चलिष्णुता, मनोरंजन, दैनिक दिनचर्या क्रियाकलापों एवं अन्य क्रियाकलापों आदि के लिए सहायक उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

प्रस्तुत इकाई में हम आपकों विस्तृत सामान्य पाठ्यक्रम एवं इसके अंर्तगत कुछ सहायक उपकरणों के बारे चर्चा करेंगे।

12.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

- विस्तृत सामान्य पाठ्यक्रम का अर्थ जान पायेंगे।
- विस्तृत सामान्य पाठ्यक्रम के अंर्तगत् आने वाले कौशलों को जान पायेंगे।
- दृष्टिबाधितों के उपयोगार्थ विभिन्न उपकरणों के बारें में जान पायेगें।

12.3 पाठ्यक्रम की परिभाषा

कर्निंधम ने कहा है कि कलाकारों के हाथ में यह एक साधन है जिसे वह पदार्थ को अपने आदर्श के अनुसार अपने स्टूडियों में ढाल सकते है। कर्निंधम के उपरोक्त परिभाषा में शिक्षकों को कलाकार, यह को पाठ्यक्रम, पदार्थ को शिक्षक, आदर्श को उद्देश्य एवं स्टूडियों को विद्यालय से अंकित किया गया है। इस परिभाषा में शिक्षक की भूमिका का बहुत सीमित दिखाया गया है।

मुनरो के अनुसार पाठ्यक्रम में वह सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती है जिनका प्रयोग हम षिक्षा के उछेष्यों की प्राप्ति के लिए करते है।

12.4 विस्तृत सामान्य पाठ्यक्रम

जैसा कि विदित है कि दृष्टिबाधित बालकों के द्वारा आपनी दृष्टि इंद्रिय की अनुपस्थिति में बालक दृष्टिवान बालकों की तरह सामान्य पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा के उददे्श्यों की प्राप्ति में समस्या एवं कठिनाईयों का सामना करना पडता है। दृष्टिबाधित बालक की आकस्मिक अधिगम की सीमाओं में भी काफी कमी आ जाती है।

दृष्टिबाधित बालकों द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम में कुछ विशेष विषय वस्तुओं को सम्मिलित किया जा सकता है। जिससे दृष्टिबाधित बालक अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है एवं बालक का सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। दृष्टिबाधितों हेतु पाठ्यक्रम के अर्तगत् जमा पाठ्यक्रम के

प्रत्यय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लागू होने के बाद विकसित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस बात पर जोर दिया गया कि विकलांग बालक जो सामान्य विद्यालयों में षिक्षा ग्रहण कर सकते है उन्हें सामान्य विद्यालयों में सकलांग बालकों के साथ ही शिक्षा का प्रावधान किया जाना चहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा पहले समेकित शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रयास किये गये। इसके उपरांत समावेशी शिक्षा का प्रारम्भ किया गया। इनके अंर्तगत विकलांग/दृष्टिबाधित बालकों को सकलांग बालकों के साथ सामान्य विद्यालय में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया।

परंतु उक्त कार्यो के क्रियान्वन हेतु सबसे बडी समस्या दृष्टिबाधित बालकों के द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले पाठ्यक्रम के संबंध मे आयी। विशिष्ट शिक्षा के विशेषज्ञों द्वारा यह अनुरोध किया गया कि दृष्टिबाधित बालकों एवं सामान्य बालकों के पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का कोई अंतर नही होना चहिए अर्थात् जो पाठ्यक्रम दृष्टिवान बालकों को पढाया जाता है वही पाठ्यक्रम दृष्टिबाधित बालकों को भी सिखाया जाये। इसके हेतु पाठ्यक्रम में प्रतिस्थापन, रूपांतरण, द्वि–गुणित एवं हटाना के सिद्धांतों का उपयोग किया गया।

उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर दृष्टिबाधितों हेतु शिक्षा की व्यवस्था के लिए जमा पाठ्यक्रम का सहारा लिया गया। परंतु जमा पाठ्यक्रम के अंर्तगत् निम्न कौशलों से ही दृष्टिबाधित बालकों को अवगत करवाया गयाः–

1. ब्रेल
2. विशिष्ट उपकरण जैसे अबेकस, टेलरफ्रेम
3. अनुस्थिति एवं चलिष्णुता कौशल
4. दैनिक दिनचर्या कौशल
5. ज्ञानेंन्द्रिय प्रशिक्षण

क्योकि उक्त कौशल पाठ्यक्रम के अतिरिक्त सीखे जाते है इसलिए इनको जमा पाठ्यक्रम कहा जाता है। परंतु आधुनिक युग को दृष्टिगत रखते हुए विशेषज्ञों द्वारा इस बात की आवश्यकता महसूस होने लगी केवल जमा पाठ्यक्रम के द्वारा ही दृष्टिबाधित बालकों की आवश्यकओं की पूर्ति करना सम्भव नहीं है। जमा पाठ्यक्रम के अंर्तगत केवल पाठ्यक्रम संबंधी कौशलों पर ध्यान दिया गया था परंतु वर्तमान में दृष्टिबाधित बालकों को जीवनपरक सभी कौशलों से अवगत करवाया जाना आवश्यक है। हांलकि कुछ विशेषज्ञों द्वारा जमा पाठ्यक्रम एवं विस्तृत पाठ्यक्रम को एक ही माना गया है परंतु विस्तृत सामान्य पाठ्यक्रम जमा पाठ्यक्रम का विस्तार है।

सामान्यताः मूल पाठ्यक्रम के अंर्तगत् उन कौशलों को सम्मिलित किया जाता है जिसके द्वारा दृष्टिवान व्यक्तियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। जिसमें गणित शिक्षण, विज्ञान शिक्षण, भाषा शिक्षण एवं समाजिक विज्ञान शिक्षण को शामिल किया जाता है तथा जमा पाठ्यक्रम के द्वारा इन कौशलों को सीखने में सहायक कौशलों में निपुण बनाया जाता है। जबकि विस्तृत सामान्य पाठ्यक्रम के अंर्तगत न केवल उपरोक्त शिक्षण कौशलों में बालक को निपुण बनाने में लिए अतिरिक्त कौशल सीखाये जाते है बाल्कि बालक के सर्वांगीण विकास एवं जीव उपयोगी कौशलों में भी बालक का पारंगत करवाया जाता है साथ ही साथ आधुनिक उपकरणों के कौषलों में भी निपुण बनाया जाता है।

दृष्टिबाधित बालकों को कुछ मुख्य विषयों का अध्ययन करना आवश्यक होता है जिनका कि उनके दृष्टिवान साथी भी करते है जैसे समय के बारे में बताना, लिखनो लिखना इत्यादि। परंतु इन विषयों में पारंगत होने के साथ–साथ अपने विद्यालय के कार्यो को भी स्वयं पूर्ण करना होता है। इसके लिए दृष्टिबाधित बालकों को जमा पाठ्यक्रम के साथ–साथ अतिरिक्त कौशलों के समूह भी सीखने होते है जिन्हें विस्तृत सामान्य पाठ्यक्रम कहते हैं। कभी कभी इसे 'खासतौर पर विकलांगों के लिए कौशल' या 'दृष्टि' से संबंधित कौशल भी कहा जाता है क्योंकि यह खासतौर से दृष्टिबाधित व्याक्तियों के लिए ही उपयोग में लाये जाते हैं।

विस्तृत सामान्य पाठ्यक्रम के अंर्तगत निम्नलिखित क्रियाओं को शामिल किया जाता हैः–

- पठन के लिए मुद्रण सामग्री एवं लेखन के लिए पेन या पेंसिल के उपयोग के बदले लेखन एवं पठन के लिए ब्रेल का उपयोग।
- अपने वातावरण में किस प्रकार सुरक्षित एवं स्वतंत्र रूप से आवागमन किया जाये इस कौशल हेतु अनुस्थिति एवं चलिष्णुता कौशल का ज्ञान।
- विशेष प्रकार के उपकरणों एवं अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग जिनका निर्णण दृष्टिबाधितों के लिए किया गया है।
- अपनी बची हुई दृष्टि का प्रभावपूर्वक तरीके से उपयोग कर सकें।

12.5 विस्तृत सामान्य पाठ्यक्रम के कौशल

विस्तृत सामान्य पाठ्यक्रम में अंर्तगत निम्नलिखित कौशलों को सम्मिलित किये जाते हैः–

1 सहायक तकनीकी

2 जीवनवृत्ति शिक्षा

3 क्षर्तिपूर्ति कौशल

4 अनुस्थिति एवं चलिष्णुता

5 मनोरंजन एवं विश्राम

6 स्वयं निश्चय

7 ज्ञानेंन्द्रिय कुशलता

8 समाजिक अंतः क्रिया

11.5.1 सहायक तकनीकी–

सहायक तकनीकी एक विस्तृत शब्द है जिसके अंर्तगत सहायक एवं अनुकूलित उपकरणों के साथ–साथ अनुदेशनात्मक सेवाएं जो कि संप्रेषण एवं अधिगम को विकसित करती हैं। इसके अंर्तगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल उपकरण एवं नोट टेकर; ऐसे कम्प्युटर को शामिल किया जाता है जिसके अंदर ऐसे साफ्टवेयरों को स्थापित किया जाता है जो कि कम्प्युटर पर आने वाले चित्रों को बड़ा करके दिखा सके, कम्प्यूटर की स्क्रीन पर लिखे जाने वाले सामग्री को पढ़ सके; इसके अंदर निम्न या परंपरागत तकनीक के उपकरण जैसे अबेकस, टेलरफ्रेम, ब्रेलर एवं प्रकाशीय उपकरणों को भी शामिल किया जा सकता है।

12.5.2 जीवनवृति शिक्षा–

विस्तृत सामान्य पाठ्यक्रम के इस कौशल के अंर्तगत सभी आयु के दृष्टिबाधित बालकों को उनके जीवन यापन हेतु नौकरियों के संबंध में सूचनाओं से अवगत करवाया जाता है। क्योंकि वह अन्य व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले कार्यो को ध्यान से देखने की स्थिति से वंचित रहते हैं। तथा वह सामान्यतः इस प्रकार का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके साथ–साथ बालकों को कार्य संबंधी अन्य कौशलों के बारे में भी अगवत करवाया जाता है जैसे कार्य करते समय उनके उत्तरदायित्व, कार्यालय में उनके आने एवं जाने का समय, उन्हें अपने कार्य स्थल पर रूकने का समय अर्थात कार्यावधि आदि।

जीवनवृति शिक्षा में बालकों को अपने गुण ढूंढने तथा खोजने का अवसर प्रदान होता है और वह अपनी रूचियों व क्षमताओं के आधार पर अपने व्यवसायों का चयन करते हैं तथा अपनी युवावस्था के जीवन की तरफ अग्रसरित होते है।

12.5.3 क्षतिपूर्ति एवं अनुपूरक कौशल–

विस्तृत सामान्य पाठ्यक्रम के इस कौशल के अंर्तगत दृष्टिबाधित बालक द्वारा अपनी दृष्टि की अनुपस्थिति में सामान्य पाठ्यक्रम के आवश्यक कौशल सीखने हेतु मुद्रण

का अनुपूरक खोजने की कोषिष करते हैं जिससे उनका प्रत्यय निर्माण एवं संप्रेषण कौशल में विकास के साथ–साथ अपने अधिगम कौशल को विकसिक कर सकें। इसके लिए वह पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग करते है। गणित हेतु निमित ब्रेल कोड का उपयोग करते है। रेखागाणित के लिए स्पर्षीय ग्राफों का प्रयोग करते है एवं प्रत्यय निर्माण के लिए वह वस्तुओं या स्पर्षीय प्रतिरूपों तथा बोलती सामग्री का उपयोग करते है।

12.5.4 दैनिक दिनचर्या कौशल–

विस्तृत सामान्य पाठ्यक्रम के दैनिक दिनचर्या कौशल से अभिप्राय ऐसे कौशलों से होता है जो व्यक्ति सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक करता है। इन कौशलों के द्वारा व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के क्षमता का विकास होता है एवं वह अपने परिवार एवं समाज के लिए कुछ योगदान करने में भी सक्षम होता है।

दैनिक दिनचर्या कौशलों के अंर्तगत निम्नलिखित कौशलों को शामिल किया जाता हैः–

1. स्वयं की साफ–सफाई का कौशल
2. स्वयं भोजन करने का कौशल
3. भोजन बनाने का कौशल
4. समय एवं मुद्रा प्रंबधन का कौशल
5. कपडे पहनने एवं संभाल कर रखने का कौशल
6. अन्य घरेलु कार्य करने का कौशल

दृष्टिवान व्यक्ति इन कौशलों को देखकर आसानी से सीख लेता है पंरतु दृष्टिबाधित बालकों के लिए इन कौशलों के सीखाने हेतु आवश्यक है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्देशित किया जाये एवं दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा इसका अधिक से अधिक अभ्यास करवाया जाना चाहिए।

12.5.5 अनुस्थिति एवं चलिष्णुता कौशल–

अनुस्थिति एवं चलिष्णुता कौशल के अंर्तगत सभी आयु वर्ग के दृष्टिबाधित बालकों द्वारा अपने आस–पास के वातावरण में स्वतंत्रतापूर्वक एवं सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कौशल का विकसित करना होता है। इस कौशल के अंर्तगत दृष्टिबाधित बालक अपने आस–पास के वातावरण जैसे घर, विद्यालय एवं समुदाय के बारें में अध्ययन करना होता है। अनुस्थिति एवं चलिष्णुता पाठ के अंर्तगत शरीर मूलभूत प्रतिरूपों, विशेष संबंधों, छडी उपयोगकर्ता द्वारा उद्देश्यपूर्ण आवागमन,

समाज में चलिष्णुता एवं सर्वजानिक यातायात के साधनों के उपयोग के बारें में बताया जाता है। जिन दृष्टिबाधित बालकों के पास अनुस्थिति एवं चलिष्णुता कौशल होता है वह काफी हद तक एवं बहुत बडे स्तर पर स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने एवं अपनी व्यक्तिगत आवश्यताओं को पूरा करने की क्षमता को प्राप्त कर लेते है।

12.5.6 मनोरंजन एवं विश्राम–

इस बात में कोई संदेह नही है कि दृष्टिवान बालकों द्वारा मनोरंजन एवं विश्राम के विकल्प बहुत कम होते है इसका मुख्य कारण उनके न देख पाने की क्षमता के परिणामस्वरूप होती है जिसके कारण उनकी जागरूकता में भी कमी का आभाव पाया जाता है। मनोरंजन एवं विश्राम कौशलों के अनुदेशन के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि इसके द्वारा दृष्टिबाधित बालकों की अन्वेषण/खोजने, अनुभव एवं शारीरिक पसंद एवं विश्राम से संबंधित क्रियाकलापों को करने का अवसर प्रदान होगा। यह व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से आनंद लेने के अवसर को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इन क्रियाओं के द्वारा दृष्टिबाधित बालकों के जीवनभर के कौशलों के विकास करने में सहायक होते है।

12.5.7 स्वयं निष्चय करना–

विस्तृत सामान्य पाठ्यक्रम के इस कौशल के अंर्तगत बालक के स्वयं की क्षमता का विकास किया जाता है जिसमें वह स्वयं की पसंद का निर्माण, निर्णय निर्माण, स्वयं समस्या का समाधान, स्वयं के पक्ष का समर्थन करना एवं लक्ष्य निर्धारण को शामिल किया जाता है। दृष्टिबाधित बालकों में इस प्रकार के कौशलों का विकास करने के बहुत कम अवसर प्राप्त होते है। दृष्टिबाधित बालक जो उपरोक्त कौशलों में पारंगत होते है वह प्रभावशाली प्रकार से अपने समर्थन को स्पष्ट रूप से प्रकट करने में सक्षम होते है। इसलिए इनका अपना जीवन काफी संतुलित होता है।

12.5.8 ज्ञानइंद्रियां कुशलता–

ज्ञानइंदियों की कुशलता में दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, सुगंध एवं स्वाद जैसे कौशलों के उपयोग के बारें में निदेर्शित करवाया जाता है। इसके द्वारा Proprioceptive, kinesthetic and vestibular प्रणालियों को विकसित करने के लिए भी किया जाता है। इन ज्ञानइंद्रियों को प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग के द्वारा प्रकाशीय उपकरणों का प्रयोग भी आसानी से हो जाता है। दृष्टिबाधित बालक अपने विद्यालय, घर एवं सामुदायिक वातावरण के विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेने में सक्षम होते है।

12.5.9 समाजिक अंतःक्रिया कौशल– समाजिक अंतःक्रिया कौशलों के अंर्तगत निम्न कौशलों को शामिल किया जाता है:–

- शारीरिक भाषा के बारें में जागरूकता
- भाव
- चेहरे के भाव का कौशल
- व्यक्तिगत जगी के बारे में ज्ञान
- व्यक्तिगत संबंधों का अधिगम
- स्वयं नियंत्रण
- लिंग भेद

उपरोक्त सभी कौशलदृष्टि के द्वारा दूसरे को देखने से ही सीखे जाते हैं। समाजिक अंतः क्रिया कौशलों को विद्यालय, कार्य स्थल एवं मनोरंजन के स्थान पर अध्ययन करवाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। निश्चित समाजिक कौशलों के द्वारा व्यक्ति समाजिक अलगाववाद/एकांत एवं युवास्था के सुखी जीवन के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं।

12.6 सहायक उपकरण

जैसा कि आपको पूर्व में ही अवगत करवाया जा चुका है कि दृष्टिबाधित बालकों के शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि दृष्टिबाधितों के सामान्य पाठ्यक्रम की प्राप्ति के लिए कुछ अन्य कौशलों को सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिसको विस्तृत पाठ्यक्रम कहा जाता है। जिसके बारें में ऊपर विस्तार से चर्चा की गई है को प्राप्त करने के लिए सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है। इकाई के इस भाग में हम दृष्टिबाधितों द्वारा जमा पाठ्यक्रम एवं विस्तृत सामान्य पाठ्यक्रम के कौशलों को प्राप्त करने हेतु उपयोगी सहायक उपकरणों के बारे में अवगत करायेंगे। ये उपकरण दृष्टिबाधितों को विभिन्न प्रकार को ज्ञान देने में सहायक सिद्ध होते है एवं दृष्टिबाधितों की शिक्षा को सुगम बनाने के लिए इन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है।

सहायक उपकरणों को हम निम्न दो भागों में विभजित कर सकते हैः—

1. परंपरागत उपकरण
2. आधुनिक उपकरण

12.7 परंपरागत उपकरण

परंपरागत उपकरणों को हम निम्न चार भागों में बांट सकते हैः—

1. **लेखन उपकरण**

2. **गणितीय उपकरण**

3. **अनुस्थिति एवं चलिष्णुता उपकरण**– यह उपकरण दृष्टिबाधित बालक को अपने वातावरण में आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सहायक होते है।

4. **ब्रेल उत्पादन उपकरण**– इन उपकरणों के द्वारा ब्रेल की बहु–प्रतियों का उत्पादन किया जा सकता है।

1. **लेखन उपकरण**– इन उपकरणों के द्वारा दृष्टिबाधित बालक लेखन कार्य

कर सकते है। लेखन उपकरणों को भी हम निम्न भागों में बाँट सकते हैः–

1. **ब्रेल स्लेट**– ब्रेल स्लेट दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लेखन का प्रारम्भिक एवं प्राथमिक स्त्रोत/यंत्र/उपकरण है। ब्रेल स्लेट में ब्रेल लिखने के लिए एक आयताकार खांचे में 6 बिन्दुओं को बनाने के लिए स्थान होता है तथा एक नुकीले पिन जिसे स्टाइलस करते है के द्वारा इस खांचे में बने हुए बिंदुओं के स्थान पर दबाकर ब्रेल के बिंदुओं को उभारा जाता है। आरम्भिक अवस्था में ब्रेल स्लेट के द्वारा दृष्टिबाधितो को ब्रेल सीखाना काफी आसान हो जाता है। ब्रेल स्लेट दो प्रकार की होती है– लकडी की ब्रेल स्लेट एवं प्लास्टिक की ब्रेल स्लेट।

क) लकड़ी की ब्रेल स्लेट– इस ब्रेल स्लेट के तीन भाग होते है। लकड़ी के बोर्ड का आधार जिसका माप 355 मि0मी0 x 245 मि0मी0 होता है। एक एल्युमुनियम की गाईड जिसके दो भाग होते है पहला भाग जो नीचे की तरफ होता है जो ब्रेल बिंदुओं को उभारने में सहायक होता है। दूसरी तथा उपरी परत पर आयताकार खंचे बने होते है जिसके द्वारा स्टाइलस से निश्चित स्थान पर ब्रेल के बिंदुओं को उभारने में सहायक होते है।

इस ब्रेल स्लेट में ऊपर की तरफ एक क्लेम्प लगा होता है जो ब्रेल पेपर को ऊपर से रोकता है तथा दो छोटे–छोटे लॉक लगे होते है जो ब्रेल पेपर को स्थिर रखते है ताकि पेपर हिले नहीं और ब्रेल बिंदु अच्छी प्रकार से उभर कर आये। ब्रेल पेपर को लगाकर गाईड को इस प्रकार से लगाये कि गाईड का नीचे का हिस्सा ब्रेल पेपर के नीचे आये एवं गाईड का ऊपरी आयताकार खांचों का भाग पेपर के ऊपर आये। गाईड के नीचे के हिस्से में लगे दोनो कीलनुमा भाग को ब्रेल स्लेट के दोनो तरफ बने छेदों में फंसा दे ताकि गाई न हिल पाये एवं ब्रेल बिंदु केवल एक लाईन में ही आये। इसके उपरांत स्टाइलस की सहायता से आयताकार खांचे में स्थित ब्रेल बिन्दुओं के स्थान पर ब्रेल बिन्दुओं को उभारे।

ख) प्लास्टिक की ब्रेल स्लेट– प्लास्टिक की ब्रेल स्लेट को जर्मन स्लेट तथा इंटरपांइट ब्रेल स्लेट भी कहा जाता है। इस स्लेट के दो भाग होते है यह उसी प्रकार खोली जाती है जैसे एक किताब या कॉपी। इसमें नीचे के भाग में ब्रेल बिंदु को उभारने के लिए खांचे बने होते है तथा चारों कोनो में छोटे–छोटे से छेद होते हैं। ऊपरी भाग में आयताकार खांचे बने होते है जो ब्रेल बिन्दुओं को अपने ही स्थान पर उभारने में सहायक होते है एवं चारों कोनो पर चार पिन लगी होती है जिन्हें लॉक कहा जाता है वह स्लेट के नीचे के भाग के चारों छेदों में ब्रेल पेपर को लॉक करने में सहायक होते है ताकि पेपर हिले नहीं। ब्रेल पेपर को इस स्लेट के बीच में रखकर स्टाइलस की सहायता से ब्रेल बिंदुओं को उभारा जाता है।

2. **ब्रेलर**– ब्रेलर ब्रेल लिखने की एक मशीन होती है जो कुछ–कुछ टाईपराइटर के जैसी दिखती है। ब्रेलर के द्वारा ब्रेल के एक अक्षर हेतु सभी बिंदुओं को एक साथ उभारा जा सकता है जबकि ब्रेल स्लेट में किसी अक्षर के सभी बिंदुओं को अलग–अलग उभारा जाता है। जैसे यदि ब्रेल स्लेट में 'म' लिखना है तो बिंदु 1,2 व 4 तीनों को अलग–अलग उभारने के आवश्यकता होती है परंतु ब्रेलर में यह तीनों बिन्दु एक साथ उभारी जा सकती है। ब्रेलर में कुल 7 बटन होते है जिसमें से 6 बटन ब्रेल बिन्दुओं को उभारने में सहायक होते है तथा बीच का चौडा बटन स्पेस देने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ब्रेलर की सहायता से ब्रेल स्लेट के मुकाबले काफी तेजी से लिखा जा सकता है। ब्रेलर से ब्रेल लिखते समय ब्रेल का पढ़ना संभव है जबकि ब्रेल स्लेट में यह संभव नही होता है। वर्तमान में हमारे देश में पर्किन्स ब्रेलर, ताज ब्रेलर एवं मार्बर्ग ब्रेलर का उपयोग किया जा रहा है।

3. **पांकेट फ्रेम**– पांकेट फ्रेम जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह एक छोटा ब्रेल लेखन उपकरण है। यह ब्रेल स्लेट का छोटा रूप है। इस फ्रेम को दृष्टिबाधित व्यक्ति अपनी जेब में रखता है एवं आवश्यकता पड़ने पर कहीं भी निकालकर छोटी–छोटी बातों को लिख सकता है। जबकि ब्रेल स्लेट को इस प्रकार साथ रखना सुविधाजनक नही होता है। पांकेट फ्रेम 5 लाईनों का या 7 लाईनों का हो सकता है तथा यह एयूमुनियम एवं प्लास्टिक दोनो का बना होता है।

4. **स्टाइलस**– जिस प्रकार प्रिंट लिखने के लिए पेन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार ब्रेल लेखन हेतु स्टाइलस की आवश्यकता होती है। इसका ऊपरी भाग मोटा एवं प्लास्टिक अथवा एल्यूमुनियम का बना होता होता है तथा नीचे का भाग धातु का नुकीला बना होता है। बालक द्वारा उपर के भाग पर दबाव बनाया जाता है तथा नीचे वाले भाग द्वारा ब्रेल की बिंदुओं के खांचों में ब्रेल बिन्दुओं का उभारा जाता है।

2. गणितीय उपकरण– इन उपकरणों की सहायता से दृष्टिबाधित बालक गणितीय समस्याओं को हल कर सकते है। गणितीय उपकरणों को भी तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है–

(क) टेलर फ्रेम

(ख) अबेकस

(ग) ज्यामितीय किट

आईए अब हम उपरोक्त गणितीय उपकरणों के बारें में चर्चा करें।

(क) **टेलर फ्रेम**– यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से दृष्टिबाधित बालक अंक गणित एवं बीज गणित के चिन्हों एवं संख्याओं का उपयोग कर गणितीय समस्याओं को सुलझा सकता है। टेलर फ्रेम एक लकडी के फ्रेम के अंदर एक एल्यूमुनियम की मोटी चादर लगी होती है जिसमें अष्टकोणीय छेद होते है जो आठ दिशाओं को इंगित करते है। टेलर फ्रेम के साथ अंक गणितीय एवं बीज गणितीय टाईपर्स होते है जिन्हे ऊपर एवं नीचे की तरफ से विशेष प्रकार से काटा गया है। टेलर फ्रेम में उपयुक्त गणितीय टाईपस के द्वारा 1,2,3 ——— 9,0,+,–,गए ⁄, कोमा एवं बराबर का निशान लगाया जा सकता है। जबकि बीज गणितीय टाईपस के द्वारा a,b,c……x,y,z { } , [] वर्ग चिन्ह आदि अंकित किये जा सकते है। यह टाईपस लेड धातु के बने होते है। इसलिए इनके प्रयोग के उपरांत हाथ धोना अति आवश्यक है क्योंकि यह धातु जहरीली होती है।

(ख) अबेकस– यह एक प्लास्टिक का फ्रेम होता है जिसमें 13 से 15 लोहे की लम्बवत तारें होती हैं। यह खांचा आयताकार होता है जो दो भागों में बांटा हुआ है। ऊपरी भाग के प्रत्येक तार में एक–एक मोती होता है तथा नीचे के भाग में प्रत्येक तार में चार–चार मोती होते हैं। अबेकस के तारों में लगे मोतियों के नीचे फांम लगी होती है जिससे मोती अपनी स्थिति से न हिल सकें। अबेकस के ऊपरी हिस्से के तारें में लगे मोती 5 को निरूपित करते है तथा नीचे के हिस्से में मोती 1 को निरूपित करते है। अबेकस के द्वारा जमा, घटा, गुणा, भाग आदि गणितीय गणना काफी जल्द हो जाती है एवं छोटा होने के कारण इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है। परंतु अबेकस पर एक समय में केवल एक गणना ही की जा सकती है।

(ग) ज्यामितीय किट– जैसा कि विदित है कि दृष्टिबाधित बालकों को आकृतियों से संबंधित प्रत्ययों को देना काफी मुश्किल कार्य होता है। रेखागणित के अंदर दृष्टिबाधित बालकों में आकृति संबंधी प्रत्ययों को निर्माण करवाने हेतु आवश्यक है कि वह आकृति उभरी हुई हो। ज्यामितीय किट के अंदर ऐसे उपकरणों को रखा गया है जो कि रेखाओं और कोणों को उभार कर प्रकट करता है तथा दूरी संबंधी प्रत्ययों को भी अनुकूलित उपकरणों की सहायता से प्रस्तुत करता है।

इस किट में एक बोर्ड होता है जिस पर रबड लगी होती है तथा उपर पेपर पकडने हेतु क्लैप लगा होता है। इस किट के अंदर विभिन्न प्रकार के वृत बनाने हेतु विशेष रूप से बने उपकरण, मशीन से उभरा गया स्केल, समांतर रेखा खीचनें हेतु प्लास्टिक का समबाहु व समद्विबाहु त्रिभुज जिसके किनारों पर उभरी हुई लाइनें होती है। इस किट की सहायता से दृष्टिबाधित बालक विभिन्न आकृतियों का निर्माण का रेखा गाणित से संबंधित प्रत्ययों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं।

3. अनुस्थिति एवं चलिष्णुता उपकरण–

(क) छड़ी– छड़ी दृष्टिबाधित बालकों को अनुस्थिति एवं चलिष्णुता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके द्वारा दृष्टिबाधित बालक एवं व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को पहचानने में सहायक होता है। छड़ी द्वारा दृष्टिबाधित व्यक्ति अपने आस–पास के वातावरण में स्वतंत्रतापूर्वक एवं आत्मविश्वास के साथ चलता है। छड़ी विभिन्न माप की होती है। परंतु उपयुक्त छड़ी वही होती है जो व्यक्ति की छाती की लम्बाई की होती है। छड़ी का उपयोग हेतु आवश्यक है कि छडी के ऊपरी भाग को पकड़कर नीचे वाले भाग को जमीन पर मारे जिससे दृष्टिबाधित व्यक्ति को सतह के बारे में ज्ञान हो सके।

छड़ी मुख्यताः दो प्रकार की होती है– लम्बी छड़ी एवं फोल्डिंग छड़ी। लम्बी छड़ी एल्युमीनियम के एक लम्बे पाईप की बनी होती है। छडी के उपयोग के बाद इसे संभाल कर रखने में काफी मुश्किल होती है क्योकि इसे मोड़ कर नहीं रखा जा सकता। फोल्डिंग छड़ी एल्युमीनियम के छोटे–छोटे चार–पांच पाईपों को मिलाकर बनाई जाती है। जिसके बीच में इलास्टिक लगी होती है जो इन पाईपों को जोडने में सहायता करती है। इस छड़ी के प्रयोग में न होने की स्थिति में इसे मोड़ कर थैले में रखी जा सकती है एवं इसका प्रयोग आसानी से घर के अंदर या बाहर किया जा सकता है। सामान्यतः छडी की लम्बाई 190 मी0मी0 होती है।

4. ब्रेल उत्पादन उपकरण

(क) साधारण प्रतिलिपिकरण यंत्र– इस यंत्र के द्वारा ब्रेल की प्रतिलिपि हेतु एक मास्टर शीट का निर्माण किया जाता है। यह शीट एल्यूमिनियम की प्लेट पर तैयार करायी जाती है। इस शीट को तैयार करवाने के लिए मोटी पिन की मदद ली जाती है जो ब्रेल जैसे बिंदुओं को शीट पर उभार देती है। इसके उपरांत उस शीट को एक प्रिंटिंग प्रेस में फिट करके उस पर कागज रखकर बिजली द्वारा रोल किया जात है। धीमी गति के कारण इसे उपयोगी नहीं समझा जाता है एवं तकनीकी विकास के उपरांत कई नई मशीनें बाजार में उपलब्ध है जो इस कार्य को काफी तेजी से कर सकने में संभव है।

12.8 आधुनिक उपकरण

1. **इलेक्ट्रोनिक लेखन उपकरण**

   (क) इलेक्ट्रोनिक नोट टेकर

   (ख) ब्रेलर संवर्धक उपकरण

   (ग) स्क्रीन रीडिंग साफ्टवेयर वाला कम्प्यूटर

2. **आधुनिक पठन उपकरण**

   (क) ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकंग्नीशन एवं स्कैनर

   (ख) टेक्स्ट रीडिंग मशीन

   (ग) स्क्रीन रीडिंग साफ्टवेयर वाला कम्प्यूटर

   (घ) क्लोज सर्किट टेलीविजन

   (ड) टेप रिकार्डर

   (च) डेजी प्लेयर

   (छ) पोर्टेबल टेक्स्ट रीडर

3. **अनुस्थिति एवं चलिष्णुता उपकरण**

   (क) बोलने वाला दिशा–सूचक यंत्र

   (ख) ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम

   (ग) इलैक्ट्रॉनिक बीपर

   (घ) इन्फ्रारेड किरणों वाली छड़ी

4. **ब्रेल उत्पादन उपकरण**

   (क) कम्प्यूटरीकृत ब्रेल प्रेस

   (ख) ब्रेल प्रिंटर

(ग) इलेक्ट्रांनिक ब्रेल प्रिटर

(घ) ब्रेल ट्रांसलेशन साफ्टवेयर

बोध प्रश्न –

टिप्पणी – क : नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिये–

ख : इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों में से अपने उत्तर का मिलान कीजिये–

1. ब्रेलर क्या है ?

....

....

....

2. स्टाइलस क्या है ?

....

....

....

3. 'पॉकेट फ्रेम' में किस लिये प्रयोग होता है?

....

....

....

4. ब्रेल स्लेट 'म' कैसे लिखेंगे?

....

....

....

5. पाकेट फ्रेम कितने लाइनों का होता है ?

....

....

....

12.9 सारांश

पाठ्यक्रम किसी भी शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होता है। पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों के सर्वांगण विकास को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। पाठ्यक्रम बालकों को सभी विषयों के बारे ज्ञान प्राप्त करवाने का एक साधन है। दृष्टिबाधित बालकों को सामान्य पाठ्यक्रम से शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु काफी कठिनाईयों का सामना करना पडता है। जिसके कारण दृष्टिबाधितों हेतु प्रतिस्थापन, रूपांतरण, द्वि–गुणित एवं हटाना के सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है।

सामान्य पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दृष्टिबाधितों बालको को जमा पाठ्यक्रम का सहारा लेना पड़ता है। जमा पाठ्यक्रम के अंर्तगत ब्रेल, विशिष्ट उपकरण

जैसे अबेकस, टेलरफ्रेम, अनुपस्थिति एवं चलिष्णुता कौशल, दैनिक दिनचर्या कौशल एवं ज्ञानइंद्रियां प्रशिक्षण का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

परंतु आधुनिक युग की आवश्यकओं को ध्यान में रखते हुए जमा पाठ्यक्रम के साथ–साथ दृष्टिबाधित बालकों को कुछ अन्य जीवनपरक कौशलों से अवगत करवाया जाना आवश्यक है। जिसे विस्तृत सामान्य पाठ्यक्रम के नाम से जाना जाता है। विस्तृत सामान्य पाठ्यक्रम के अंर्तगत सहायक तकनीकी, जीवनवृत्ति शिक्षा, क्षर्तिपूर्ति कौशल, अनुस्थिति एवं चलिष्णुता, मनोरंजन एवं विश्राम, स्वयं निश्चय, ज्ञानेंन्द्रिय कुशलता एवं समाजिक अंतः क्रिया जैसे कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

12.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. ब्रेलर ब्रेल लिखने की मशीन को कहते हैं।
2. पेन की भॉति ब्रेल लिखने के लिए इसकी आवश्यकता होती हैं ।
3. ब्रेल लिखने में
4. बिन्दु 1, 2 एवं 4 तीनों को अलग अलग उभारने से ।
5. 5 या 7 लाइनों का।

12.11 अभ्यास के प्रश्न

1. पाठ्यक्रम से आप क्या समझते है?
2. जमा पाठ्यक्रम के अंर्तगत दृष्टिबाधितों हेतु कौन–कौन से कौशलों को सिखाया जाता है?
3. दृष्टिबाधितों हेतु विस्तृत सामान्य पाठ्यक्रम के अंर्तगत कौशलों को सूचिबद्ध कीजिये।

12.12 उपयोगी पुस्तकें

1. Srivastava, Sachine (2014). Education for Visually Impaired Children. Sonal Publication: New Delhi
2. Effect of Early Visual Impairment on Personality Development (2014)- NAB Publication
3. Shikshan Prakshan Lekh Mala (2004)- AICB Publication: New Delhi
4. Ahuja, Swarn (2013). Bharti Braille Shikshak. NAB Pulication: Mumbai
5. Dubey, Sudeep (2014). Drishtibadha and Awashyak Koshal. Kanishka Publication: New Delhi

खण्ड
5
बधिरांधता

इकाई - 13 5
बधिरांधता कारण, विशेषताएँ एवं शिक्षा तथा दैनिक क्रियाओं पर बधिरांधता का प्रभाव

इकाई - 14 14
बधिरांधता की पहचान, मूल्यांकन एवं हस्तक्षेप

इकाई - 15 25
बधिरांध बालकों की शैक्षिक आवश्यकता

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

प्रो0 एम0 पी0 दुबे	कुलपति, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

विशेषज्ञ समिति

प्रो0 एस0पी0 गुप्ता	पूर्व निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
प्रो0 के0एस0मिश्रा	आचार्य, शिक्षा शास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
प्रो0 अखिलेश चौबे	पूर्व आचार्य, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
प्रो0 विद्या अग्रवाल	आचार्य, शिक्षा शास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
प्रो0 प्रतिभा उपाध्याय	आचार्य, शिक्षा शास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

लेखक

डा0 विनोद केन	असि. प्रोफेसर, एन.आई.वी.एच., देहरादून

सम्पादक

प्रो0 पी0सी0शुक्ला	आचार्य, शिक्षा संकाय, बी0एच0यू0, वाराणसी

परिमापक

प्रो0सीमा सिंह	आचार्य, शिक्षा संकाय, बी0एच0यू0, वाराणसी

समन्वयक

डॉ0 रंजना श्रीवास्तव	प्रवक्ता, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

प्रकाशक

डॉ0 राजेश कुमार पाण्डेय	कुलसचिव, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

© उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

ISBN-UP-978-93-83328-05-5

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्यसामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।
नोट : पाठ्य सामग्री में मुद्रित सामग्री के विचारों एवं आकड़ों आदि के प्रति विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं है।

खण्ड–एक श्रवण विकलांगता : प्रकृति एवं वर्गीकरण

इकाई–1 श्रवण की महत्त्व एवं विभिन्न इन्द्रियॉ

इकाई–2 श्रवण की प्रक्रिया एवं विभिन्न प्रकार के श्रवण दोष

इकाई–3 श्रवण विकलांगता एवं उसके प्रभाव

खण्ड–दो श्रवण विकलांगता या क्षति का प्रभाव

इकाई–4 श्रवण विकलांगता की विशेषताऍ एवं संप्रेषण पर प्रभाव

इकाई–5 श्रवण विकलांगों के सम्प्रेषण विकल्प

इकाई–6 श्रवण विकलांग बालकों की साक्षरता विकास एवं शैक्षिक उपलब्धि तथा तकनीकी सहायता

खण्ड–तीन दृष्टिबाधिता – प्रकृति एवं मूल्यांकन

इकाई–7 दृष्टिबाधिता एवं देखने की प्रक्रिया

इकाई–8 जनसंख्या संबंधी ऑकड़े

इकाई–9 प्रारम्भिक पहचान एवं हस्तक्षेप

खण्ड–चार दृष्टिबाधितों के शैक्षिक निहितार्थ

इकाई–10 दृष्टिहीनता के प्रभाव

इकाई–11 शिक्षा के सिद्धान्त

इकाई–12 विस्तृत सामान्य पाठ्यक्रम

खण्ड–पॉच बधिरांधता

इकाई–13 बधिरांधता कारण, विशेषताऍ एवं शिक्षा तथा दैनिक क्रियाओं पर बधिरांधता का प्रभाव

इकाई–14 बधिरांधता की पहचान, मूल्यांकन एवं हस्तक्षेप

इकाई–15 बधिरांध बालकों की शैक्षिक आवश्यकता

खंड–5– बधिरांधता

खण्ड परिचय

इकाई–13– प्रस्तुत इकाई में बधिरांधता की परिभाषा, बधिरांधता के कारण, वर्गीकरण एवं उनकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है। इसके साथ–साथ बधिरांध बालकों की दैनिक दिनचर्या कौशलों एवं शिक्षा में आने वाले समस्याओं के बारे में भी बताया गया है।

इकाई–14– इसके अंर्तगत बधिरांध बालकों की स्क्रीनिंग के बारे में बताया गया है तथा बधिरांध बालकों के मूल्यांकन एवं उसकी विभिन्न तकनीकों के बारे में चर्चा की गई है। बधिरांध बालकों को पहचानने के लिए उपयोगी उपकरण एवं चैकलिस्ट के बारे में वर्णन किया गया है और बधिरांध बालकों हेतु हस्तक्षेप की विभिन्न रीतियों को भी बताया गया है।

इकाई–15– इस इकाई में बधिरांध बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बधिरांध बालकों की शैक्षिक आवश्यकता के बारे में बताया गया है। इन शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बधिरांध बालकों द्वारा विभिन्न संप्रेषण विकल्पों के बारें में भी चर्चा की गई है।

इकाई–13–बधिरांधता कारण, विशेषताएं एवं शिक्षा तथा दैनिक क्रियाओं पर बधिरांधता का प्रभाव

13.1 प्रस्तावना
13.2 उद्देश्य
13.3 बधिरांधता का अर्थ एवं परिभाषा
13.4 बधिरांधता के कारण
13.5 बधिरांधता का वर्गीकरण या श्रेणी
13.6 बधिरांधता की विशेषताएं
13.7 शिक्षा एवं दैनिक दिनचर्या पर बधिरांधता के प्रभाव
13.8 सारांश
13.9 बोध प्रश्नों के उत्तर
13.10 अभ्यास के प्रश्न
13.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

13.1 प्रस्तावना

बधिरांधता जैसा कि इस शब्द से स्पष्ट होता है कि यह कि यह एक द्वि इंन्द्रिय विकलांगता का प्रदर्शित करती है। पूर्व की इकाईयों में आपने दृष्टिबाधिता एवं श्रवणबधिता के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। जिसमें दृष्टि से संबंधित विकलांगता को दृष्टिहीनता कहते हैं तथा श्रवण से संबंधित विकलांगता को श्रवण विकलांगता कहा जाता है। बधिरांधता में बालक दृष्टि विकलांगता अर्थात दृष्टिबाधिता जिसके अंर्तगत बालक दृष्टिहीन या अल्पदृष्टिवान भी हो सकता है तथा श्रवण विकलांगता दोनो से ग्रसित होता है। अर्थात बालक देखने तथा सुनने दोनो में असक्षम होता है।

दृष्टिहीनता एवं श्रवण विकलांगता के कारणवंश बालकों को गंभीर विकासात्मक, संप्रेषण एवं अधिगम से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार के बालकों को किसी विशेष प्रकार की विकलांगता वाले विद्यालयों जैसे दृष्टिबाधितों हेतु विद्यालयों या श्रवण विकलांगता से ग्रसित बालकों या गंभीर विकलांगता से ग्रसित बालकों के विद्यालय में शिक्षा देना संभव नही होता है।

बधिरांधता एक विशेष प्रकार की विकलांगता है तथा यह दोनो विकलांगताओं के समूह होने के कारण किसी एक विशेष विकलांगता से संबंधित न होकर स्वयं में

एक अन्य विकलांगता के रूप में प्रकट होती है जिसकी अपनी अलग परिभाषाएं एवं प्रत्यय होते है

13.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

- आप बधिरांधता के अर्थ को समझ सकेंगे।
- आप बधिरांधता का वर्गीकरण कर सकेंगे।
- आप बालकों में बधिरांधता के कारण को जान सकेंगे।
- आप शिक्षा एवं दैनिक दिनचर्या में बधिरांधता के प्रभावों को जान पायेगे।

13.3 बधिरांधता का अर्थ एवं परिभाषा

बधिरांधता किसी बालक की वह स्थिति होती है जिसमें बालक के देखने एवं सुनने की क्षमता पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है अर्थात बालक के देखने एवं सुनने की क्षमता में कमी होती है। जो कई चरणों मे हो सकती है। बधिरांधता से ग्रसित बालकों पर इसका प्रभाव बालकों की वार्ता की क्षमता अर्थात विचारों के आदान–प्रदान पर पडता है एवं अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या आती है। बधिरांध बालकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में भी समस्या का समाना करना पड़ता है अर्थात उनकी अनुस्थिति एवं चलिष्णुता की क्षमता भी प्रभावित होती है।

बधिरांधता की परिभाषा

बधिरांधता से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति में श्रवण विकलांगता के साथ–साथ दृष्टि विकलांगता से भी ग्रसित होता है जिसके कारण व्यक्ति को गंभी रूप से संप्रेषण, विकासात्मक एवं शैक्षिक समस्याएं होती हैं।

आपको यह अवगत करवाना अति आवश्यक है कि निःशक्तता जन समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 में बधिरांधता या बहु–विकलांगता की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। परंतु उम्मीद है कि विकलांग जनों के अधिकार अधिनियम में बधिरांधता एवं बहु– विकलांगता की परिभाषा को शामिल किया जाये।

भारतीय न्यास अधिनियम 1999 में बधिरांधता की तो कोई परिभाषा नहीं दी गई है परंतु बहु–विकलांगता की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है।

भारतीय न्यास अधिनियम 1999 के अनुसार यदि व्यक्ति निम्न में से किसी एक से भी प्रभावित होता है तो वह बहु–विकलांगता से ग्रसित माना जाता है। इसमें प्रथम दो समूहों बधिरांधता को भी प्रदर्शित करते है।

1. दृष्टिबाधिता + श्रवण विकलांगता
2. दृष्टिबाधिता + श्रवण विकलांगता + मानसिक विकलांगता

3. दृष्टिबाधिता + मानसिक विकलांगता

13.4 बधिरांधता के कारण

बधिरांधता के कारणों को मुख्यता निम्न तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है:—

1. जन्म से पूर्व— इस अवस्था में बालक के जन्म के पूर्व की स्थिति को देखा जाता है।
2. जन्म के समय— इस अवस्था में बालक के जन्म के समय की स्थिति को देखा जाता है।
3. जन्म के उपरांत— इस अवस्था में बालक के जन्म के एक सप्ताह से लेकर तीन वर्ष के समय की स्थिति को देखा जाता है।

आइए, अब हम इन तीनों अवस्थाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करें।

1. जन्म से पूर्व अवस्था

क— यदि माता की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक होती है तो उनके द्वारा जन्म दिये जाने वाले बालक में विशेष आवश्यकता वाले बालक होने की संभावना बनी रही है।

ख— यदि गर्भवती माता जर्मन मीजल/चेचक, टी0बी0 या अन्य किसी सक्रमण से संक्रमित होती है तो विशेष आवश्यकता वाले बालक के संभावना अधिक हो जाती है।

ग— गर्भावस्था में गर्भवती माता द्वारा आवश्यकता अनुसार पोशक भोजन न ग्रहण करना।

घ— गर्भावस्था के प्रारंभिक अवस्था में यदि माता एक्स—रे की किरणों से संक्रमित हो जाये।

ड— यदि गर्भवती महिला लंबी अवधि से चली आ रही बीमारी जैसे डाईबिटीज, हाईपरटेंशन आदि से ग्रसित हो।

च— यदि गर्भवती महिला द्वारा गलत दवाई या अत्यधिक नशीली चीजों का सेवन करती हो।

छ— यदि महिला को गर्भावस्था में शारीरिक या/एवं संवेगात्मक मानसिक आघात लगा हो।

ज— यदि गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान दौरे पड़ते हो।

2. जन्म के समय की स्थिति

क— यदि प्रवास का समय परिपक्व होने से पूर्व अर्थात् 37 सप्ताह या 259 दिनों से पहले अथवा परिपक्व होने के उपरांत अर्थात् 24 सप्ताह के उपरांत हो।

ख– यदि गर्भवती महिला को प्रवास के समय काफी लम्बे समय तक दर्द होता हो या किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता हो।

ग– यदि बालक की नाभि की नाल जन्म के समय शिशु के गले में कस के लिपट जायें।

घ– यदि प्रवास के दौरान किसी चोट के कारण बालक के मस्तिष्क से रक्त बहने लग जाये।

च– यदि शिशु जन्म के तुरंत बाद रोने में देरी करता हो।

छ– यदि जन्म के समय शिशु को दी जाने वाली आक्सीजन में कमी हो।

ज– यदि शिशु के जन्म के समय कोई कुशल व्यक्ति उपलब्ध न हो।

3. जन्म के उपरांत की स्थिति

क– यदि बालक को बहुत अधिक बुखार हो या दौरे पड़ते हों जिसके कारण बालक के मस्तिष्क को क्षति पहुंचती हो।

ख– यदि बालक के गिरने के कारण बालक के मस्तिष्क पर चोट लग जाये।

ग– यदि बालक को कोई मेटाबोलिक कमी अर्थात रसायनिक समस्या हो जिसके कारण बालक वसा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइटेड को पचाकर अपने शरीर में मिलाने में असमर्थ हो।

घ– यदि बालक में पोषक तत्व की कमी हो जिससे बालक कुपोषित हो एवं उसके विकास में कमी हो।

ड– यदि बालक मस्तिष्क के बुखार से पीड़ित हो जिससे उसके मस्तिष्क को क्षति हो जाये।

च– यदि शिशु को जन्म के समय अथवा जन्म के प्रारंभिक अवस्था में ही पीलिया हो जाये।

छ– यदि बालक टी0बी0 से पीड़ित हो या टी0बी0 की बीमारी का अच्छी प्रकार से इलाज न किया गया हो।

ज– बालक को मेनिनजाइटिस या इनसेफलाइटिस प्रकार के संक्रमण।

13.5 बधिरांधता का वर्गीकरण या श्रेणी

विकलांगताओं के आधार पर बधिरांधता को निम्न श्रेणी में बांटा जा सकता है:–

1. मंद से गंभीर श्रवण विकलांगता के साथ–साथ सार्थक दृष्टि विकलांगता।
2. मंद से गंभीर श्रवण विकलांगता के साथ–साथ सार्थक दृष्टि विकलांगता एवं अन्य दूसरी विकासात्मक विकलांगताएं
3. तीव्र रूप से बढने वाली इंद्रिय विकलांगता/सार्थक दृष्टि विकलांगता

13.6 बधिरांधता की विशेषताए

बधिरांध बालको की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैः–

1. विश्व के प्रति विकृत प्रत्यक्षीकरण
2. बधिरांधता से ग्रसित बालक समाज से अलग–थलग तथा अकेलेपन में दिखाई देता है।
3. बधिरांध बालक अपने वातावरण के साथ अर्थपूर्ण तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता में असमर्थ होता है अथवा संप्रेषण कौशल में कमी होती है।
4. बधिरांध बालक द्वारा किये जाने वाले कार्य में उत्सुकता की कमी दिखाई देती है।
5. बधिरांध बालकों में अधिकांश समय अभिप्रेरणाओं से वंचित रहते है।
6. किसी वस्तु या व्यक्ति को स्पर्श करते समय अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करते है।
7. बधिरांध बालकों को सामाजिक अंतः क्रियाओं को स्थापित करने एवं बनाये रखने में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
8. बधिरांध बालकों अपने द्वारा किये गये कार्यो का भविष्य में परिणाम के बारें में जानने की क्षमता में कमी होती है।
9. बधिरांध बालकों द्वारा भोजन करने में समस्या आती है एवं इनका सोने एवं जगने के समय में अनियमिता होती है।
10. चिकित्सीय समय के कारण गंभीर विकासात्मक देरी होती है।
11. संप्रेषण करने की कमी के कारण सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में देरी।
12. इन बालकों को अनुशसित रखने में समस्याएं आती है।
13. बधिरांध बालकों में निष्फलता एवं निराशा का प्रदर्शन होता है।

13.7 बधिरांधता का शिक्षा एवं दैनिक दिनचर्या पर प्रभाव

जैसा कि पूर्व में ही आपको अवगत करवाया जा चुका है कि व्यक्ति द्वारा अपने संपूर्ण सूचनाओं का लगभग 95 प्रतिशत भाग व्यक्ति द्वारा अपनी दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करता है। इसलिए यह कहा जाता है कि इन इंद्रियों की अनुपस्थिति में बधिरांध बालक को अधिगम संबंधी काफी समस्याओं का सामना करना पडता है। दृष्टि एवं श्रवण के सीमित होने के कारण बधिरांध बालकों की संप्रेषण, चलिष्णुता एवं दैनिक दिनचर्या कौशलों में भी समस्या का सामना करना पडता है।

बधिरांधता के परिणामस्वरूप बालक को गंभीर संप्रेषण एवं अन्य विकासात्मक एवं अधिगम संबंधी अवस्था का सामना करना पडता है। जिन्हें बधिरांध व्यक्ति किसी बालक अथवा किशोरों हेतु शिक्षा कार्यक्रम जो कि विशेष तौर पर दृष्टिबाधित या

श्रवण विकलांग अथवा गंभीर विकलांगता से प्रभावित बालकों के विद्यालयों में सीखना तब तक संभव नहीं है जब तक इन द्वि–विकलांग बालकों को सप्लीमेंटरी सहायता प्रदान न की जाये। बधिरांध बालक शैक्षिक एकांत में रहते है क्योंकि दृष्टिबाधिता के साथ श्रवण विकलांग बालकों के लिए एकाग्र एवं विशेष प्रकार के शैक्षिक उपागमों की आवश्यकता होती है ताकि बधिरांध व्यक्ति या बालक को उनके पूर्ण सामर्थ्य तक पहुचने का अवसर प्रदान किया जा सके।

प्रारंभ में बधिरांध बालकों के लिए विश्व का प्रत्यय काफी संकीर्ण होता है। यदि बालक गंभीर रूप से श्रवण विलांगता एवं पूर्णरूप से दृष्टिहीन होता है तो उसके लिए विश्व के लिए अनुभवों को केवल अंगुलियों पर गिना जा सकता है जिससे उसके शैक्षिक विकास एवं दैनिक दिनचर्या के कौशलों को सीखने में गंभीर समस्या का सामना करना पडता है। उनका विश्व के प्रति प्रत्यय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हे किसी वस्तु से शारीरिक संबंध बनाने के कितने अवसर प्राप्त हुए है।

यदि किसी बधिरांध बालक में उपयोगार्थी दृष्टि एवं श्रवण की क्षमता होती है तो संभव है कि उनकी दुनिया को देखना का क्षेत्र कुछ विस्तृत हो सकता है। कुछ बधिरांध बालकों में देखने की सार्थक क्षमता होती है। जिस कारण वह अपने वातावरण में आवागमन करने में सक्षम होते है। जिसके परिणामस्वरूप वह अपनी दैनिक दिनचर्या के कौशलों को करने में कुछ समर्थ होते है। ऐसी श्रेणी के बधिरांध बालक दृष्टि का उपयोग कर अपने परिवार के सदस्यों को पहचानने में सक्षम होते हैं। उनके द्वारा नजदीक से साईन लेंगवेज को देखने में सक्षम होते है एवं बडे छापे की मुद्रित सामग्री को भी पढ सकते है।

यदि किसी बधिरांध बालक में श्रवण की सार्थक क्षमता होती है तो वह जानी पहचानी आवाजों को पहचानते है कुछ भाषा को समझते है एवं अपनी भाषा कौशल को विकसित करते है।

यदि किसी बधिरांध बालक में बिना किसी क्षति के दृष्टि एवं श्रवण क्षमता होती है तो वह वे सभी क्रियाओं को प्रभावी तरह से समझाने में सहायक होते है जो उनके द्वारा की जाती है एवं जो उनके आस पास के वातावरण में हो रही है।

इस प्रकार के अधिगमों का अनुभव बधिरांध बालकों के द्वारा आने दिन प्रति दिन के कार्य को करने से प्राप्त होता है। क्योकि दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिया बालक के आस–पास के वातावरण एवं विष्य से सूचनाओं को एकत्रित एवं संगठित करने में सहायक होती है। इस समय आपको यह बताना अति आवश्यक है बधिरांध बालकों में आकस्मिक अधिगम की क्षमता दृष्टिवान या सामान्य बालकों में की तुलना में कम होती है। बधिरांध बालक को अपने संबंधित व्यक्तियों एवं वातावरण के संबंध में सूचनाएं या तो टुकडों में प्राप्त होती है अथवा विकृत रूप में प्राप्त होती है।

बधिरांध बालक वातावरण में उपस्थित सभी सूचनाएं अपनी बची या शेष इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से प्राप्त सूचनाओं या अधिगम के द्वारा बधिरांध बालक अपनी क्रियाओं को क्रमवार करते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि

बधिरांध व्यक्तियों द्वारा वातावरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अपनी असली जिंदगी में प्रयोग करता है। वह इस को तभी अच्छे प्रकार से कर सकते है जब इन क्रियाओं को स्वयं द्वारा की जाये।

दृष्टि एवं श्रवण क्षमता की अनुपस्थिति बालक को अपने आस–पास के वातावरण में डरा हुआ सा महसूस करता है। वह उपने वातावरण में अपने शरीर के लिए जगह बनाने में निश्चय करने में सक्षम नही होते हैं। वह वातावरण में अपनी सुरक्षा से संबंधित जागरूकताओं के बारे में बहुत सीमित होते है। इस लिए बधिरांध बालकों द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक अपने वातावरण में अपनी पसंद की वस्तुओं को प्राप्त करने में समस्या आती है जिससे उनके अधिगम में पक्ष में नहीं होता है एवं अधिगम को प्रभावित करता है। बधिरांध बालकों हेतु स्वास्थ्य अधिगम वातावरण तभी प्राप्त होता है जब वह क्रियाओं को स्वयं करेगे। यह देखा गया है बधिरांध बालकों में दृष्टि एवं श्रवण से संबंधित संकेतों तक पहुंच के अवसरों में कमी के कारण बधिरांध बालक द्वारा काफी अड़चनों का सामना करना पडता है।

बोध प्रश्न –

टिप्पणी – क : नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिये–

ख : इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों में से अपने उत्तर का मिलान कीजिये–

1. बधिरांधता शब्द से क्या स्पष्ट होता है ?

....

....

....

2. विशक्तताजन समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता अधिनियम कब का है ?

....

....

....

3. व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण सूचनाओं का लगभग कितने प्रतिशत अपनी दृष्टि एवं श्रवण इन्द्रियों द्वारा प्राप्त करता है ?

....

....

....

4. बधिरांधता ग्रस्त बालकों को सामान्य विद्यालयों में शिक्षा दी जा सकती हैं।

....

....

....

5. बधिरांधता ग्रस्त बच्चों में सम्प्रेषण की कमी से किस विकास में कमी आती है?

....

....

....

13.8 सारांश

बधिरांधता एक द्वि इंद्रिय विकलांगता होती है जिसके अंर्तगत बालक दृष्टि बाधिता के साथ–साथ श्रवण विकलांगता से भी ग्रसित होता है। बधिरांधता में बालक पूर्ण रूप से दृष्टिहीन या अल्पदृष्टिहीन हो सकता है साथ ही साथ बालक पूर्ण रूप या अल्प रूप से श्रवण विकलांग हो सकता है।

बधिरांधता अर्थात् दृष्टिहीनता एवं श्रवण विकलांगता के कारण बालकों में गंभीर विकासात्मक, संप्रेषण एवं अधिगम से जुडी समस्याएं हो सकती है। जिन्हे सामान्य विद्यालय में शिक्षा देना काफी कठिन होता है। बधिरांध बालकों को न तो दृष्टिबाधितों के विद्यालय में शिक्षा दी जा सकती है और न ही श्रवण विकलांग बालकों के लिए बनाये गये विशेष विद्यालयों में शिक्षा दी जा सकती है। बधिरांध बालकों के लिए अलग से विशेष विद्यालयों का निर्माण किया जाता है।

बधिरांधता के कारणों को मुख्यतः जन्म से पूर्व अर्थात् बालक के जन्म के पूर्व की स्थिति, जन्म के समय अर्थात बालक के जन्म के समय की स्थिति एवं जन्म के उपरांत अर्थात बालक के जन्म के एक सप्ताह से लेकर तीन वर्ष के समय की स्थिति को देख जाता है।

बधिरांधत की विभिन्न श्रेणियो जैसे मंद से गंभीर श्रवण विकलांगता के साथ–साथ सार्थक दृष्टि विकलांगता, मंद से गंभीर श्रवण विकलांगता के साथ–साथ सार्थक दृष्टि विकलांगता एवं अन्य दूसरी विकासात्मक विकलांगताएं तथा तीव्र रूप से बढने वाली इंद्रि विकलांगता/सार्थक दृष्टि विकलांगता को शामिल किया जाता है।

13.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. इसमें बालक दृष्टि तथा श्रवण दोनों विकलांगता से ग्रसित होता है।
2. 1995
3. 95 प्रतिशत
4. सामान्य विद्यालय में इन्हें शिक्षा देना कठिन कार्य है।
5. सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास

13.10 अभ्यास के प्रश्न

1. बधिरांधता से आप क्या समझते है?

2. क्या बधिरांध बालक दृष्टिबाधितों या श्रवण विकलांगों के विद्यालयों में अध्ययन कर सकते है?
3. बधिरांधता को वर्गीकृत कीजिये।
4. बधिरांध बालकों की विशेषताओं को लिखिए।

13.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. Nikam, Meena (2013). Badhirangh Ava Bahuviklang Bchche Prarbhik Hastkshep.NAB Publication: Mumbai
2. Sack, Sharon Z.- Educating students who have visual impairment and other disabilities. Paul H Bookers Publication: London
3. Mohanty, Jaganath and Mohanty, Jayasree- Deaf and Dumb Education. Paul H Bookers Publication: London
4. Orelove, Fred D. (2005). Educating Children with Multiple Disabilities. Paul H Bradrs Publication: Maryland
5. Natioal Trust Act. 1999- Government of India
6. PWD Act 1995- Government of India

इकाई–14–बधिरांधता की पहचान, मूल्यांकन एवं हस्तक्षेप

14.1 प्रस्तावना

14.2 उद्देश्य

14.3 बधिरांध बालकों की स्क्रीनिंग

14.4 बधिरांध बालकों की पहचान के महत्व

14.4.1 दृष्टिबाधितों की पहचान के लिए चैकलिस्ट

14.4.2 श्रवण विकलांगों की पहचान हेतु युक्तियाँ (चैकलिस्ट)

14.5 बधिरांध बालकों का मूल्यांकन

14.6 बधिरांधों हेतु हस्तक्षेप की रीतियां (strategies)

14.7 सारांश

14.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

14.9 अभ्यास के प्रश्न

14.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

14.1 प्रस्तावना

बधिरांधता एक विशेष प्रकार की विकलांगता चिन्हित की गयी है जिसके अंर्तगत बालक दृष्टिबाधिता एवं श्रवण विकलांगता दोनो से ग्रसित होता है। बधिराधता में श्रवण विकलांगता एव दृष्टिबाधिता का अलग–अलग श्रेणी हो सकती है। इसे द्वि इंदिग्र विकलांगता या बहु–विकलांगता के नाम से भी जाना जाता है। बधिरांधता के परिणाम स्वरूप बधिरांध बालक के संप्रेषण कौशल, चलिष्णुता एवं सूचनाओं को प्राप्त करने की क्षमता पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। इसका मुख्य कारण व्यक्ति द्वारा बातावरण में व्याप्त अधिकाधिक सूचनाएं अपनी दृष्टि एवं श्रवण से प्राप्त करता है। शोध के अनुसार व्यक्ति लगभग 95 प्रतिशत सूचनाएं अपनी दृष्टि एवं श्रवण इंद्रि के द्वारा प्राप्त करता है।

बधिरांध व्यक्ति को दृष्टि एवं श्रवण विकलांगता के साथ–साथ अन्य विकलांगताओं से भी ग्रसित हो सकता है। जैसे अधिगम विकलांगता, मानसिक विकलांगता इत्यादि।

बधिरांध बालकों को पाठ्यक्रम से संबंधित कौशलों को प्राप्त करने के साथ–साथ प्रत्यक्षीकरण, संप्रेषण एवं सूचनाओं के संकलन से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पडता है। बधिरांध बालकों के द्वारा आकस्मिक अधिगम की क्षमता पर भी प्रतिकूल एवं व्यापक प्रभाव पडता है।

बधिरांध बालकों की प्रारम्भिक अवस्था में ही पहचान कर उनकी समस्याओं एवं सीमाओं को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। पहचान के उपरांत बधिरांध बालकों के लिए उचित हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक होता है।

प्रस्तुत इकाई के अंतर्गत हम आपकों स्क्रीनिंग के विभिन्न तरीकों के बारें में अवगत करायेंगे, बधिरांध बालकों के पहचान हेतु चैकलिस्ट के बारें अवगत करकर उनके मूल्यांकन एवं हस्तक्षेप के बारे चर्चा करेंगे।

14.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़नें के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि

- बधिरांध बालकों की स्क्रीनिंग के बारें में जान सकेंगे
- आप बधिरांध बालकों का मूल्यांकन के बारे में जान सकेंगे
- आप बधिरांध अर्थात् दृष्टिबाधित एवं श्रवण विकलांग बालकों को पहचान सकेंगे।
- दृष्टिबाधितों की पहचान के लिए चैकलिस्ट तैयार कर सकेंगे
- श्रवण विकलांगों की पहचान हेतु चैकलिस्ट तैयार कर सकेंगे।
- बधिरांधों हेतु हस्तक्षेप की स्ट्राटिजी strategies जान सकेंगे।

14.3 बधिरांध बालकों की स्क्रीनिंग/जांच

जांच एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप किसी विशेष प्रकार के बालकों को पहचानने में सहायता करती है तथा इसके उपरांत उनका मूल्यांकन कर उनकी पुनर्वास संबंधी आवश्यकताओं को ज्ञात किया जाता है। जांच की प्रक्रिया मुख्यताः उस विशेष प्रकार की विकलांगता के व्यक्तियों में लक्षित लक्षणों पर निर्भर करता है जो कि चैकलिस्ट में दी गई है। यदि बधिरांध बालक में 50 प्रतिशत ऐसे लक्षण मिलते है जोकि चैकलिस्ट में दिये गये है उसके उपरांत ही मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है।

बधिरांध बालकों की जांच

बधिरांध बालको की विकलांगता के कारण सीमाओं को सीमित या कम करने के लिए सर्वप्रथम हमें बधिरांध बालकों की जांच करनी आवश्यक होती है। जिसके लिए गॉवों, कस्बों, शहरों आदि स्थानों पर जाकर बालकों की जांच की जानी चाहिए। जिसके लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाया जा सकता हैः–

1. गॉव के सरपंच के पास जाकर सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है।
2. पंचायत कार्यालय में जाकर उस स्थान की जनसंख्या संबंधी आंकडे प्राप्त किये जा सकते है।
3. किसी निश्चत क्षेत्र में घर–घर जाकर सर्वे किया जा सकता है।
4. गॉव में षिविर का आयोजन किया जा सकता है।
5. शिशु चिकित्सालय से संपर्क किया जा सकता है।
6. सरकारी अस्पतालों से विकलांग बालकों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

7. बालक परामर्श केन्द्रों से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है।
8. अन्य विशेष विद्यालय/संस्थाओं से सर्वे के आंकड़ों को प्राप्त किया जा सकता है।
9. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सकों से संपर्क किया जा सकता है।

परंतु ऐसा आवश्यक नहीं है कि उपरोक्त तरीकों से ही आप बधिरांध बालकों के बारें में सूचनाएं प्राप्त कर सकते है। इसके लिए आवश्यक उपकरणों का होना अति आवश्यक होता है। इस संबंध में कुछ उपकरण निम्न हैः–

1. सर्वे का प्रारूप
2. जांच हेतु अनुसूची
3. बालक का चिकित्सा या विकलांग प्रमाण पत्र
4. क्रियात्मक मूल्यांकन प्रारूप

14.4 बधिरांध बालकों की पहचान

किसी भी बधिरांध बालक की पहचान बालक के लिए पुनर्वास प्रक्रिया का आधार माना जाता है। बधिरांध बालक की पहचान के उपरांत बालक का मूल्यांकन कर बालक की विशेष आवश्यकताओं के क्षेत्र जैसे चिकित्सीय, शैक्षिक, मनोसमाजिक के बारे में पूर्ण विवरण प्राप्त होता है। जिससे उनको उचित प्रकार से तममिततंस सुविधाएं दी जा सकें एवं उन्हें उपयुक्त जगह पर स्थापित किया जा सके।

बधिरांध बालको को दो प्रकार से पहचाना जा सकता है– अवलोकन एवं साक्षात्कार।

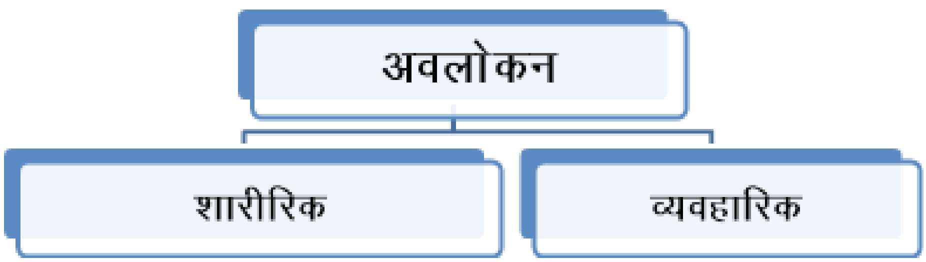

शारीरिक अवलोकन– इस में अंर्तगत बालक की शारीरिक बनावट को देखा जाता है। इसके में देखा जाता है कि व्यक्ति की शरीर में किसी प्रकार की कमी तो नही है।

व्यवहारिक अवलोकन– इसके अंर्तगत व्यक्ति के व्यवहार को देखा जाता है एवं यदि उसके व्यवहार में किसी विषेष दिखाई देता है तो उसे नोट कर लिया जाता है।

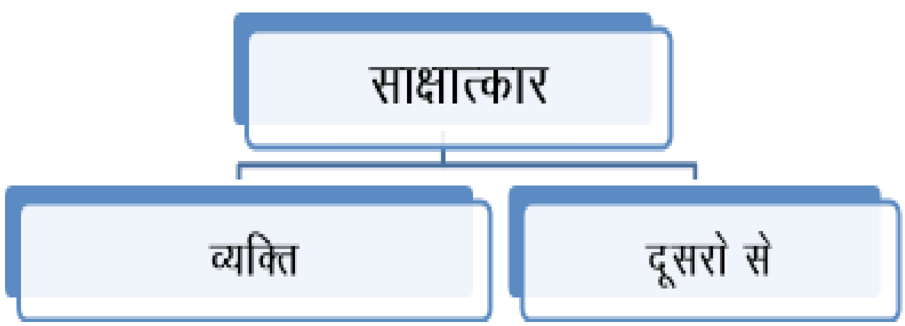

व्यक्ति का साक्षात्कार– इस प्रक्रिया में व्यक्ति या बालक से कुछ अवलोकन के आधार पर प्रश्नों को पूछा जाता है

दूसरो से साक्षात्कार– इस प्रक्रिया में साक्षातकर्ता बालक या व्यक्ति से संबंधित व्यक्तियों का साक्षात्कार लेता है ताकि बालक से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित किया जा सके।

विभिन्न विकलांगताओं से ग्रस्त बालकों को पहचाने हेतु चैकलिस्ट दी गई है जिसके अंदर कुछ लक्षित लक्षण दिये गये है जिनके आधार पर बालकों की विकलांगता को पहचाना जाता है। परंतु यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि प्रस्तुत चैकलिस्ट में से 50 प्रतिशत लक्षणों का बालकों में स्पष्ट दिखाई देना आवश्यक है उसी के आधार पर हम बालक की विकलांगता को पहचान सकेंगे।

14.4.1 दृष्टिबाधितों को पहचानने हेतु चैकलिस्ट

1. आँखों से लगातार पानी आना
2. आँखों का लगातार लाल रहना
3. आँखों में खुजली एवं जलन होना
4. लगातार आँखों की पलकों का झपकना
5. एक या दोनों आँखों में भेंगापन
6. किसी वस्तु को देखने हेतु एक आँख को बंद कर लेना या सिर को उस वस्तु की तरफ झुकाना
7. नजदीक से किसी कार्य को करने के उपरांत सिर में दर्द की शिकायत करना
8. श्याम पट से नकल करते समय अपने साथी से बार–बार मदद मांगना
9. एक मीटर की दूसरी से बालक द्वारा अपनी अंगुलियों को गिनने में समस्या आना
10. बालक द्वारा अपने सिर को रोशनी की तरफ मोड़ना
11. बालक द्वारा अपनी आँखों को बार–बार मलना
12. बालक द्वारा कक्षा की प्रथम पंक्ति में बैठने के उपरांत भी श्याम पट से नकल करने में कठिनाई आना
13. बालक के द्वारा रंगों की पहचान में असमर्थता
14. बालक की आँखों का असामान्य ढाँचा जैसे आँखों का बाहर की तरफ होना, आँखों का अंदर की तरफ होना इत्यादि
15. बालक द्वारा दृष्टि से किसी वस्तु का पीछा करने में असमर्थता

14.4.2 श्रवण विकलांगों को पहचानने हेतु चैकलिस्ट

1. कान से तरल पदार्थ का निकलना
2. कान में दर्द की शिकायत
3. कान में लगातार खुजली होना

4. किसी व्यक्ति को सुनने के लिए उसके पास तक जाना
5. किसी बात को बार–बार सुनना
6. वक्ता के होठों पर आवश्यकता से अधिक ध्यान केंद्रित करना
7. श्रुतिलेख को लिखने में असमर्थता
8. कक्षा में लगातार अपने साथी से नोटबुक दिखाने के लिए कहना
9. किसी व्यक्ति द्वारा बालक के पीछे से बोलना तथा बालक की अनुकूलित प्रतिक्रिया न देना।
10. बालक द्वारा आवश्यकता से अधिक अथवा धीमी आवाज में बोलना।
11. यदि बालक को कोई बात 4–5 फीट पर बोली जाये तथा बालक द्वारा कोई प्रतिक्रिया न देना
12. बालक द्वारा प्रश्नों का उत्तर संकेतो या इशारों मे देना
13. बालक द्वारा टेलीविजन या रेडियों उच्च ध्वनि में सुनना।
14. बालक द्वारा आसान वाक्य को भी अच्छी तरह न बोल पाना।

बधिरांध बालकों की जांच एवं पहचान के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को मस्तिष्क में रखना अति आवश्यक है:–

1. बधिरांध बालक में चैकलिस्ट में दिये गये कम से कम 50 प्रतिशल लक्षण लक्षित होना आवश्यक है।
2. इस प्रक्रिया में कम से कम दो व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए।
3. बधिरांध बालकों की जांच एवं पहचान हेतु मानकीकृत चैकलिस्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए।
4. मानकीकृत चैकलिस्ट का प्रयोग विभिन्न वातावरणों में किया जाता चाहिए।
5. यह प्रक्रिया ऐसे व्यक्यिों या विशेषज्ञों द्वारा की जानी चाहिए जिन्हे जांच एवं पहचान की प्रणाली का ज्ञान हो।

14.5 बधिरांध बालकों का मूल्यांकन

मूल्यांकन प्रक्रिया के अंर्तगत विभिन्न प्रकार जैसे प्रत्यक्ष रूप बधिरांध बालकों का परीक्षण, बधिरांध बालकों का भिन्न–भिन्न वातावरणों में अवलोकन करने के साथ–साथ परिवार के सदस्यों एवं अन्य व्याक्यिों का साक्षात्कार से बधिरांध बालको के बारें में सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। मूल्यांकन किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप कार्यक्रम से पूर्व की क्रिया है।

मूल्याकन के लिए प्रथम कदम एक शिक्षक द्वारा उठाया जाता है जो बालक के समग्रे (holistic) विकास के लिए कार्यक्रम बनाते हैं। हम बालक के वातावरण, संप्रेषण, दृष्टि एवं श्रवण क्षमता, ज्ञानात्मक, शरीरिक समस्याओं, सामाजिक कौशलों, व्यक्तिगत कारकों जैसे बालक की पंसद व नापसंद, गुण एवं सीमाएं एव उन क्षेत्रों की जिसमें

विकास की आवश्यकता महसूस होती है का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा बधिरांध बालको की चिकित्सा एवं शैक्षिक इतिहास के बारें में भी सूचनाए एकत्रित की जा सकती है।

मूल्यांकन की पद्धतियां

बधिरांध बालकों के मूल्यांकन की विभिन्न पद्धतियां होती है जिसके द्वारा बधिरांध बालकों का मूल्यांकन किया जा सकता है। आईए अब हम मूल्यांकन की निम्न पद्धतियों के बारे में चर्चा करें:–

1. प्रत्यक्ष पद्धति– इस पद्धति के अंर्तगत बधिरांध बालकों के अंतःक्रिया, खेलने, वार्तालाप करने, या किसी वस्तु की तलाष करने वाली क्रियाओं का अवलोकन किया जाता है।

2. अप्रत्यक्ष पद्धति– अप्रत्यक्ष पद्धति के अंर्तगत बालक से संबंधित आख्या, अभिभावकों व भाई–बहनों तथा अध्यापकों एवं बालक से संबंधित अन्य व्यक्यिों से बात करते हैं।

3. अनौपचारिक पद्धति– अनौपचारिक पद्धति के द्वारा बालक के साथ खेलते समय, वार्तालाप के समय, अवलोकन एवं साक्षात्कार के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

4. औपचारिक मूल्यांकन– मूल्यांकन की इस प्रक्रिया के अंर्तगत मूल्याकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों एवं चैकलिस्ट का उपयोग किया जाता है।

मूल्यांकन के उद्देश्य

मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षक, पेशेवरों एवं माता–पिता सभी के लिए आवश्यक हैं। मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैः–

1. बधिरांध बालकों के गुण एवं सीमाओं का ज्ञान होता है तथा उनके नकारात्मक स्तरों का पता चलता है।
2. बधिरांध बालकों की सामाजिक, शैक्षिक, पारिवारिक, चिकित्सीय एवं संप्रेषण संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाने में सहायक होते है।
3. बालक की शिक्षा का स्वरूप एवं पद्धतियों के बारे में जान पाते हैं।
4. बधिरांध बालकों हेतु उपयुक्त कार्यक्रम एवं अनुदेशन रीतियों को बताना बधिरांध बालकों को उपयुक्त कार्यक्रमों के बारे में सूचना प्रदान करना।
5. बधिरांध बालकों को सर्वाधिक ध्वनिवर्धक, दृष्टि एवं चलिष्णुता से संबंधित उपकरणों के बारे में ज्ञान देना।
6. व्यक्तिगत् शिक्षा कार्यक्रम को विकसित करने में सहायता करना।

मूल्याकन के उपकरण

बधिरांध बालकों के मूल्याँकन के लिए निम्नलिखत उपकरणों का उपयोग किया जाता हैः–

1. करके सीखना– इस उपकरण का निर्माण अंध जन मंडल, अहमदाबाद एवं राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून द्वारा बहु–विकलांग बालकों के मूल्यांकन किया गया था। इस उपकरण के अंर्तगत विशेषज्ञों द्वारा बहु–विकलांग बालकों के निम्न क्षेत्रों के मूल्यांकन हेतु विकसित किया गया थाः–

- सामाजिक क्षेत्र में कौशल
- व्यक्तिगत देखभाल
- अनुस्थिति एवं चलिष्णुता कौशल
- क्रियात्मक शिक्षा
- स्वतंत्रापूर्वक रहना एवं व्यावसायिक कौशल

2. इंद्रिय विकलांगता हेतु स्क्रीनिंग चैकलिस्ट

यह उपकरण राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान, सिकंदराबाद द्वारा 'मानसिक विकलांगों एवं बहु–इंद्रिय विकलांगों हेतु सेवा प्रारूप के विकास' नामक परियोजना के अंर्तगत बनाया गया था। इस चैकलिस्ट में बालकों के बारे में आधारभूत सूचनाओं को एकत्रित करने के प्रावधानों को रखा गया था। इस चैकलिस्ट में दृष्टि, श्रवण एवं व्यवाहार संबंधी क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था।

3. केलियाय अजूजा मापक

यह मापक विशेष तौर पर बधिरांध एवं गंभीर व अति गंभीर विकलांगों बालकों के निम्न विकासात्मक स्तर के मूल्यांकन हेतु बनाया गया था। यह मापक पाठ्यक्रम अध्यापन से संबंधित नही है। इस मापक का उद्देश्य बालक की संक्षेशित विकासात्मक उपयुक्त कौशलों के मूल्यांकन हेतु सूचना प्राप्त करने हेतु बताया गया था। इस मापक के निम्न 5 क्षेत्रों को शामिल किया है जिसके 18 उपक्षेत्र हैंः–

- गामक विकास
- प्रत्यक्षीकरण विकाय
- दैनिक दिनचर्या कौशल
- ज्ञानात्मक, संप्रेषण एवं भाषा विकास
- सामाजिक विकास

4. दृष्टि व श्रवण समस्याओं से ग्रसित बालकों का क्रियात्मक मूल्यांकन

यह उपकरण सेंस इंटरनेशनल, इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। इस उपकरण के में विशेष विद्यालय, कैम्प या गांवों में बधिरांध बालको एवं युवाओं क्रियात्मक दृष्टि एवं श्रवण समस्याओं के मूल्याकन हेतु उपयोग में लाया जाता है। यह आसान प्रश्नावली है जिसक उत्तर बालक को उसके जाने पहचाने वातावरण में

अवलोकन के द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। जिसमें बालक के परिवार के सदस्यों, अध्यापकों एवं समुदाय का सहयोग रहता है।

हस्तक्षेप की रीतियॉ/युक्तियॉ

बधिरांध बालकों के हस्तक्षेप हेतु कुछ सामान्य परंतु महत्वपूर्ण रीतियों का उपयोग किया जाता है जिससे बालक अपने कार्य को स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम हो सके एवं विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सीमाओं को कम कर सके। आईए अब हम कुछ मूलभूल युक्तियों/रीतियों के बारे में चर्चा करें जो शिशु एवं बाल्यावस्था के बालकों हेतु उनके परिवार के सदस्यों एवं प्रारम्भिक हस्तक्षेप के क्षेत्र में कार्यरत् व्यवसायिकों द्वारा किये जाते हैं।

1. अपने वातावरण एवं सभी ज्ञानेंन्द्रियों के बारें में सीखना। जिसमें निम्न क्रियाओं को सम्मिलित किया जा सकता है:–

- बधिरांध बालकों से अपने वातावरण, परिवार के सदस्यों एवं वस्तुओं के बारे में बात करें।
- जब आप घर पर कार्य कर रहे हो तो बधिरांध बालक को अपने साथ रखने की कोशिश करें।
- वातावरण में व्याप्त ध्वनियों के बारें में बालक को जागरूक करें।
- घर में बालक के पसंद की कोई चटाई बिछाकर उस पर बालक की पसंद के विभिन्न प्रकार के खिलौनों को रख दें।

2. **अपने बारे में जानना**

- बधिरांध बालक को उसके शरीर के विभिन्न अंगों के बारें में जानकारी प्रदान करने का प्रयास करें।
- बालक में मेरे एवं तुम्हारे प्रत्ययों को विकसित करें जैसे आप की नाक कहां है, मेरे कान पकड़ों इत्यादि।

3. **चलिष्णुता एवं वस्तुओं को खोजना सिखाना**

- बधिरांध बालक के सामने उसकी पसंद की कोई भी वस्तु लटका दे और देखें कि वह कैसे उस वस्तु तक पहुंचने का प्रयास करता है।
- बधिरांध बालक के चलने के लिए एक सुरक्षित स्थान का प्रयोग करें।
- विभिन्न गामक क्रियाओं एवं विभिन्न प्रकार की गति संबंधी क्रियाओं को बधिरांध बालक की क्रियाओं में शामिल की जानी चाहिए।
- बधिरांध बालकों में ऊपर–नीचे, अंदर–बाहर, आगे–पीछे का प्रत्यय गानों के साथ सिखायें।

4. प्रतिदिन के क्रियाकलापों में प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित करना

- बधिरांध बालक को स्वयं कपडे पहनने के लिए प्रोत्साहित करना।

- बधिरांध बालक को शौच से संबंधित क्रियाओं को करने लिए प्रशिक्षण प्रदान करना।
- बधिरांध बालक द्वारा स्वयं स्वतंत्र रूप से भोजन करने के लिए प्रशिक्षित करना
- बधिरांध बालकों को हस्तकौशल से संबंधित क्रियाओं जैसे हाथ पकड़ना, हाथों से छोटी–छोटी चीजो को पकड़ना आदि को करने में सहायता करना।

बोध प्रश्न –

टिप्पणी – क : नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिये–

ख : इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों में से अपने उत्तर का मिलान कीजिये–

1. बधिरांध बच्चों के मूल्यांकन की प्रक्रिया कब आरम्भ होती है ?

....

....

....

2. इन बच्चों के पुर्नवास प्रक्रिया का आधार क्या है ?

....

....

....

3. केलियाय अजूजा मापक क्या है ?

....

....

....

4. स्क्रीनिंग चेक लिस्ट क्या है ?

....

....

....

5. बधिरांध केलियाय अजूजा मापक कहॉ विकसित हुआ है?

....

....

....

14.7 सारांश

बधिरांध बालकों की सीमाओं को कम करने के लिए आवश्यक होता है कि बालक की प्रारम्भिक अवस्था में पहचान हो जाये तथा साथ ही साथ बालकों की जांच

किया जाना भी आवश्यक होता है। बालक की पहचान एवं जांच के लिए आवश्यक है कि वह घर घर जाकर बधिरांध बालकों के बारे में सूचनाऐ एकत्रित करे, ग्राम प्रधान से ऐसे बालकों की सूचना प्राप्त की जा सकती है, गांव में विकलांग हेतु शिविरों का आयोजन किया जा सकता है तथा सरकारी अस्पताल से विकलांग हुए बालकों की सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। बधिरांध बालकों की जांच हेतु आवश्यक है कि इन बालकों हेतु कोई चेकलिस्ट या सर्वे का प्रारूप विकसित किया जाये। बधिरांध बालकों की पहचान के लिए अवलोकन विधि का उपयोग किया जा सकता है जिसमें शारीरिक एवं व्यवहारिक अवलोकन किया जा सकता है। साक्षात्कार के द्वारा भी बधिरांध बालकों की पहचान की जा सकती है। जिसके अंर्तगत व्यक्ति या बधिरांध बालक से संबंधित व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया जाता है। जैसा कि विदित है कि बधिरांध बालकों में ऐसे बालकों को सम्मिलित किया जाता है जो दृष्टिबाधित एवं श्रवण विकलांगता से ग्रस्ति होते है। इसलिए इन दोनों विकलांगताओं हेतु चेकलिस्ट तैयार की जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि बधिरांध बालक में चेकलिस्ट में दिये गये सभी लक्षण मिले। यदि चेकलिस्ट के 50 प्रतिशत लक्षण भी बधिरांध बालक में दिखाई देते है तो बालक को बधिरांधता की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसके उपरांत बधिरांध बालकों का मूल्यांकन किया जाता है। बधिरांधता के मूल्यांकन की मुख्यता चार पद्धतियां होती है– प्रत्यक्ष मूल्यांकन, अप्रत्यक्ष मूल्यांकन, औचारिक मूल्यांकन एवं अनौचरिक मूल्यांकन। मूल्यांकन के आधार पर ही बधिरांध बालक के गुण एवं सीमाओं के बारे में पता लगाया जाता है। मूल्यांकन हेतु कुछ उपकरणों का भी उपयोग किया जाता है जैसे करके सीखना, इंद्रिय विलांगता हेतु स्क्रीनिंग चैकलिस्ट, केलियाय अजूजा मापक एवं दृष्टि व श्रवण समस्याओं से ग्रसित बालकों का क्रियात्मक मूल्यांकन।

14.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. यदि बधिरांध बालकों में 50 प्रतिशत लक्षण चेक लिस्ट में दिये गये है?
2. बधिरांध बालक की पहचान
3. ये विशेष रूप से बधिरांध, गम्भीर एवं अति गम्भीर बालकों के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त किया जाता है।
4. इस चेक लिस्ट में श्रवण दृष्टि तथा व्यवहार सम्बन्धी क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है।
5. यह उपकरण सेंस इंटरनेशनल इन्डिया द्वारा विकसित किया गया है।

14.9 अभ्यास के प्रश्न

1. बधिरांध बालकों की जांच हेतु उपायों को सुझाइए।
2. बधिरांध बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है?
3. बधिरांध बालकों पहचान हेतु लक्षणों को लिखिए।

4. बधिरांध बालकों के मूल्यांकन की पद्धतियों को बताइए।

14.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. Abhi- Prerna (n.d.) Screening and identification. Ahmedabad, India: Sense International (India). Resouce and Information Unit on Deafblindness.
2. Serve Shiksha – Prakshikshan Guidelines. New Delhi: Government of India
3. New York State Department of Health- Early Intervention Program www.health.state.ny.us/community/infants_children/early_intervention/index.htm
4. Narayan, Jayanti & Bhandari, Reena (2010). Creating Learning Opportunities. Voice and Vision Publication: Mumbai

इकाई–15–बधिरांध बालकों की शैक्षिक आवश्यकता

संरचना

15.1 प्रस्तावना
15.2 उद्देश्य
15.3 बालको की शैक्षिक आवश्यकता
15.3.1 बधिरांध बालकों का शारीरिक विकास
15.3.2 बधिरांध बालकों का बौद्धिक विकास
15.3.3 बधिरांध बालकों का संप्रेषण कौशल का विकास
15.3.4 बधिरांध बालकों की दैनिक क्रिया के कौशलों का विकास
15.3.5 बधिरांध बालकों का समाजिक कौशल में विकास
15.4. बधिरांध बालकों की शैक्षिक कौशलों को अर्जित करने के साधन
15.5 सारांश
15.6 बोध प्रश्नों के उत्तर
15.7 अभ्यास के प्रश्न
15.8 उपयोगी पुस्तकें

15.1 प्रस्तावना

कुछ युगों से बधिरांध बालकों को समाज पर एक भार के रूप में माना जाता रहा है। बधिरांध बालकों की विकलांगता के कारण उन्हें समाज का एक अनुत्पादक सदस्य के रूप में समझा जाता रहा है। आधुनिक समाज के विकास के साथ–साथ एकल विकलांगता से ग्रसित विकलांग बालकों की शिक्षा एवं पुनर्वास के लिए सरकार एवं समाज के द्वारा विभिन्न कदम उठाये गये। परंतु बधिरांध बालक जो कि दो प्रकार की विकलांगता (दृष्टिबाधिता एवं श्रवण विकलांगता) से ग्रसित थे उनके लिए कुछ विशेष कदम नहीं उठाये गये। बधिरांध बालकों की शिक्षा के लिए सबसे बडी समस्या उनके लिए किसी भी प्रकार के विशेष विद्यालयों की स्थापना न की गई है एवं बधिरांध बालक किसी विशेष विकलांग वाले विद्यालय जैसे दृष्टिबाधितों के लिए विशेष विद्यालय या श्रवण विकलांग बालकों के लिए विशेष विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण नही कर सकते थे। इसका मुख्य कारण बधिरांध बालकों की विशेष आवश्यकता का होना है जिसे किसी विशेष विकलांगता के विद्यालय द्वारा पूरा किया जाना संभव नही था। बधिरांध बालकों की अशिक्षा का एक मुख्य कारण समाज एवं आवासीय विद्यालयों का उनके प्रति नाकरात्मक रवैया होना था।

15.2 उद्देश्य

- बधिरांध बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं के बारे मे जान सकेंगे।

- बधिरांध बालकों के संप्रेषण कौशलों के विकास के बारे में जान सकेंगे।
- बधिरांध बालकों की दैनिक कौशलों के बारे में जान सकेंगे।
- बधिरांध बालको के समाजिक अंतःक्रियाओं के बारे में जान सकेंगे।

15.3 बधिरांध बालकों की शैक्षिक आवश्यकताएं

बधिरांध बालक सामान्य शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ रहते है। परंतु बधिरांध बालकों को सामान्य शिक्षा से अलग रख जाता है। हम यह नहीं कह सकते कि यह अस्वीकृति किसी विशेष प्रकरण के लिए ही है बल्कि यह सभी बधिरांध बालकों के लिए एक सामान्य प्रकरण के रूप में माना जाता है। इसका एक कारण अभिभावकों के रवैया भी हो सकता है जो अपने बधिरांध बालकों को किसी आवासीय संस्था या अस्पतालों को शैक्षिक संस्थाओं को विकल्प समझते है। इस प्रकार की संस्था के अंर्तगत अभिभावक बधिरांध बालकों को अपने साथ नहीं रखना चाहते है, तथा यहॉ पर बधिरांध बालक की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति विशेष शिक्षक द्वारा की जाती है। जहॉ पर बधिरांध बालको की संख्या अधिक होती है वहां वह सकरात्मक दृष्टि से बधिराध बालकों के विकास की तरफ अग्रसरित होते है। बधिरांध बालकों की निम्न लिखित शैक्षिक आवश्यताएं होती हैः–

1. बधिरांध बालकों का शारीरिक विकास
2. बधिरांध बालकों का बौद्धिक विकास
3. बधिरांध बालकों का संप्रेषण विकास
4. बधिरांध बालकों की दैनिक क्रिया के कौशलों का विकास
5. बधिरांध बालकों के सामाजिक कौशल का विकास

15.3.1 बधिरांध बालकों का शारीरिक विकास

बधिरांध बालकों की शिक्षा की सबसे पहली आवश्यकता बधिरांध बालकों के शारीरिक विकास को दृष्टिगत रखना है। बधिरांध बालकों के शारीरिक विकास के लिए अध्यापक को विशेषज्ञों के समूह के साथ कार्य करना पडता है। जिसके अंर्तगत व्यावसायिक एवं शारीरिक चिकित्सक को शामिल किया जाता है जो कि बधिरांध बालकों की आयु एवं शारीरिक विकास के आवश्यकताओं के लिए एक कायक्रम का निर्माण करते है।

बधिरांध बालकों के शारीरिक विकास के लिए कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है :–

1. बधिरांध बालकों के अंगों की दशा या मुद्रा का नियंत्रण में रखना।
2. बधिरांध बालकों को शरीर के अंगों को नियंत्रण में रखना

3. बधिरांध बालकों अनुक्रम विकास को बढावा देना। जैसे बालक के दौडने से पहले अच्छी तरह से चलना सीखाना।
4. शारीरिक विकास सामान्य से विशेष की तरफ करवाया जाना चाहिए।

प्रारंभ में अध्यापक एवं पूरी टीम बधिरांध बालक का सकल शारीरिक विकास की तरफ ध्यान देता है। इसके उपरांत धीरे–धीरे बालक के सुक्ष्म शारीरिक विकास की तरफ ध्यान केंद्रित किया जाता है।

शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण बिंदु बधिरांध बालक को शारीरिक रूप से स्वास्थ्य होना भी होता है। बहुत से बधिरांध बालकों द्वारा अपने आस–पास के वातावरण को अच्छी तरह खोज करने में डर का सामना करना पड़ता है एवं अपनी स्वास्थ्य संबंधी योग्यताओं को बढ़ाने की कौशिश करता है। इसलिए शारीरिक विकास के लिए शारीरिक शिक्षा को भी हस्तक्षेप कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। बधिरांध बालक के सुक्ष्म विकास के अंर्तगत् कंधों, हाथों एवं उंगलियों का उपयोग किया जाता है क्योकि बधिरांध बालकों में इन अंगों का विकास काफी धीमा होता है। शैक्षिक कार्यक्रम के अंर्तगत मुख्यता बालक की आयु एवं उपयोगी क्रियाओं के अनुसार सूक्ष्म विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

15.3.2 बधिरांध बालकों का बौद्धिक विकास

बधिरांध बालकों का बौद्धिक विकास सकलांग बालकों के मुकाबले बहुत धीमा होता है। बधिरांध बालकों के अध्यापक को उनकी शिक्षा के लिए अनुकूलित तरीकों एवं उपकरणों का उपयोग करना पड़ता है। बधिरांध बालकों के विशेष अधिगम एवं बौद्धिक विकास हेतु अनुदेशन का तरीका भी सकलांग बालकों से भिन्न होता है। अध्यापक द्वारा बधिरांध बालकों के बौधिक विकास हेतु शैक्षिक कार्यक्रम का निर्माण करते समय बालक ही श्रवण एवं दृष्टि की क्षमता का आंकलन करता है तथा बधिरांध बालक की क्रियात्मक क्षमता का भी आंकलन करता है जिसके आधार पर अध्यापक बधिरांध बालक के बौद्धिक विकास हेतु वातावरण का निर्माण किया जाता है।

15.3.3 बधिरांध बालकों का संप्रेषण कौशल का विकास

बधिरांध बालकों में संप्रेषण कौशल का विकास शिक्षा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है हालांकि यह बालक के पाठ्यक्रम कुछ अन्य कार्यक्षेत्रों में भी सम्मिलित होता है। उदाहरण के लिए अच्छे संप्रेषण कौशल बालक की बौद्धिक विकास में बहुत सहायता करता है। इसी प्रकार अच्छे संप्रेषण कौशल के द्वारा बधिरांध बालक द्वारा अपने समाज में अच्छे सामाजिक संबंध बनाये जा सकते हैं। औपचारिक भाषा हो विकास के प्रशिक्षण से पूर्व चाहे वह मौखिक या अमौखिक भाषा बधिरांध बालक को कुछ पूर्व आवश्यक कौशलों को प्राप्त करना पड़ता है।

संप्रेषण कौशल में सबसे पहले यह देखा जाता है कि बालक किसी स्थान पर कितनी देर तक बैठने में समर्थ होता है तथा धीरे–धीरे बालक के बैठने का समय में

वृद्धि की जानी चाहिए। बधिरांध बालक की विशेषता एवं आवश्यकता के आधार पर बालक को दृष्टि एवं श्रवण संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि संप्रेषण का विकास हो सके। बधिरांध बालकों के द्वारा उनकी विकलांगता के वह किसी कार्य का अनुसरण करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। जिन्हे बधिरांध बालकों को सिखाया जाना आवश्यक है। बधिरांध बालकों में अच्छी संप्रेषण कौशल के विकास के लिए अध्यापक को बधिरांध बालक के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने आवश्यक है। अध्यापक को बधिरांध बालक के साथ मोह एवं संप्रेषण स्थापित करना चाहिए।

15.3.4 बधिरांध बालकों की दैनिक क्रिया के कौशलों का विकास

बधिरांध बालकों की एक सबसे बडी समस्या दैनिक क्रियाओं को स्वयं करने में आती है। दृष्टि एवं श्रवण की क्षमता में कमी के कारण वह बधिरांध बालकों को प्रारंभ में यह इन क्रियाओं को करने में कठिनाई का सामना करना पडता है। परंतु यदि उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाये तो बहुत हद तक वह अपनी दैनिक क्रियाओं को करने में सफल हो जाते है।

बधिरांध बालकों द्वारा उनके द्वारा किये जाने वाले दैनिक क्रियाओं जैसे खाना खाने, कपडे पहनने, शोच संबंधी क्रिया आदि को करने में देरी होती है। इसका मुख्य कारण बालकों में द्वि विकलांगता का होना है, प्रारंभ में कोई प्रशिक्षण न प्रदान करना तथा बालकों में सकल शारीरिक विकास में कमी एवं बौद्धिक विकास में देरी है। दैनिक क्रिया कौशल को सिखाना केवल एक अकेला उद्देश्य नहीं होता है इसके अंर्तगत बालक के विभिन्न कौशलों को शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि बालक हाथ धोता है तो बालक में सकल एवं सूक्ष्म शारीरिक का होना आवश्यक है। दैनिक क्रियाओं को करने में बालक का प्रारंभ शारीरिक विकास, बौद्धिक एवं भाषा विकास की आवश्यकता होती है।

15.3.5 बधिरांध बालकों का सामाजिक कौशल में विकास

बधिरांध बालकों को समाज में सफलतापूर्व समाहित होने के लिए सामाजिक अंतःक्रियाओं के कौशल को प्राप्त करना अति आवश्यक है। हालंकि कुछ बधिरांध बालकों द्वारा दैनिक क्रिया कौशलों, पूर्व व्यवसायिक कौशलों एवं व्यवसायिक कौशलों में तो निपुणता हासिल कर लेते है परंतु उनकी सामाजिक अंतःक्रिया कौशलों में निपुणता न होने के कारण बधिरांध बालकों को उनके लिए निर्मित आश्रय कार्यशाला या समूह गृहों में स्वीकार करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। साधारणतया दो व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया के चार मुख्य बिंदु होते है जो एक बधिरांध बालक को सीखना आवश्यक है। इन कौशलों को सीखने से पूर्व उपयुक्त समय एवं जगह को पहचानना आवश्यक है। यह चार कौशल निम्नलिखित हैः–

1. अंतःक्रिया का प्रारंभ करना
2. अंतःक्रिया को प्राप्त करने के लिए विनती करना
3. अंतःक्रिया को बनाये रखना

4. अंतःक्रिया को समाप्त करना

बधिरांध बालक की सामाजिक अंतःक्रिया बालक की आयु, क्रियात्मक स्तर, उसकी अधिगम पद्धति एवं विकलांग की गंभीरता पर निर्भर करता है।

उपरोक्त सभी कौशलो के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बालक के यह सभी कौशल प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकते है।

15.4. बधिरांध बालकों की शैक्षिक कौशलों को अर्जित करने के साधन

बधिरांध बालकों को शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के संप्रेषण साधनों का उपयोग किया जाता है। बधिरांध बालकों के संप्रेषण के लिए निम्न साधनों के उपयोग किये जाते हैः–

1. **सांकेतिक भाषा–** सांकेतिक भाषा के अंर्तगत् हाथों की विशेष आकृति एवं शारीरिक गतिविधियों से अपने विचार एवं प्रत्ययों को प्रदर्शित करते हैं। यह दृष्टि एवं स्पर्श से भी हो सकते है। सांकेतिक भाषा के अंर्तगत संकेतों को व्यक्ति के सामने दिखाया जाना आवश्यक होता है जिनके आधार पर व्यक्ति उन संकेतों का अर्थ समझकर उत्तर देता है। हाथों की स्थिति, दूरी, चाल, कठिनाई एवं रोशनी यह सभी बातें बधिरांध व्यक्ति द्वारा उनकी आवश्यकता पर निर्भर करती है। जिसे बधिरांध बालकों के हिस्सा से समायोजित किया जा सकता है। स्पर्षीय संकेत उन बधिरांध बालकों के लिए होता है जिनकी दृष्टि क्षमता काफी कम होती है या नही होती है।

2. **हाथों पर संकेत एवं स्पर्षीय संकेत भाषा–** इस प्रकार के संप्रेषण में रोशनी की आवश्यकता नहीं होती है एवं यह स्पर्श पर आधरित होती है। इस प्रक्रिया के अंर्तगत बधिरांध बालक अन्य बधिरांध बालक के हाथों पर अपने हाथों की उंगलियों से आकृति का निर्माण करेगा एवं उस आकृति, गति एवं स्थिति के आधार पर अन्य बालक बधिरांध बालक की बातो को समझेगा।

3. **उंगलियों से अक्षर विन्यास**– उंगली से अक्षर विन्यास बधिरांध बालकों द्वारा समझा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका की वर्णमाला अक्षर है जिसमें केवल एक हाथ के द्वारा अंग्रेजी के विभिन्न वर्णमाला के अक्षरों का निर्माण किया जा सकता है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को केवल हाथ की स्थिति में परिवर्तन करके किया जा सकता है एवं बधिरांध बालक द्वारा अपने हाथ पर अक्षर विन्यास को आसानी से समझ सकते है तथा यह प्रक्रिया काफी तेजी से होती है।

4. **हथेली पर छपाई**– इस प्रक्रिया के अंदर बधिरांध बालकों की हथेली पर अक्षरों को बनाया जाता है। इस प्रकार के अक्षरों को महसूस करना काफी आसान होता है।

5. वाणी– यह प्रक्रिया केवल उन बधिरांध बालकों के लिए होता है जो ऊँचा सुनते है या जिनमें श्रवण क्षमता होती है। कुछ बधिरांध बालक ऐसे भी होते हैं जिन्हें गंभीर श्रवण विकलांगता होती है परंतु वह इतना साफ बोल लेते है जिन्हें समझा जा सकता हो।

6. होंठ पठन– यह प्रक्रिया केवल उन बधिरांध बालकों के लिए उपयोगी होती है जिनमें काफी दृष्टि होती है एवं जो भाषा को समझते हैं। इस प्रक्रिया के अंर्तगत बोलने वाला व्यक्ति को बधिरांध बालक के समाने, रोशनी में एवं धीरे–धीरे बोलना होता है।

7. ब्रेल– ब्रेल उभरे हुए बिंदुओं द्वारा अक्षर एवं शब्दों का निर्माण करते है। जिसे स्पर्श के माध्यम से पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि बालक की उंगली के आगे के भाग से पढी जाती है। इसके पढने में दोनो हाथों का उपयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि बायें से दायें लिखी जाती है परंतु दायें से बायें पढ़ी जाती है।

बोध प्रश्न –

टिप्पणी – क : नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपने उत्तर लिखिये–

ख : इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों में से अपने उत्तर का मिलान कीजिये–

1. सांकेतिक भाषा किसे कहते है ?

....

....

....

2. स्पर्शीय संकेत भाषा क्या है ?

....

....

....

3. होठ पठन क्या है ?

....

....

....

4. किस लिपि में उभरे हुए बिन्दुओं द्वारा अक्षर एवं शब्दों का निर्माण करते है?

....

....

....

5. ब्रेल लिपि कैसे लिखी और पढ़ी जाती है?

....

....

15.5 सारांश

बधिरांध बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह बताना आवश्यक है कि उनकी शिक्षा के द्वारा बधिरांध बालकों की शारीरिक विकास के कौशल का विकास किया जाता है। शारीरिक विकास के लिए विशेषज्ञों का एक समूह या टीम का निर्माण किया जाता है जो शारीरिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते है। बधिरांध बालकों के बौधिक विकास भी शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है जिसमें उनके शिक्षा के लिए अनुकूलित उपकरण व तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जो बालक की बुद्धि पर भी निर्भर करते है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बधिरांध बालक का संप्रेषण कौशल का विकास करना है। जिसके आधार पर वह समाज में आसानी से एकीकरण संभव हो सके। जिसके लिए अध्यापक द्वारा औपचारिक भाषा जिसमें मौखिक एवं लिखित संप्रेषण का उपयोग किया जाता है को सिखया जाता है। सामाजिक कौशलों का विकास भी शिक्षा के द्वारा संभव होता है। समाजिक कौशलों के विकास के कारण बधिरांध बालक न केवल समाज में बल्कि अन्य शैक्षिणिक एवं आश्रय स्थलों पर भी आसानी से समायोजित हो सकता है। दैनिक क्रिया कौशल जो बालक के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। जिसके अंर्तगत बालकों को खाना खाने, कपड़े पहनना, स्वयं की साफ–सफाई एवं अन्य दिन प्रतिदिन के कार्य करने पड़ते है। उपरोक्त सभी कौशलों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है एवं शिक्षा को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के संप्रेषण के साधनों एवं तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जिसमें सांकेतिक भाषा, हाथों पर संकेत एवं स्पर्षीय संकेत भाषा, उंगलियों से अक्षर विन्यास, हथेली पर छपाई, वाणी, होंठ पठन एवं ब्रेल द्वारा ही की जाती है।

15.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. सांकेतिक भाषा के अर्न्तगत हाथों की विशेष आकृति एवं शारीरिक गतिविधियों से अपने विचारों को प्रदर्शित करते हैं।
2. यह स्पर्श पर आधारित होती है।
3. इस प्रक्रिया के अन्तर्गत बोलने वाले व्यक्ति को बधिरांध बालक के सामने रोशनी से एवं धीरे धीरे बोलना पड़ता है।
4. ब्रेल लिपि में
5. ब्रेल लिपि बायें से दायें लिखी जाती है और दायें से बायें पढ़ी जाती है।

15.7 अभ्यास के प्रश्न

- बधिरांध बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं क्या–क्या है?
- बधिरांध बालकों के संप्रेषण कौशल किस बात पर निर्भर करता है?

- बधिरांध बालकों की दैनिक कौशलों के बारें में चर्चा कीजिये।
- बधिरांध बालको के समाजिक अंतःक्रिया पर चर्चा कीजिये।
- बधिरांध बालकों के विभिन्न संप्रेषण कौशलों को बताईए।

15.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. Mclnnes, J.M. and Treffry, J.A. (1982). Deaf-blind infants and children: A development guide. University of Toronto: Toronto
2. Handbook on Deafblindness. Sense International India
3. Scholl, Geraldinet T. (1986). Foundation of Education for Blind and Visually Handicapped Children and Youth. American Foundation for the Blind: New York.
4. Lowenfeld, B. (1973). The visually handicapped children in school. John Day Company: New York.

Notes

Notes

Notes

Notes